राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 5वां दिवस संख्या 3

सोमवार,

दिनांक 22-1-1968.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई राजस्व, पंचायत खाद्य, समाज कल्याण, देवस्थान, अकाल सहायता, वन व वित्त विभाग)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री सुमेरसिंह !

ग्राम सीलोरा के बांध की मरम्मत

30. श्री **सुमेरसिंह** (किशनगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील किशनगढ़ में ग्राम सीलोरा में पाबूमंड के के पास जो बन्ध है, कई दिनों से टूटा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बान्ध के टूट जाने की वजह से आस पास के कुओं के पानी में बहुत कमी हो गई है ?

(3) इस बन्धे की मरम्मत अब तक नहीं कराने की क्या वजह है ?

(4) अब इसकी मरम्मत कब तक कराने की योजना है ?

(5) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के किसानों की मांग पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) पाबूमंड के पास सीलोरा में कोई बांध नहीं है। एक पुरानी आव है जो एक दो जगह टूटी हुई है। यह आव सातोला बन्ध में जाती थी।

(2) तालाब टूटा हुआ नहीं है। आव के टूटने से कुओं में पानी की कमी हो सकती है।

(3,4 व 5) बांध सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत सीलोरा को सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास योजना अजमेर में मेसीनरी वाल बनाने का सुझाव दिया है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री रामचन्द्र आर्य।

Page No. 2

तहसील नोहर में भूमि एलाटमेंट का प्रोग्राम

31. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1967, में तहसील नोहर में भूमि एलाटमेन्ट करने का प्रोग्राम तहसीलदार द्वारा बनाया गया था ? यदि हां, तो फिर वह प्रोग्राम रद्द क्यों हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि हजारों की तादाद में काश्तकार एलाटी है ? यदि हां, तो उनके कब्जे की सरकारी भूमि उनको कब एलाट होगी ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भूमि एलाटमेन्ट को रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि काश्तकारों को भूमि एलाट नहीं करने से जो काश्तकार उस भूमि को काश्त करते हैं उन पर तावान लगेगा ?

(5) क्या यह सही है कि यह कार्य महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो इस कार्य में देरी करने का क्या कारण है ?

(6) क्या यह सही है कि हजारों बीघा भूमि तहसील नोहर बंजड़ पड़ी है ? यदि हां, तो एलाटमेन्ट क्यों नहीं किया जाता है ?

(7) क्या यह सही है कि साबका लोटियों को बदस्तूर रखा जाकर 10 साल पट्टा दिया जावेगा। यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, शिकायतें आने के कारण आवंटन रोका गया था।

(2) उन काश्तकारों को कब्जा बदस्तूर रखने के आदेश दिये जा चुके थे ।

(3) जी हां, इस इलाके में शिकायतें आने के कारण रोकने के आदेश दिये गये थे।

(4) केवल अतिक्रमियों से तावान लेण्ड रेवेन्यू की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है ।

(5) जिन काश्तकारों को 66-67 के लिये रकबा दिया गया था वह अगले साल के लिये भी बदस्तूर रखे जाने के लिये हिदायत कर दी गई। इसलिये इसमें देरी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(6) जी हां। यह रकबा ऊंचे टीलों में है जो·····

(अश्रव्य-व्यवधान)

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : इसे वापिस पढ़ दीजिये । क्या बोला है आपने ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसे वापिस पढ़ दीजिये । मैं तक नहीं समझ पाया हूं ।

श्री गंगाराम चौधरी : (6) जी हां यह रकबा ऊंचे टीलों में है जो काबिले काश्त नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आगे पढ़िये अब ।

श्री गंगाराम चौधरी : (7) यह विचाराधीन है। नियमों में वांछित संशोधन किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है जैसा कि आपने प्रश्न संख्या 4 में जवाब दिया कि अतिक्रमण इस साल नहीं हुए, पुरानी जमीन के लिये काश्तकारों को नोटिस दिये जाकर, हजारों की तादाद में नोटिस दिये जाकर, उनकी फसल कुर्क की गई ? आपने जो उत्तर दिया उससे तो आपको सही जानकारी अधिकारियों से नहीं मिली है। ये नोटिसेज मेरे पास हैं। हजारों की तादाद में नोटिसेज निकले हैं, किसानों की फसल कुर्क की गई है और आज वे अदालनों के चक्कर काट रहे हैं।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जैसा कि निवेदन किया जा चुका था कि जो काश्तकार गत वर्ष काश्त कर रहा था उसको बदस्तूर काश्त करने का हुक्म दिया जा चुका है। यदि उनको नोटिस दिये गये हैं तो वे विथड्रा कर लिये जावेंगे।

एक माननीय सदस्य : 16 वें सेक्शन के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) प्रश्न कर्ता।

श्री रामचन्द्र आर्य: मैं यह जानना चाहूंगा कि आदेश कब दिये गये ? वहां कोई आदेश नहीं पहुंचे हैं और काश्तकार के पास कोई प्रमाण नहीं है कि उसको जमीन अलाट हुई है या नहीं। अतिक्रमी घोषित किये जा चुके हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आदेश की नकल आपको दे दी जावेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रश्न संख्या 7 में यह और पूछा है कि जिन काश्तकारों की जमीन सिंचित एरिया से बाहर है उनको दस साला पट्टे दिये जावेंगे इसके लिये क्या किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: गत सत्र में आश्वासन दिया था उसके अनुसार नियमों में तरमीम कर दी गई। केबिनेट से एप्रूव होकर निकल चुके हैं। आदेश जारी हो गये हैं या हो जावेंगे।

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में यह बताया कि रकबा ऊंचे टीलों में होने के कारण अलाट नहीं की गई। यह कौनसी जमीन है ? किस क्षेत्र और गांव में है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टेम्पेररी कल्टीवेशन में जो जमीन है वही है जो पड़ी हुई है।

श्री दौलतराम सारण : नोहर तहसील में ऐसी कोई जमीन नहीं है जो काबिल काश्त न हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आप सूचना दे रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप सदन में गलत सूचना दे रहे हैं कि ऊंचे टीले वाली जमीन है जो अलाट नहीं की जा रही है। वास्तव में वह काबिल काश्त जमीन है जो पड़ी हुई है और जिसको अलॉट नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की गैर समझी से वह अलाट नहीं की जा रही है। आप इसको देखिये। देश को अन्न का नुकसान हो रहा है

(श्री दौलतराम सारण)
और राजस्थान के किसानों को नुकसान हो रहा है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)। नोहर में इस प्रकार टीलों की कोई जमीन नहीं है। हमारे साथ चल कर आप उस जमीन को देखेंगे ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : मेरे पास जैसी इन्फोर्मेशन है उसके आधार पर सूचना दी है। ऐसी बात है तो जाने के लिये तैयार हूं।

श्री **अध्यक्ष** : आप, आपके साथ आने के लिये तैयार हैं ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : अवश्य।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : फसल कुर्क हुई हैं उसके लिये आदेश कब वापिस लेंगे ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : नोटिस आपके पास हों तो मुझे दे दीजिये।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : 29 नोटिस मेरे पास हैं।

श्री **अध्यक्ष** : आपको दे दीजिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर प्लीज। नोटिसेज आपको दे दीजिये ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : हजारों की तादाद में नोटिसेज निकले हैं और हजारों की फसल कुर्क हुई है।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज।

नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : प्रश्न संख्या 32।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : बड़ा भारी अन्याय हुआ है। एक लाख जनता के साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : मेरे प्रश्न को महत्वपूर्ण समझ कर आप इसकी व्यवस्था करें।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य। दूसरा प्रश्न ले लिया गया है। स्थान ग्रहण करें।

तहसील सांचोर में आग लगने के मामले

32. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सांचोर, जिला जालौर में पिछले तीन सालों में कितने कुदरतन आग लगने से होने वाले नुकसान के मामले सरकार के सामने आये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि ऐसे आगजनी के मामलों से प्रभावित लोगों ने राज्य की सहायता लेने बाबत दरख्वास्तें पेश की थीं ? अगर हां, तो किस किस ने कहां कहां पर कब कब ? उनको सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ?

(3) अब तक ऐसे कुदरतन नुकसान होने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता बाबत क्या क्या व्यवस्थायें की गई हैं ? क्या यह सत्य है कि ऐसे नुकसान से प्रभावित लोगों को समय पर पर्याप्त सहायता देने के लिये सरकार द्वारा उपयुक्त

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
धनराशि जिलों में नहीं रखी जानी है ? अगर हां, तो अब सरकार इस बारे में क्या सोच रही है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसील सांचोर में पिछले तीन सालों में कुदरतन आग लगने वाले नुकसान के कुल 18 मामले हुए। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, आगजनी से प्रभावित लोगों द्वारा दरख्वास्तें पेश करने की तिथि एवं राज्य सरकार द्वारा जो सहायता दी गई है उसका विवरण सूची कालम नं. 6 व 7 में अंकित है।

(3) कुदरतन नुकसान से प्रभावित व्यक्तियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उनके नुकसान को ध्यान में रखते हुए 1-6 हिसाब से दी जानी है। सरकार द्वारा प्रति वर्ष पिछले खर्चे को मद्देनजर रखते हुए राशि सहायतार्थ आवंटन कर देनी है। यदि किसी जिले में और आवश्यकता होनी है तो सरकार से मांग करने पर धनराशि स्वीकृत हो जानी है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : 18 मामले बताये गये। आपके नियम 1/6 के अनुसार तो उनको सहायता दी गई ?

श्री राजस्व मंत्री (बृजसुन्दर शर्मा) : इस हिसाब से सहायता दी जानी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने बताया उस अनुपात में सहायता दी गई या नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उस अनुपात में दी गई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नुकसान बताया नहीं है। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है जो नाम लिखे गये हैं उसके अनुसार नुकसान कितना हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 1।6 जो सहायता दी जानी है वह मैक्सिमम है। इससे अधिक नहीं दी जानी है। आग को देखते हुये जो सहायता उचित होनी है वह दे दी जानी है। इसके लिये एक लाख का प्रावधान किया जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : राज्य सरकार की पर्याप्त धनराशि जिलों में न होने की वजह से 18 मामले दिये हैं। उनमें बडा भारी नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ भी सहायता–बहुत कम सहायता, नेगलिजिबल सहायता दी गई है। इस बारे में राज्य सरकार की क्या योजना विचाराधीन है इतने मामले हैं, सहायता बहुत कम देते हैं। मैंने इसीलिये प्रश्न पूछा है कि राज्य सरकार नियमों में संशोधन करें, कुछ प्रावधान करे कि इमीजियेटली सहायता मिल सके। इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके लिये पंचायत समितियों को फंड अलाट करते हैं –नियमों के अनुसार। और इससे अधिक रकम होनी है तो अनुदान के बारे में और विचार किया जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पंचायत समितियों को कितनी रकम अलाट की गई है ? यह जो सहायता दी जानी है वह, किस किस पंचायत को कितनी कितनी सहायता दी जानी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह एक ऐसा प्रश्न है कि किस किस पंचायत को कितनी कितनी रकम एलाट की, यह मेरे पास अभी नहीं है। तीन सालों के मामले विचाराधीन हैं। पंचायतों की जैसे जैसे रिपोर्ट आती है, वैसे-वैसे रकम दे दी जाती है। अब इसमें किसी को 40 रु. किसी को 50 रु. और किसी को . .।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने राज्य सरकार से यह सूचना इस मकसद से चाही है कि कुछ इलाकों में आगजनी के मामले ज्यादा होते हैं ? इसलिये उनको धनराशि पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिये। जहां आग लगती रहती है, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है और वे लोग बेघरबार हो जाते हैं। इमीजियेटली सहायता देने के लिये राज्य सरकार का क्या सुझाव है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कुल तीन साल में 18 मामले हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें सारे मामले दर्ज नहीं किये गये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सब जगह सहायता दी गई है। अगर किसी की गरीबी है तो वह तो जरूर रहेगी। गरीबी को हम मिटा नहीं सकते।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसमें बहुत से गरीब लोग रहते हैं जैसे भांभी, स्वामी आदि ये सब गरीब हैं। ये लोग आगजनी में इस तरह नष्ट हो जाते हैं कि वे अपने जीवन में उठ नहीं सकते हैं, बेघरबार हो जाते हैं, फिर ये मालदार किस तरह से हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब पहुंच गई है कि नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पहुंची नहीं है। 1-1, $1\frac{1}{2}$-1 साल हो गया, वे मामले जेर तजवीज हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा आश्वासन देते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र सहायता की स्थिति में पहुंच सकते हैं राजस्व मंत्री से डेढ़ साल का अर्सा ज्यादा होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां फौरी रूप से मामले होते हैं, उनको शीघ्र निपटा दिया जाता है। एक दो साल के मामले अधिक नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मंत्री लोग अपनी आग ही नहीं बुझा पाते हैं, दूसरों की क्या बुझायेंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सरकार की तरफ से कोई पर्याप्त साधन जिलों में नहीं है। ऐसे जिलों में अमूमन आग लगती है तो राज्य सरकार की पास से सहायता वहां पहुंचने की इमीजियेटली पहुंचने की क्या योजना है ? कोई रूल्स में ऐसा प्रावधान रखा गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फोरी रूप से तो पंचायत समितियों को रकम एलाट कर दी जाती है जिसमें ज्यादा जरूरत होती है या जहां आग ज्यादा लगती है वहां स्पेशल सेंक्शन होती है।

श्री रघुनाई बिश्नोई : फन्ड्स न होने की वजह से या पर्याप्त मात्रा में साधन न होने से इमीजियेटली सहायता नहीं दी जाती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कलेक्टर को तीन हजार तक के पावर्स हैं।

Page No. 7

श्री रघुनाथ बिश्नोई : और अगर वह मामला ज्यादा हो तो ....।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह और अधिक राशि की मांग कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गाड़िया।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : इस तरह की घटनायें अमूमन हुआ करती है। यह बात सरकार को मालूम है और सभी को मालूम है। मेरे ख्याल से प्रश्नकर्ता ने बार-बार यही पूछा है कि यह नीति का सवाल है। अक्सर देखा गया है कि जहां आगजनी होती है वहां गरीब लोगों को ही क्षति पहुंचती है। राज्य सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो तुरन्त ही प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं हो पाती है। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार चाहे फंड पंचायत समितियों को दे या अपने खुद के बजट में रखें ऐसे मामलों को तत्काल, तुरन्त सहायता-जो डिजर्विंग कैसेज हों उनको सरकारी सहायता पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने अर्ज किया न कि तीन हजार की राशि फौरी सहायता के लिये रखी जाती है और ज्यादा की जरूरत हो तो वह और मांग कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : दो साल बाद उसमें सिर्फ.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री गाड़िया !

ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के रिक्त स्थानों के चुनाव

33. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कई पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान, सरपंच एवं पंचों आदि के स्थान रिक्त पडे हुये हैं ?

(2) यदि हां, तो किस-किस जिले की किस-किस ग्राम पंचायत व पंचायत समितियों के प्रधान, उप-प्रधान, सरपंच व पंचों के स्थान कितने समय से रिक्त पडे हुये है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इन रिक्त स्थानों के अभी तक चुनाव किन कारणों से नहीं कराये गये और अब कब तक करा दिये जायेंगे ?

समाज-कल्याण मंत्री (राव श्री नारायण सिंह) (पंचायत मंत्री की ओर): (1) जी हां।

(2) तीन सूचियां संलग्न हैं (1) जिलेवार कुछ पंचों, सरपंचों, प्रधानों उप-प्रधानों के रिक्त स्थानों की सूची मय प्रत्येक जिले की प्रथम रिक्त स्थान की तारीख। (2) जिलेवार प्रत्येक पंचायत में रिक्त स्थान की सूचना। (3) जिलेवार प्रत्येक पंचायत समिति में प्रधानों व उप-प्रधानों के रिक्त स्थानों की सूचना।

(3) पहले उप चुनाव आपत्कालीन परिस्थिति के कारण, तत्पश्चात् अकाल स्थिति के कारण व फिर आम चुनावों के कारण तथा फिर खेती का समय आ जाने के कारण उप चुनाव स्थगित किये थे। उप-चुनाव यथा-सम्भव शीघ्र ही सम्पन्न कराये जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : पंचायत मंत्री बदल गये हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा गजट में नहीं आया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पंचायत समितियों में चुनाव कब तक हो जाने चाहिये ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : वे मंत्री नहीं इस विभाग के ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा बताया कि अप्रेल 65 से लेकर 67 तक 1088 पंच, 28 प्रधान, 6 उप-प्रधान और 140 सरपंच के स्थान रिक्त हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चुनाव नियमों के अन्तर्गत इन स्थानों के चुनाव कब तक हो जाने चाहिये थे ?

राव श्री नारायणसिंह : कानून के अनुसार पंचायत संस्थाओं के चुनाव साधारण कार्यक्रम के अनुसार 30 जनवरी तक समाप्त हो गये। लेकिन पंचायत एवं विकास विभाग ने इनके लिये आज्ञा प्रसारित कर दी और ये चुनाव फरवरी 69 तक के लिये बढ़ा दिये गये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिन स्थानों पर प्रधानों के स्थान रिक्त हुये हैं, उन रिक्त स्थानों का चुनाव पंचायत चुनाव नियमों के अनुसार कब तक हो जाने चाहिये।

एक माननीय सदस्य : ये कब तक हो जाने चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर !

राव श्री नारायणसिंह : अमूमन तीन साल में हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ये जो रिक्त स्थान हैं उनकी जगह चुनाव पंचायत कानून के अन्तर्गत कब तक हो जाने चाहिये थे ?

राव श्री नारायण सिंह : रिक्त स्थानों के चुनाव छः माह में हो जाने चाहिये लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण, जिनका वर्णन मैं कर चुका हूं नहीं हो सके।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) आजकल जिस प्रकार की परिस्थितियां बदल रही हैं उनको देखते हुए कांग्रेस समर्थक कम मिल रहे हैं इसलिये चुनाव रोक दिये गये ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह ठीक नहीं है कि रिक्त स्थानों के चुनाव सरकार की मर्जी मुबारक पर मुनस्सर है ?

राव श्री नारायणसिंह : नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : तो और क्या बात है ?

राव श्री नारायणसिंह : मियाद का कोई खास प्रावधान नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसीलिये मैंने पूछा था कि जब यह नीति से संबन्धित नहीं है तो क्या सरकार की मर्जी मुबारक पर मुनस्सर है ?

राव श्री नारायणसिंह : मैंने निवेदन किया विशेष कारणों से जिनमें से पहला कारण इमर्जेन्सी था, दूसरा अकाल की परिस्थिति के कारण और तीसरा कारण आम चुनाव का था इस कारण स्थगित किये गये।

Page No. 9

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कहने का तात्पर्य यह है कि संकट-काल की स्थिति के कारण, अकाल के कारण और आम चुनाव के कारण-इन तीनों कारणों से चुनाव नहीं करा सके तो क्या इन तीन कारणों के बीच राजस्थान में कहीं चुनाव नहीं हुए ?

राव श्री नारायणसिंह : पंचायतों के नहीं कराये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार ने इन तीनों परिस्थितियों के कारण कहीं भी उप-चुनाव नहीं कराये ?

राव श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर चुका हूं नहीं कराये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : निवाई पंचायत समिति की सब-कमेटियों के चुनाव पन्द्रह दिन पहले ही हुए हैं मैं भी उसमें वोटर था ?

श्री दौलतराम सारण : सुजानगढ़ के पांच दिन पहले हुए हैं।

राव श्री नारायणसिंह : टोंक जिले में हुए हैं टोंक जिले की सितम्बर तक की मियाद थी उसके अलावा भी कलेक्टर की मर्जी पर जहां वह उचित समझे चुनाव करा सकते हैं इसका टोंक के कलेक्टर ने निर्णय लिया है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : प्रश्न यह पूछा था कि पंचायतों के राज्य सरकार ने कहीं उप चुनाव कराये या नहीं इस पर मंत्री महोदय ने कहा कहीं नहीं कराये लेकिन निवाई में हुए यह भी स्वीकार किया तो पहले जो जवाब दिया गया वह गलत था इसका स्पष्टीकरण करें ।

श्री अध्यक्ष : उस समय विशेष परिस्थितियों के कारण जो मंत्री महोदय ने बतायी उसमें नहीं हुए थे।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या आज तक चुनाव नहीं हुए ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार ने पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान जो स्थान 65 में रिक्त हुए थे उनके चुनाव न कराये जायं इस प्रकार की सरकार ने विज्ञप्ति जारी की थी ?

राव श्री नारायणसिंह : मैंने निवेदन कर दिया था कि किन-किन कारणों से चुनाव नहीं कराये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री जी आपने जो पाप किया है उसको क्यों छिपा रहे हैं ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने [illegible] 1965 में जिन-जिन के स्थान रिक्त थे उनके चुनाव न कराने के लिये कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की है आज तक ?

राव श्री नारायणसिंह : विभिन्न कारण थे जिनके कारण चुनाव स्थगित किये गये विभिन्न कारण विज्ञप्तियों में दर्ज हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग मामलों में अलग अलग निर्णय लिया ?

राव श्री नारायणसिंह : विभिन्न परिस्थितियों को सामने रखते हुए भिन्न-भिन्न निर्णय लिये गये ।

Page No. 10

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक निर्णय नहीं लिया कि पंचायतों के इस कारण चुनाव न कराये जायं ?

राव श्री नारायणसिंह : भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न निर्णय लिये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट ने यह कब डिसीजन लिया कि इन परिस्थितियों में चुनाव न कराये जायं ?

राव श्री नारायणसिंह : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब लिया किस तारीख को किस सन् में ?

राव श्री नारायणसिंह : तारीख मेरे पास नहीं है। लेकिन पंचायत और विकास विभाग का एक परिपत्र है दिनांक 9-9-65 का उसमें पहला प्रतिबन्ध था आपत्काल परिस्थिति के कारण।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने समय के लिये था ? 22-10-65 को न्याय पंचायतों के लिये रोक हटा दी गई थी लेकिन न्याय पंचायतों के चुनाव नहीं हुए ?

राव श्री नारायणसिंह : 30-6-66 को अकाल की परिस्थिति के कारण उप-चुनाव पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और उसके बाद 2-12-66 को आम चुनाव के कारण प्रतिबन्ध लगा दिया गया यह 13-6-66 को हटा उसके बाद 12-7-67 को कृषि की आवश्यकता को देखते हुए प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 66 में जब प्रतिबन्ध नहीं था उस समय में चुनाव क्यों नहीं कराये ?

राव श्री नारायण सिंह : दुबारा लगा दिये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 30-1-66 से दिसम्बर 66 तक छः महीने का समय था उसमें क्यों नहीं उप चुनाव कराये ?

राव श्री नारायण सिंह : अकाल की परिस्थितियां थीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि जिला झुंझुनू के झुंझुनू और सवाई माधोपुर की बोली इन दो स्थानों पर प्रधान-उपप्रधान दोनों के स्थान रिक्त हैं ऐसी स्थिति में वहां की पंचायत समिति का कार्य किस तरह से चलता है ? उसके लिये क्या व्यवस्था की ?

राव श्री नारायण सिंह : यह प्रश्न पंचायत मन्त्री से सम्बन्धित है अतः वे ही बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यही ठीक है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या राज्य सरकार सभी निर्वाचित संस्थाओं, पंचायत समितियों नगरपालिकाओं और न्याय पंचायतों के चुनाव किसी नीति विशेष के कारण नहीं करा रही है ?

राव श्री नारायण सिंह : यह अलग प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या राज्य सरकार ने बिना चनाव कराये ही न्याय पंचायतों में बाला-बाला नियुक्ति की है ?

राव श्री नारायण सिंह : यह अलग से प्रश्न है।

Page No. 11

श्री देवीदत्त गाडिया : अब कब तक चुनाव हो जायेंगे? अध्यक्ष महोदय, यह तो लोकतन्त्र के लिये बड़ा खतरा है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

गेहूं चावल तथा चीनी का केन्द्र द्वारा निर्धारित कोटा

34. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** (जोहरी बाजार, जयपुर) —क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जनवरी से मई 67 तक राजस्थान को केन्द्र की ओर से कितना गेहूं, चावल और चीनी दिया गया और निर्धारित कोटे के अनुसार कितना दिया जाना चाहिये था और क्या यह कमी बाद में पूरी की गई है?

(2) इस समय राजस्थान को केन्द्र से कितना टन गेहूं, चावल व चीनी दी जा रही है?

(3) राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में कितना माल देने के लिये लिखा पढी की है?

(4) मार्च 67 से जुलाई तक आयातित गेहूं के कोटे में कितना बकाया रहा और अब तक कुल बकाया की स्थिति क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा)

(1) माह जनवरी, से मई 67 तक केन्द्र सरकार द्वारा कुल 95000 टन गेहूं और 44,440 टन चीनी का आवंटन किया गया है व इस अवधि में चावल आवंटित नहीं किया गया है।

भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। यह तो भारत सरकार परिस्थितियां देखकर घटा बढ़ा देती है।

(2) माह जनवरी 68 में केन्द्र द्वारा 8000 टन गेहूं दिया गया है तथा दिसम्बर 67 व जनवरी 68 की अवधि हेतु 3,711 टन चीनी का आवंटन किया गया है चावल का कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं हुआ।

(3) राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रति माह 2,000 टन गेहूं व 4,300 टन चीनी देने के लिये अनुरोध किया गया है।

(4) माह मार्च से जुलाई 67 तक 15,303 टन आयातित गेहूं आवंटित कोटे में से बकाया रहा है। अब तक कुल 24,400 टन आयातित गेहूं बकाया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये 38 हजार टन आयातित गेहूं का कोटा निर्धारित किया गया है?

श्री परसराम मदेरणा: मई तक भारत सरकार अपने वहां पर स्टांक, जो उपलब्ध था, के अनुसार मन्थली कोटा अलाट करती थी और उसके अनुसार मई तक हमें 30 हजार टन अलाट किया 38 हजार में से और उसमें मैंने उत्तर दिया 15,303 टन का बैंक लाग रहा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: क्या यह सही है कि माननीय खाद्य मंत्री महोदय, ने आपको स्मरण होगा, अगस्त 67 में पत्रकार सम्मेलन में और विशेष भेट में एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा था कि जुलाई तक 45 हजार टन बकाया है?

श्री परसराम मदेरणा : उसमें मिलो भी शामिल था ।

श्री सतीसचन्द्र अग्रवाल : क्या आयातित गेहूं के संबंध में ही था आपका वक्तव्य, उसमें मिलो का कहीं जिक्र नहीं था उस समय ?

श्री परसराम मदेरणा : टोटल के बारे में था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके वक्तव्य की तरफ जो अखबारों में छपा जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ने 38 हजार टन के कोटे को 33 हजार टन कर दिया और उसमें से भी अभी तक 10 हजार टन गेहूं मिला है और इसके बाद भी 13 हजार टन की कमी रह जावेगी । यह आपने बताया नो जुलाई 67 तक आयातित गेहूं कितना बकाया था यह और आप बता दीजिये अब भी ?

श्री परसराम मदेरणा : आयातित गेहूं 15,303 टन बकाया था जैसा मैंने कहा है भाग चार के उत्तर में, 9 मार्च जुलाई तक 15,303 टन। और कुल जो रहा 24,400 टन रहा और मिलो का बकाया 24,113 टन रहा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह 33 हजार टन निर्धारित है वह मिलों को मिलाकर है ?

श्री परसराम मदेरणा: जी हां । टोटल है। यह हर महीने में घट बढ करते रहते हैं। कभी मिलो कम तो कमी गेहूं कम कर देते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं पर एक बात साफ है इनके सारे स्टेटमेन्ट उठा कर देखे जावें तो सारे एक दूसरे के खिलाफ मालूम पड़ेंगे । यह माननीय मुख्य मंत्री का 8 जुलाई का वक्तव्य हैं जो उन्होंने फूड मिनिस्टर की कान्फ्रेंस के बाद में दिया है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा पत्र है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान पत्रिका 9 जुलाई 1067 इसमें इन्होंने कहा है कि आयातित गेहूं का राजस्थान के लिये निर्धारित कोटा 38 हजार टन है। पर विगत अप्रेल से वह हमें नहीं मिला है। मई तक 10 हजार टन कम मिला है। इस हिसाब से हमारी बकाया निकलनी चाहिये 50 हजार टन के आसपास तो इसे देखते हुए या तो मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य झूठा है या आपके फीगर्स झूठे हैं आप कुछ वक्तव्य देते हैं, वे कुछ कहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा जो स्टेटमेन्ट दिया वह भी सही है, मैंने जो फीगर्स दिये वे भी सही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कह देना आसान है । मैं कैटेगरिकली पूछना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सही है, किसका वक्तव्य सच है और किसका गलत है ?

श्री अध्यक्ष: How ? Is it correct ?

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये कोटा अलाट करने के बाद में बैंक लाग दस हजार टन का आया है। अब इस प्रकार के स्टेटमेन्ट हम भारत सरकार को प्रेस करने के लिये देते थे ताकि हमारी स्थिति भी अकाल की दृष्टि से वह कम नहीं समझ ले। इसलिये भारत सरकार को प्रेस और तार टेलीफोन के जरिये, पत्रों के जरिये

(श्री परसराम मदेरणा)
हम बताते रहे कि हम इतने बोटल नैक में हैं और पूरा का पूरा अलाटमेन्ट का कोटा हमें मिल जावे इसलिये ये स्टेटमेन्ट दिये। 25 तारीख को स्टेटमेन्ट दिया उसमें दस हजार की बात कही। बाद में दो हजार का रहा। 30 को पूरा टोटल बैंक लाग रहा वह ठीक है। जिस वक्त स्टेटमेन्ट दिया वह दस हजार टन के बैंक लाग का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो पत्रकार सम्मेलन में, खाद्य मंत्री सम्मेलन में वक्तव्य दिये मुख्य मंत्री ने और आपने उसमें 38 हजार टन आयातित गेहूं की बात जो मुख्यमंत्री ने कही वह बात गलत है या सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो मिस प्रिन्ट हो सकती है। 38 हजार टन कभी कोटा निर्धारित नहीं हुआ है। कोटा कभी हमेशा गेहूं का बढता रहा तो कभी मिलो का बढता रहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मेरे सवाल का सीघा सा उत्तर दीजिये। यह 38 हजार टन का कोटा आयातित गेहूं का अकेले का था या कम्बाइन्ड था ?

श्री परसराम मदेरणा : कम्बाइन्ड था

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर यह मानकर चलें कि जुलाई 67 में 38 हजार टन का आयतित गेहूं का कोटा निर्धारित नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : दोनों का कम्बाइन्ड था। मिलो और गेंहूं दोनों का 38 हजार टन था। अकेले गेहूं का नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो गेंहूं का कितना था ? किसी महीने का बता दीजिये। मई का बता दीजिये। जून का बता दीजिये। मई का ही बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मई का आयातित गेंहूं का कोटा 23 हजार टन था और मिलो का 15 हजार टन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब मई में 23 हजार टन का कोटा निर्धारित था तो राजस्थान ने बीस हजार टन की मांग किस आधार पर की ?

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा बीस हजार ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बीस हजार टन देने की मांग की है कुल मिलाकर मई के लिये ?

श्री परसराम मदेरणा : समय समय पर हमने अलग अलग मांग की है। बीस हजार टन की है तो पचास हजार टन की मांग भी की थी और इसके लिये एक पत्र नहीं अनेकों पत्र भी लिखे हैं बराबर लिखते रहे हैं। मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को मई से लेकर जनवरी तक लिखा है। एक एक की तारीख दे सकता हूं। यह जो बीस हजार देने का लिखा है वह 18 जनवरी को मुख्य मंत्रीजी ने लिखा है कि परिस्थितियों को देखते हुए बीस हजार टन दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस समय कितने टन दिया जा रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : आठ हजार टन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबंध में भारत सरकार से क्या कार्यवाही आपने की है ?

श्री परसराम मदेरणा : यही तो बताया। पत्र लिखे। पत्र, तार, टेलीफोन और वक्तव्यों के जरिये, प्रेस के जरिये हम अपनी मांग रखते रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चिट्ठी तो आपने लिखी, चिट्ठी तो आप पाकिस्तान को भी लिखते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय यह बड़ा गम्भीर मामला है। राजस्थान की खाद्य स्थिति बड़ी गम्भीर है। बडी भंयकर है और सेन्टर पर प्रेशर लाने के लिये कोरे वक्तव्य देते रहते हैं और आंकडे प्रकाशित करते रहते हैं। इनके आंकडे झूठे, इनके वक्तव्य झूठे और गलत हैं। जितना गेहूं चाहिये उतना आप उपलब्ध करा नहीं पाये। जितनी चीनी आनी चाहिये उतनी चीनी आप दिला नहीं सकते और चावल तो एक दाना नहीं ले पाये।

अध्यक्ष : नेक्स्ट। इसी को इतना समय लग रहा है, बीस मिनिट और रह गये हैं, और भी प्रश्न बाकी रह गये हैं। दूसरों को शिकायत होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी अकेली की कान्स्टीट्यूएन्सी का मसला नहीं है। फूड का मामला है। सम्पूर्ण राजस्थान का सवाल है। चीनी का अकाल पडा है। अनाज पूरा मिल नहीं पाया है। और चावल का तो एक दाने का कोटा ये उपलब्ध करा नहीं पाये। क्या चावल खाने वाले यहां हैं ही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : चावल का स्टाक सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। हमने इसके लिये रिक्वेस्ट भी की है। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं के लिये इस महीने में 500 टन चावल दिया। बाकी चावल राइस ईटिंग रिया में जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्होंने मांग ही नहीं की चावल की।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री परसराम।

दलित वर्ग संघ

35. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का चुनाव कब हुआ था ? इसकी प्रबन्ध कारिणी के कौन कौन सदस्य हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इसकी कार्यकारिणी की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है यदि नहीं तो कब बुलाई गई ?

(3) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ जयपुर का मुख्य कार्यालय कहां पर है तथा कार्यालय का मासिक किराया क्या है ?

(4) सन् 1962 से 31 मार्च, 1967 तक राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा अन्य स्त्रोतों से कुल कितना कितना वार्षिक अनुदान अथवा चन्दा मिला ?

(5) 1 अप्रेल, 1962 से 31 मार्च, 1967 तक कुल कितने प्रचारक रखे गये

Page No. 15

(श्री परसराम गंगाराम)
और किस किस जगह ? उन्हें क्या क्या तनख्वाहें दी गई ?

समाज कल्याण मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा)

(1) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का चुनाव दिनांक 3 अप्रेल, 1965 को हुआ था। इसकी प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री श्रवणलाल : सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : रिपीट करें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा (1) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का चुनाव दिनांक 3 अप्रेल, 1965 को हुआ था। इसकी प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है। इसकी कार्यकारिणी की चार मीटिंगें हुई हैं।

(3) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का मुख्य कार्यालय जयपुर में है तथा कार्यालय का मासिक किराया 40 रु. है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां पर है यह ?

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री में आ जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन कहां पर है।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : जयपुर में ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या किसी मंत्री महोदय के गैराज में है।

एक माननीय सदस्य : क्या जसराज जी के घर पर है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: (4) सन् 1962 से 31 मार्च 67 तक केन्द्रीय सरकार से कोई अनुदान या चन्दा प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार से उक्त अवधि में प्राप्त अनुदान एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त चन्दे का विवरण निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	अन्य साधनों से प्राप्त चन्दा
1962-63	7,312.50	2,821.50
1963-64	14,974.07	2,963.15
1964-65	15,000.00	6,000.00
1965-66	18,367.00	5,702.00
1966-67	19,189.28	4,415.00
1967-68	8,617.00	

वित्तीय वर्ष 67-68 की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के पेटे अग्रिम अनुदान वित्तीय वर्ष 1965-66 का एरियर जो चालू वर्ष में स्वीकृत किया गया

1,924.18

1967-68 10,541.18

(5) 1 अप्रेल 1962 से 31 मार्च, 1967 तक प्रति वर्ष 5 प्रचारक व 5 सहायक प्रचारक, इस प्रकार कुल 10 प्रचारक रखे गये थे। प्रत्येक डिवीजन में एक प्रचारक व एक सहायक प्रचारक रखे जाते हैं। प्रचारकों को 100 रुपये तथा सहायक प्रचारक को 80 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री परसराम गंगाराम : प्रचारक की क्या क्वालीफिकेशन्स हैं ?

राव श्री नारायण सिंह : यह दलित वर्ग संघ स्वयं निर्धारित करता है ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या यह सही है कि 62 से 65 तक इस दलित वर्ग संघ का कार्यालय कहीं पर रहा ?

राव श्री नारायणसिंह : क्या सही है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस दलित वर्ग संघ का कार्यालय एम. एल. ए. क्वार्टर बी–13 जिसमें श्री अमृतलाल जो रहते हैं उनके गैराज में रहा और उसका किराया वसूल किया गया ? अब बतायें आप क्या यह सही है ?

राव श्री नारायण सिंह : कौनसा क्वार्टर नम्बर ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बी–13 के गैराज में है और यह सरकारी बंगला है और इस प्रकार से सरकारी बंगले को सबलेट नहीं किया जा सकता ?

राव श्री नारायणसिंह : देखूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या आपको मालूम है कि इसका यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट गवर्नमेन्ट को मिला और मिला तो किस साल का मिला ?

राव श्री नारायण सिंह : यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट किस बात का ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो आपने उत्तर दिया उसका ।

श्री अध्यक्ष : यह आगे का प्रश्न है । पहले तो, यह बतायें कि यह कार्यालय गैराज में रहा क्या ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा कोई और सीरियस बात हो नहीं सकती कि दलित वर्ग संघ का प्रेसीडेन्ट वहां रहे और उसी के गैराज में इसका कार्यालय रहे और उससे वह किराया वसूल करे। जितना क्वार्टर का किराया नहीं है उससे ज्यादा गैराज का किराया लिया गया । इससे ज्यादा एक मिनिस्टर के लिए और क्या सीरियस बात हो सकती है ...

श्री अध्यक्ष : वह उत्तर दे चुके हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उत्तर दिया है ?

राव श्री नारायण सिंह : इसकी मालूमात करके बताया जायेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाये This is a very Serious question and relating to the conduct of a Minister.

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जो रकम इस दलित वर्ग संघ को दी जानी है, उसके यटीलाईजेशन सर्टीफिकेट्स दिये जाते हैं और जिस मकान व

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कार्यालय होता है उसके मकान मालिक की रसीद किराये की देनी पड़ती है और बहरहाल यह कार्यालय बी-13 में रहा और अमृतलाल जी ने उसका किराया वसूल किया होगा और मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस सबकी जानकारी की जायेगी इसलिये इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाये और उसका उत्तर जानकारी मालूम करके दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : आपकी जानकारी में है कि ऑफिस दूसरी जगह पर रहा या कहां रहा ?

राव श्री नारायण सिंह : जो मेरी जानकारी में लाया गया है वह मैं निवेदन कर चुका हूं और इस विषय में कोई खास बात हो तो मैं जांच कर लूंगा।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि इस दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष और उनकी पत्नी इसके सदस्य हैं और उसके साथ ही साथ जो कि पन्नालाल बारूपाल और उनकी श्रीमती हैं वह भी इसके सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष : सही का सवाल ही नहीं है, वह सदस्य सूची में है। इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : इसको पोस्टपोन ही कर दिया जाये जब तक इसकी जानकारी नहीं आ जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो एम. एल. एज. को रहने के लिए क्वार्टर्स मिलते हैं उसमें कोई दफ्तर खोलें और किराया वसूल करें तो यह कोई साधारण बात नहीं है।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : वास्तव में मेम्बर्स को रहने के लिए जो क्वार्टर्स मिलते हैं और यदि वे इस तरह से दूसरों को किराये पर दे दिये जावें तो यह साधारण बात नहीं है और वास्तव में हमको करप्शन को रोकना है तो इस प्रश्न के बारे में मालूम करके फिर 8 दिन की अवधि में पुनः इसे रखें और मालूम करके बतायें। हम लोग ही करप्शन को नहीं रोकेंगे तो किस को कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह कहां पर आफिस रहा इसकी जानकारी उनको है क्या ? अगर आफिस कहीं दूसरी जगह रहा है तो उसके रेन्ट वगैरह के डाकुमेन्ट्स हैं वह सब लाये जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहां पर दफ्तर रहा, यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट देखी जायें और सारे अकाउन्ट्स देखे जायें और यहां पर पेश किये जायें।

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि इसको स्थगित किया जाये ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को टालने का प्रयत्न नहीं किया जाये 6 महीने से हम लोग वहां पर रह रहे हैं, वहां करीब 22 एम. एल. एज. रहते हैं। सतीशचन्द्र जी नम्बर 1 में रहते हैं, वहां भैरोंसिंह जी भी रहते हैं, श्रीमती नगेन्द्रबाला भी रहती थीं और सब लोग इस कार्यालय को देखते हैं, आप भी आते जाते देखते थे और ज्वालाप्रसाद जी के पास मैंने आपको कई बार आते जाते देखा है और बी-13 में आपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
भी यह कार्यालय को देखा होगा इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस केबीनेट का एक मेम्बर और वह इस तरह का करप्शन करे और उसको दबाने की कोशिश की जाये तो यह बहुत सीरियस बात है।

राजश्री श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से कोई शरण नहीं दी जाये...

श्री अध्यक्ष : शरण का कहां प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या रेन्ट चार्ज किया गया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 40 रु.

राव श्री नारायण सिंह : मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट को 25 रुपया देते हैं और 40 रुपया गैराज का चार्ज किया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जब समस्त विरोधी पक्ष के सदस्य मांग करते हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाये...

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित करता हूं।

श्री श्रवणलाल : इसके साथ ही साथ एक जानकारी और यह मंगा लें कि जो इन्होंने प्रचारक और असिस्टेन्ट प्रचारक बताये हैं उनके लिए मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आज तक कोई प्रचारक नहीं है और उनके झूठे बिल बनाकर उनकी रकम वसूल की गयी है। यह जानकारी की जाये कि कौन प्रचारक हैं, कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं या झूठे बिल बनाकर पैसे ले लिए जाते हैं ?

राव श्री नारायण सिंह : मेरे पास जानकारी आई है कि किराया वसूल नहीं किया गया है।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : सबसे अच्छा तो यह हो कि इस समाज कल्याण विभाग को बंद ही कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री भैरोंसिंह (अनुपस्थित) : नैक्स्ट

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने भैरोंसिंह जी के प्रश्न के लिए अथॉरिटी दे दी है।

श्री अध्यक्ष : तो पूछ लीजिए।

राजश्री श्री रूपसिंह : अगर इस तरह के करप्शन के काम हो रहे हैं तो उनके रोकने का एक ही इलाज हो सकता है कि इसके मुतल्लिक कोई विधायकों की कमेटी मुकर्रर की जाये और वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अगर इस तरह की कार्यवाही नहीं की गई तो करप्शन को रोका नहीं जा सकता। इसका एक ही इलाज है कि जांच कमेटी विधायकों की मुकर्रर करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस हाउस के 3 मेम्बर्स की एक कमेटी मुकर्रर की जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दल बदलने वाले करप्शन की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !!

राव श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन कर चुका हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मोशन मूव करता हूं कि इसकी जानकारी के लिए 3 सदस्यों की कमेटी मुकर्रर की जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह पालिया-मेन्ट में भी होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कमेटी किसी मिनिस्टर का करेक्टर संदेहास्पद हो तो बैठाई जा सकती है।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न को लेकर जो कुछ सदन में कहा गया और मंत्री महोदय ने इसके उत्तर में यह कहा है कि किराया जरूर चार्ज किया गया है जो रिपोर्ट उनके पास में आई है....

राव श्री नारायण सिंह : नहीं किया है।

श्री मथुरादास माथुर : मगर किस जगह पर मकान था यह देखने की बात है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करके जवाब दूंगा इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दें। प्रश्न स्थगित कर दिया गया है। वे जवाब दे दें उसके बाद में प्रश्न पैदा होगा कि क्या कार्यवाही की जाय। कई दफा माननीय सदस्यों के क्वार्टर्स पर कई आफिसेज लगाये जाते हैं और आफिसेज के बोर्ड भी देखे हैं।

एक माननीय सदस्य : किराया नहीं लेना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : सुनिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बार बार प्रश्न को वैव करने की कोशिश करते हैं। किराया चार्ज नहीं करते हैं झण्डा लगाने में कोई एतराज नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : इतने एम. एल. एज. कह रहे हैं तो क्या झूठ बोल रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! वित्त मंत्री बोल रहे हैं कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन है कि आफिस का वैसे होना अलग चीज है और आफिस का किराया उस जगह का लेना और दूसरी चीज है। उसकी जांच की जायगी और उसके बाद में कार्यवाही होगी। आफिस तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी हो सकता है और सोशियलिस्ट पार्टी का भी हो सकता है लेकिन किराया चार्ज नहीं कर सकते हैं। किराया चार्ज किया है तो उसकी जांच करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दलित वर्ग संघ का दफ्तर भले ही रहे वह सीरियस बात नहीं है लेकिन किराया चार्ज किया है वह सीरियस बात है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में खुदकाश्त आवंटन हेतु सुविधाएं सम्बन्धी नियमों में संशोधन

36. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) द्वारा पूछा गया : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जागीर पुनर्ग्रहण कानून के अन्तर्गत राजस्थान कैनाल में खुद काश्त आवंटन हेतु सुविधाएं सम्बन्धी नियमों में 1967 के संशोधन नियमों के द्वारा एक मुरब्बा भूमि के बजाय केवल 20 बीघा भूमि के आवंटन की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : जी हां, किन्तु राज्य सरकार ने एक रूपता रखने के विचार से पुनः निर्णय

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : जोर से बोलें।

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, किन्तु राज्य सरकार ने एकरूपता रखने के विचार से पुनः निर्णय ले लिया है कि भूतपूर्व जागीरदारों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में एक मुरब्बा 15·625 एकड़ अर्थात् 25 बीघा ही भूमि आवंटन की जाय और इसी अनुसार आवंटित हुए हैं और नियमों में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन में 20 बीघा पूछा गया है। मुरब्बे में 20 बीघा लिया जाता है या 25 बीघा ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री कालूराम आर्य।

ग्राम पंचायत बिलाडा के भूतपूर्व सरपंच को दिए गए ऋण

37. श्री कालूराम **आर्य** (बिलाडा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व सरपंच श्री मोतीसिंह ग्राम पंचायत बिलाडा को सन् 1961 से सन् 1964 तक कितनी कितनी राशि किस किस काम के लिए व्यक्तिगत ऋण की स्वीकृत की गई व कब कब ?

(2) क्या उक्त रकम नियमानुसार दी गई व क्या उक्त रकम का उपयोग किया गया ? अगर उपयोग नहीं किया गया तो उक्त रकम को अब तक वसूल न किये जाने का क्या कारण है ?

(3) सन् 1961 से 1966 दिसम्बर तक पंचायत समिति बिलाडा द्वारा दिये गये किस किस ऋण का उपयोग नहीं किया गया ? उसकी सूची ऋण लेने की तारीख सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए स्थगित करने की प्रार्थना है।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

श्री रामानन्द।

वनरूप बिहारीजी के मंदिर (अलवर) की व्यवस्था

38. श्री रामानन्द **अग्रवाल** (अलवर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर नगर में वनरूप बिहारीजी के मन्दिर के व्यवस्थापक कौन हैं व्यवस्थापकजी को मन्दिर की व्यवस्था के लिए देवस्थान विभाग से कितना रुपया वार्षिक मिलता है ।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान व्यवस्थापक जी इस मन्दिर की सेवा पूजा स्वयं नहीं करते, बल्कि राजाओं के जमाने से ही इस मन्दिर की सेवा पूजा एक बंगाली परिवार करता आ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि व्यवस्थापकजी कई वर्षों से इस मन्दिर के पुजारी को भोग सामग्री व पूजन सामग्री तथा वेतन नहीं दे रहे हैं ? क्या इस प्रकार की कोई शिकायत पुजारी अथवा भक्त लोगों की ओर से सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(5) क्या विभाग की ओर से मन्दिरों की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी ने कभी इस मन्दिर का निरीक्षण किया ? यदि हां, तो कब ? कृपया निरीक्षण की आखिरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) सरकार को इस मन्दिर की व्यवस्था सीधे तौर पर पुजारी को सौंपने में क्या ऐतराज है ? क्या सरकार भक्तजनों की राय जानकर इस दिशा में कदम उठाने का विचार रखती है ?

देवस्थान मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) अलवर नगर में श्री वनबिहारीजी के मन्दिर के व्यवस्थापक पं. योगेशचन्द्र कटौरीवाले हैं। देवस्थान विभाग से एन्युइटी के 3000.56 रु. वार्षिक मिलते हैं।

(2) जी नहीं। वे सेवा पूजा स्वयं भी करते हैं तथा उनका सहायक पुजारी जो बंगाली परिवार के हैं वे भी सेवा पूजा करते हैं।

(3) जी नहीं। शिकायत जनवरी 1967 में राज्य सरकार को प्राप्त हुई।

(4) निरीक्षक द्वारा जांच की गई। व्यवस्थापक द्वारा पुजारी को 700 रु. दिया जाना पाया गया।

(5) जी हां, 15-10-66 को निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) यह मंदिर सुपुर्दगी श्रेणी का है। श्री योगेशचन्द्र को सरकार द्वारा सुपुर्दगी में दिया हुआ है। सेवा पूजा की व्यवस्था की जिम्मेवारी व्यवस्थापक पर है अतः पुजारी को सीधी व्यवस्था सौंपने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट सं. 3 देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो व्यवस्थापक नियुक्त किये गये हैं वे कब नियुक्त किये गये ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : लगभग 1951 के आसपास।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1951 के पहले इसका व्यवस्थापक कौन था ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : यह कोर्ट ऑफ वार्ड्स की व्यवस्था में था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोर्ट ऑफ वार्ड्स किस की ओर से मुकर्रर था ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इसकी सूचना अभी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि 1951 से पहले श्री योगेशचन्द्र कटौरी वाले का इस मन्दिर से कोई सम्बन्ध नहीं था ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मैं ने निवेदन किया कि इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह बंगाली पुजारी परिवार सन् 51 से पहले से इस मन्दिर की सेवा पूजा कर रहा था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

Page No. 22

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह जो निरीक्षण की रिपोर्ट पेश की है मो मैंने आपसे बाद वाली रिपोर्ट मांगी थी। क्या यह सही है कि 15-10-66 के बाद भी और सन 67 में भी इस मन्दिर का निरीक्षण हुआ है, और निरीक्षण की निरीक्षक ने एक एडवान्स रिपोर्ट इस व्यवस्थापक के विरुद्ध दी है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो रिपोर्ट मुझ से मांगी गई थी जनवरी 67 की वह तो 15-10-66 की रिपोर्ट आपको पेश करदी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेटेस्ट नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके बाद दूसरा निरीक्षण हुआ हो तो यह मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह गवर्नमेन्ट की नीति है कि मन्दिर जैसे कार्य में जो आदमी स्वयं सेवा पूजा करे और जो करता आ रहा है कितने ही वर्षों से आपने भी माना है कि 51 से पहले से वह बंगाली करता था तो उसे सीधा मन्दिर न मिलकर और मिडिल मैन उसके अन्दर पैदा करें तो इसको आप कहां तक उचित मानते हैं?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री रूप सिंह !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : it is matter of Opinion नैक्स्ट ! श्री रूप सिंह।

तहसील सरदारशहर व तारानगर में सड़क निर्माण कार्य

39. **राजवी श्री रूप सिंह** (सरदार शहर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सरदार शहर व तहसील तारानगर (जिला चूरू) में सन् 1965 से अब तक अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत कौन कौन सी सडकों का निर्माण हुआ है।

(2) प्रत्येक सड़क का कितने कितने मील कार्य हुआ है और उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है?

(3) ये सडकें अब भी मौजूद हैं या टूट–फूट कर खत्म हो गई हैं? यदि मौजूद हैं, तो कहां-कहां मौजूद हैं?

उप मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जहां जहां पत्थर की कटाई व बिछाई का कार्य हो गया वहां सडकें अभी मौजूद हैं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

प्रश्न संख्या 40

श्री दिग्विजय सिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

ग्राम पंचायत चेंडा में काश्त को भूमि का आवन्टन

41. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1964-65 व 66 में ग्राम पंचायत चेंडा, पंचायत समिति रोहट, तहसील पाली में किन-किन को कितनी-कितनी जमीन काश्त के लिए आवन्टित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि जिन-जिन को भूमि एलाट की गई है उनको अभी तक परमिशन स्लिप नहीं दी गई है? यदि हां, तो कब तक उन्हें परमिशन स्लिप दे दी जायगी?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सन् 1964-65 में ग्राम पंचायत चेंडा पं. सं. रोहट तहसील पाली में कोई भूमि-आवन्टन नहीं हुआ।

सन् 1965-66 में विभिन्न 16 व्यक्तियों को भूमि आवन्टित की गई थी जिसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां, अभी तक उन व्यक्तियों को सनदें नहीं दी गई हैं, जिन्होंने सनद के लिए निर्धारित शुल्क की राशि 5) रु. जमा नहीं कराई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : यह एलाटमेन्ट जो हुआ है 66 में तो वे उस समय गांव में मौजूद थे?

श्री गंगाराम चौधरी : विस्तृत सूचना नहीं है इस वक्त मेरे पास। जो आपने पूछा था उसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री गंगाराम चौधरी : आपने जो सूची पेश की है उसको देखने से मालूम होता है कि इसमें तीन व्यक्तियों को जो नाबालिग हैं उनको भी एलाट भूमि करदी गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा, (राजस्व मन्त्री) : यह आप बतायें कि कौन कौन से तीन नाबालिग हैं उनको मैं मार्क कर लूंगा ताकि जानकारी करा लूं। आइटम नम्बर?

श्री मूलचन्द डागा : तेज सिंह, भभूतसिंह और मूल सिंह ये उदयसिंह के लड़के हैं और उस गांव के रहने वाले भी नहीं हैं और 11 आदमी ऐसे हैं जो पाली के रहने वाले हैं और पाली के रहने वालों को 20 मील दूर गांव के अन्दर एलाट कर दी गई है और जो नाबालिग हैं तो उसकी जांच कराई जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपसे बात करके जानकारी करके कार्यवाही करूंगा।

प्रश्न संख्या 42

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम!

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 53

श्री लादूराम सुलानिया!

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

माही · प्रोजैक्ट

44. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माही प्रोजैक्ट प्लानिंग कमीशन द्वारा एप्रूव्ड नहीं है ?

(2) उक्त प्रोजैक्ट पर प्रति वर्ष एस्टेब्लिशमेन्ट व वर्क्स पर कितना प्रावधान बजट में रखा गया है ?

(3) वर्ष 67-68 में उक्त प्रोजैक्ट पर बजट प्रावधान कितना है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्यपाल के एडवाइजर्स ने उक्त प्रोजैक्ट को बंद करने का निर्णय लिया था ? अगर हां, तो क्यों व कब ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रोजैक्ट को बन्द करने की सिफारिश मुख्य अभियन्ता ने भी की थी ? अगर हां, तो कब और क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने भी एडवाइजर्स की सलाह पर उक्त प्रोजैक्ट को बन्द करने के आदेश प्रसारित किए थे ? अगर हां, तो कब व क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त आदेश को नए मन्त्रिमण्डल बनने पर स्थगित कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(1) जी हां।

(2) उक्त प्रोजैक्ट पर प्रति वर्ष बजट एस्टीमेट में 1962।63 से 1967-68 तक प्रावधान निम्न प्रकार से हैं:—

बजट एस्टीमेट माही प्रोजैक्ट:—

	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67
वर्क्स	24-42	18-81	15-35	4-70	23-25
एस्टेब्लिशमेन्ट	6-00	1-55	2-80		2-10

(3) 25 लाख रुपये।

(4) राज्यपाल महोदय के एड-वाइजर्स के कार्यकाल में फण्ड्स की कमी के कारण अमले को धीरे धीरे कम करने का निर्णय लिया था और यह भी निर्णय लिया था कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये धनराशि जुटाई जाये।

(5) मुख्य अभियन्ता ने समय-समय पर अधिक राशि उपलब्ध कराने के लिये लिखा था। धनराशि उपलब्ध न होने की सूरत में उसने अमले को हटाने का प्रस्ताव भेजा था।

(6) राज्य सरकार ने अमले को हटाने के व कार्य को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण करने के आदेश दिनांक 28-4-67 को जारी किए थे।

(7) धन उपलब्धि की आशा में उक्त आदेश स्थगित कर दिए गए थे।

(12 मध्यान्ह)

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न के खंड (3) के अन्तर्गत आपने 25 लाख की राशि बताई है उसमें से रेकरिंग एस्टेब्लिशमेन्ट वगैरह पर कितना प्रावधान था और दूसरा कितना रखा गया है ?

Page No. 25

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : यह लम्पसम अमाउन्ट रखा गया है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सही है कि इस प्रोजैक्ट से गुजरात स्टेट भी सम्बद्ध है और गुजरात स्टेट को भी इससे फायदा होने वाला है?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : इस प्रोजैक्ट से गुजरात सरकार को भी फायदा होगा।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : अब तक जितना व्यय होने का एस्टीमेट बताया गया है क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने अब तक उसमें से एक पैसा भी नहीं दिया है?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। दरअसल सन् 1958 में यह योजना पहले राजस्थान के लाभ के लिये बनाई गई थी और भारत सरकार ने 3 करोड की स्वीकृति दी थी और सन् 1958 के बाद उस स्वीकृति के अनुसार काम शुरू किया गया था लेकिन उसके बाद गुजरात के अन्दर बापनडोरी प्रोजैक्ट बना उससे सिंचाई जितनी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो सकी इसलिये उसके बाद कढाना पर बांध बनाना प्रारम्भ किया लेकिन क्योंकि कढाना की ऊंचाई ज्यादा रखना चाहते थे और उसके कारण गलियाकोट जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है वह डूब में आता था इसलिये यह पोसिबिलिटी एक्सप्लोर की गई कि बांसवाडा का माही डैम ऊंचा कर दिया जाय जिससे गुजरात को भी पानी मिल जाय और अपने यहां का भी काम पूरा हो जाय और अपने को भी बिजली मिल जाय इसलिये यह योजना बनाई गई । सन् 1962 में इसके लिये स्वीकृति मिल चुकी है और उसके अनुसार कार्य शुरू हो चुका है और 1 करोड 30 लाख रुपया अपन खर्च कर चुके हैं। इस बीच में दोनों स्टेट्स के मुख्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री गुजरात स्टेट और इरिगेशन और पॉवर मिनिस्टर गुजरात और राजस्थान के बीच एक मीटिंग अहमदाबाद, गुजरात में हुई। दोनों स्टेट्स के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाय लेकिन फण्ड्स की कमी के कारण नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग प्लानिंग कमीशन में कोशिश कर रहे हैं कि जितना रुपया चाहिये उतना मिल जाय । गुजरात स्टेट ने भी स्वीकार किया है कि 62 से अब तक जो खर्चा हुआ है उसका शेयर वे देंगे। इस पर कुल 15 करोड रुपया खर्च होने का अनुमान है उसमें से 8 करोड के लगभग का शेयर गुजरात का बनता है। जो हमने खर्चा कर दिया है अब तक उसका अपना शेयर देना उन्होंने मन्जूर किया है। हम आशा रखते हैं कि प्लानिंग कमीशन द्वारा क्लीयरेन्स कर दिया जायगा, इस आशा में काम चालू है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने अब तक लिखित स्वीकृति किसी प्रकार की नहीं दी है?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : एग्रीमेन्ट हो चुका है।

श्री **अध्यक्ष** : नैक्स्ट ! श्री फूलचन्द बाफना।

ग्रामों को शक्कर का आवन्टन

45. श्री **फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 26

(श्री फूलचन्द बाफना)

(1) तहसीलदार गांवों को शक्कर आवन्टित करते हैं वे किन नियमों के अधीन करते हैं? यदि कोई नियम नहीं हैं तो क्या वे अपनी इच्छानुसार ही शक्कर का आवन्टन करते हैं?

(2) उपभोक्ताओं, हलवाईयों, होटलों, कन्फेक्शनरियों आदि को तहसीलदार किन नियमों के अधीन शक्कर आवन्टित करते हैं?

(3) पाली जिले की बाली व देसूरी तहसील के तहसीलदारों ने गत तीन महीनों में किन किन गांवों को कितनी कितनी शक्कर आवन्टित की और उन सम्बन्धित गांवों ने वास्तव में कितनी कितनी शक्कर प्राप्त की?

(4) आवन्टित शक्कर से कितनी कम शक्कर उठी और इस बची हुई शक्कर का वितरण इन तहसीलदारों ने किस प्रकार किया?

(5) इन दोनों तहसीलों के गांवों के शक्कर डीलर्स अपनी दुकानों पर शक्कर कब कब लाये और उन्होंने वितरण किस किस तारीख को किया एवं अत्यधिक वितरण कौनसी तारीख को किया?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) तहसीलदार गांवों में चीनी वितरण का कार्य राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के आधार पर करते हैं।

(2) नवम्बर, 1967 से पूर्व भारत सरकार राज्य सरकारों को कन्ज्यूमर्स हेतु जो चीनी का आवन्टन करती थी उसी नीति के अनुसार में प्रत्येक जिले को हलवाइयों, होटलों, कन्फेक्शनरियों आदि के हेतु चीनी का आवन्टन किया जाता था। प्रत्येक जिले की तहसीलों में इन थोक उपभोक्ताओं को चीनी वितरण का कार्य जिला स्तर पर किया जाता रहा है। नवम्बर, 1967 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई नीति के अनुसार अब तक थोक उपभोक्ताओं को राशन की चीनी नहीं दी जानी है।

(3) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) यह सूची भी सदन की मेज पर रखदी गई है।

(5) इन तहसीलों के गांवों के शक्कर डीलर्स अपनी दुकान पर शक्कर किन किन तिथियों को लाये उनकी सूचना संलग्न सूची में उपलब्ध है उन्होंने वितरण किस किस तारीख को किया एवं अत्यधिक वितरण कौनसी तारीख को किया इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय, कई गांवों को 3 महीनों तक कतई शक्कर नहीं मिली। यदि कोई दुकानदार शक्कर नहीं उठाता है तो उस गांव में शक्कर वितरण करने का कोई दूसरा इन्तजाम नहीं किया जा सकता क्या?

श्री परसराम मदेरणा : बाली तहसील में 75 रिटेलर्स हैं उनको शक्कर हर महीने आवन्टित की गई? देसूरी तहसील में 48 रिटेलर्स हैं उनको भी शक्कर दी गई। बाली तहसील के कुछ गांवों के रिटेलर्स शक्कर

(श्री परसराम मदेरणा)
उठाने नहीं आये होंगे तो उनको नहीं मिली होगी। रिटेलर्स को शक्कर उठा कर वितरण करना चाहिये। पंचायत समितियों को और सरपंचों को भी इस बारे में कह दिया गया है।

श्री फूलचन्द बाफणा : देसूरी तहसील के कुछ गांवों को कन्टीन्युएसली 3 माह तक शक्कर नहीं मिली। इसमें लोगों का क्या दोष था जिसके कारण उनको शक्कर नहीं मिली ?

श्री परसराम मदेरणा : रिटेलर्स ने नहीं उठाई होगी। बाली तहसील में 75 जगह शक्कर का वितरण होता है। अक्टूबर माह में बाली तहसील के 3 गांवों में, नवम्बर में 4 गांवों में और दिसम्बर में 2 गांवों के डीलर्स ने शक्कर नहीं उठाई। इसी तरह देसूरी तहसील में अक्टूबर में 1 गांव के डीलर ने शक्कर नहीं उठाई, नवम्बर में 2 गांवों के डीलर्स ने और दिसम्बर में 6 गांवों के डीलर्स ने शक्कर नहीं उठाई।

श्री फूलचन्द बाफणा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कुनारिया गांव के लोगों को 3 माह से शक्कर नहीं मिल रही है। वहां के डीलर्स ने शक्कर नहीं उठाई तो ग्रामीणों ने क्या अपराध किया था कि उनको शक्कर देने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : कुनारिया गांव के लोगों को अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में शक्कर मिली या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। उस रिटेलर ने शक्कर नहीं उठाई तो कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार था या नहीं। कई बार तहसीलदार के सामने यह दिक्कत आती है पंचायत समिति के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं तो लेने को तैयार नहीं होते। इस गांव में अक्चुअल क्या पोजीशन थी यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफणा : बाली तहसील में जो शक्कर वितरण की गई है इसमें बताया गया है कि 323 क्विन्टल वितरण की गई है लेकिन अलग अलग जोड़ लगाते हैं तो जोड़ 339 क्विन्टल आती है। यह 16 क्विन्टल कैसे बढ गई? घट तो सकती है लेकिन ज्यादा बढ कैसे गई ?

श्री परसराम मदेरणा : जोड़ के आंकडों का रिकन्सीलियेशन नहीं होने के कारण यह गलती रह गई होगी। जोड़ लगाने के बाद कलैक्टर को कल ही फोन पर पूछा था और उन्होंने कहा कि तहसीलदार को पूछ कर बता सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जोड़ तोड़ में माहिर सरकार जोड़ लगाने में कैसे भूल जाती है ?

श्री गोरधन सोनी : (अश्रव्य) . . . .

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं भी बाली तहसील का रहने वाला हूं। बात यह है कि शक्कर के डीलर्स ब्लैक का धधा चलाते हैं। वे लोग सुमेरपुर और रानी में जाकर शक्कर ब्लैक में बेच कर चले जाते हैं और गांवों के लोगों को शक्कर नहीं मिलती इस पर जब वे चिल्लाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कलैक्टर इन्क्वायरी

(पृथ्वीसिंह)
नहीं कराता। इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है। मुन्डारा के लोगों को शक्कर नहीं मिली वहां के लोगों में त्राहि त्राहि मची....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! भाषण नहीं।

श्री पृथ्वी सिंह : वहां के शुगर डीलर्स, शुगर सुमेरपुर, राणी के मार्केट में बेच कर चले जाते हैं और गांवों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार की कोई शिकायत बाली की और देसूरी तहसील की, कि होल सेल डीलर शक्कर रिटेलर्स को नहीं देता है, राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि कुछ महीने के पहले मैं सुमेरपुर की तरफ से जा रहा था, उस समय माननीय सदस्य मिले थे तो उस समय शिकायत करते तो मेरे पास में कोई कान्क्रीट शिकायत होती जिसके ऊपर मैं जांच करवाता। मुझे पता नहीं है कि कलैक्टर के पास में ऐसी कोई शिकायत हुई है या नहीं ? और हुई है तो उस पर जांच का क्या नतीजा रहा है, यह मैं आफ हैण्ड आपको इत्तला नहीं दे सकता। केवल एक इशारा मैं दे सकता हूं कि कोई कान्क्रीट शिकायत किसी डीलर के बारे में हो कि उसने किसी रिटेलर को शक्कर नहीं दी है या शक्कर का ब्लेक मार्केट किया है तो मैं उस पर एक्शन लूंगा।

श्री भगवान दास शास्त्री : राजस्थान के सब गांवों की यही हालत है।

श्री अध्यक्ष :—श्री जुझार सिंह : 46 !

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! 46 !

श्री फूलचन्द बाफना : एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

तहसील सांगोद में लिफ्ट इर्रिगेशन द्वारा सिंचाई

श्री जुझारसिंह : —क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चम्बल राइट मेन केनाल से कितना क्षेत्र लिफ्ट इर्रिगेशन द्वारा सिंचित किये जाने की योजना है और कब से ? कृपया गावों के नाम उनमें सिंचित किये जाने वाले रकबे की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों पर कालोनाइजेशन के नियम लागू होने के कारण जमीन के एलाटमेन्ट, ट्रान्सफर व इन्तकाल आदि में दिक्कत आती है ? यदि हां, तो जब तक लिफ्ट योजना चालू नहीं हो जाती, क्या सरकार इन पाबन्दियों को हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सांगोद तहसील के परवन व काली सिन्ध एक्वेडक्ट के बीच के लिफ्ट योजना में आने वाले गांवों में से बहुत से गांवों में उजाड़ नदी से लिफ्ट इर्रिगेशन के साधन उपलब्ध हो गये हैं या हो सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार चालू योजनाओं को बढ़ावा देने व उजाड़ नदी में

(श्री जुझारसिंह)
पानी के स्तर को छोटे छोटे बांध बनाकर ऊंचा करने का प्रबन्ध करने का विचार रखनी है ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम मन्डोता व पालक्या तहसील सांगोद उजाड़ नदी का लिफ्ट ईरिगेशन की योजना से इन गांवों के अलावा कुछ और गांवों में भी सिंचाई की जा सकनी है ? यदि हां, नो क्या सरकार यहां पर उक्त साधन उपलब्ध करने का विचार रखनी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) चम्बल परियोजना की दाईं नहर से लिफ्ट द्वारा 88,000 एकड कुल कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने की योजना है।....

श्री जुझारसिंह : जोर से बोलिये, लड्ढा साहब !

श्री कृष्णकुमार गोयल : रिपीट करिये।

श्री जुझार सिंह : जोर से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आवाज में अन्तर आ गया मालूम पड़ता है।

श्री रामप्रशाद लड्ढा : (1) चम्बल परियोजना की दाईं नहर से लिफ्ट द्वारा 88,000 एकड़ कुल कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने की योजना है। ढाई करोड़ रुपये की लिफ्ट योजना सन् 1965 में बनी थी और उसके उपरान्त सेन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन नई दिल्ली को भेजी गई थी। उनके कुछ ऐतराजों का जवाब दिया जा रहा है। लिफ्ट योजना का तखमीना स्वीकृत होने तथा धनराशि उपलब्ध होने पर निश्चित कहा जा सकता है। गांवों की सूची संलग्न है।

(2) जो गांव चम्बल प्रोजैक्ट के कालोनी क्षेत्र में आते हैं उन पर राजस्थान कालोनाइजेशन एक्ट एवं उसके अन्तर्गत बने हुए रूल्स लागू होते हैं। इन गांवों को जब कि सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता तो किसानों के सामने दिक्कतें आनी हैं। उनके निवारण करने के लिये सरकार विचार करेगी।

(3) हां, यह सही है कि तहसील सांगोद में उजाड़ नदी से लिफ्ट ईरिगेशन के साधन उपलब्ध हुए हैं और निम्न स्थानों पर पम्पिग स्टेशन लगाए जा चुके हैं।

(1) कुन्दनपुर, (2) हिंगों, (3) अतरालिया।

वर्नमान आवश्यकता को देखते हुए पानी के स्तर को छोटे छोटे बांध से ऊंचा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नदी काफी गहरी है जिसमें आवश्यकता से अधिक पानी अभी उपलब्ध है।

श्री जुझारसिंह (मन्त्री महोदय के बैठने पर) : चौथा और है।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (4) ग्राम मंडिता व पालक्या तहसील सांगोद उजाड़ नदी पर कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझार सिंह : आपने यह फरमाया, कुन्दनपुर और तीनों जगह पर लिफ्ट के लिए

(श्री जुझारसिंह)
डीजल सैट्स लगाये हुए हैं। इनमें से जो गांव आपके चम्बल कमाण्ड एरिया में भी लिफ्ट ईरिगेशन स्कीम में आते हैं उन गांवों में यानि कुन्दनपुर, मन्डीता और पालक्या में जो कमाण्डेड एरिया के लिफ्ट ईरिगेशन के गांव हैं इनमें डीजल सैट्स का इन्तजाम कर दिया गया है और अच्छी तरह से सिंचाई हो रही है। आपके कहने के माफिक नदी में पानी भी काफी है। लेकिन क्या मौजूदा लिफ्ट की स्कीम जो चालू की हुई है और जो कमाण्डेड ऐरिया के अन्दर लिफ्ट ईरिगेशन कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए चम्बल लिफ्ट स्कीम से इन गांवों को हटाने का सरकार विचार करेगी ?

श्री **राम प्रसाद लड्ढा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल की योजना है वह काफी बड़ी है और काफी रकबा इरींगेट करेगी। हमने जो पम्पिग सैट्स की व्यवस्था की है, वह साधारण व्यवस्था है। उसको इस बात से आंका जा सकता है कि कुन्दनपुर में 1965-66 में 30 एकड को सिंचित कर सके, 1966-67 में 102 एकड और 1967-68 में केवल 107 एकड को सिंचित कर सके। इसी तरह से जो दूसरा बाला है, उसमें 2,87 और 150 एकड को सिंचित कर सके। तीसरे के अन्दर केवल 35 और 400 को सिंचित कर सके। यह जो थोडा एरिया है वही सिंचित हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि स्कीम इस तरह लागू करने से मंहगी पडती है और जो बडी स्कीम को बना रहे हैं वह सस्ती पडेगी। यह अन्तरिम अरेन्जमेन्ट है और मौके पर जो कुछ काम किया है, पम्पिग सैट बना कर उस तरह व्यवस्था की है।

श्री **जुझारसिंह** : अध्यक्ष महोदय, कुन्दनपुर और जिन गांवों के नाम आपने लिए हैं यह दो बड़ी बड़ी नदियों के एक्वेडक्ट के बीच में हैं। काली सिन्ध और परबत नदी। इस क्षेत्र में लिफ्ट में करीब छः या सात गांव से ज्यादा नहीं आते। उनमें इस लिफ्ट का इन्तजाम करने में खर्चा ज्यादा पडेगा क्योंकि दो नदियों के बीच में है। और नदियों के दूसरी तरफ से लिफ्ट करेंगे तो उसमें उल्टा पानी लाना पडेगा। उससे खर्चा ज्यादा होगा। चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्दर जो गांव हैं और उनमें से इन दो नदियों के जो बीच का एरिया है उसमें छः गांव आते हैं। उनमें से तीन चार गांवों में लिफ्ट के साधन उपलब्ध हैं। इन्हीं का डवलपमेन्ट करें तो इसमें खर्चा कम आयेगा और गांव वालों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी बनिस्बत इसके कि चम्बल कमाण्ड एरिया की ईरिगेशन स्कीम से पानी दें। चम्बल लिफ्ट स्कीम की अभी कोई तारीख नहीं है कि कितने साल में पानी दे सकेंगे—इसका कोई अन्दाज नहीं है। मेरा निवेदन है कि क्या इस स्कीम के बजाय मौजूदा लिफ्ट के प्रबन्ध को सुदृढ बनाने का सरकार विचार करेगी ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने निवेदन किया कि हमारे पास लिफ्ट ईरिगेशन योजनाओं के लिये विशेष फण्ड अलग से नहीं है। यह थोडी बहुत योजनायें राजस्थान में बनी थी और चूंकि इनमें काफी घाटा सरकार को होता है और धनराशि की कमी है इसलिये मैं तहकीकी तौर पर तो नहीं कह सकता कि हम इन योजनाओं को ले लेंगे। सर्वेक्षण करने के बाद ही हम कुछ तय कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सालोदिया ! नैक्स्ट !

श्री जुझार सिंह : एक रेलेवेन्ट प्रश्न है, आपने ढाई करोड की स्कीम के और 88 हजार एकड भूमि के लिये फर्माया। चम्बल कमाण्डेड एरिया है उससे मौजूदा स्कीम से इस टाइम में कितनी भूमि ईरिगेट करने वाले थे और उसमें कितनी आपके हिसाब से कमी होने वाली है ? जो ओरिजिनल स्कीम थी उससे और, जो स्कीम अभी जारी हो रही है, उसमें कमी आ गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्कीम के दोनों भाग बन जाने के बाद, प्रोजैक्ट के बाद ही ईरिगेशन हो सकता है या नहीं–यह कह सकता हूं।

श्री जुझार सिंह : क्या यह सही है कि आपके वाटर लोगिंग, वीडिंग और सीपेज की वजह से चम्बल कमाण्ड एरिया में जितने एरिया में सिंचाई होने का अनुमान था उसमें सिंचाई का लक्ष्य कम करना आवश्यक हो गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वाटर लोगिंग की प्राबलम को हल करने की अलग योजना बनी है। उसके अन्दर इसको काफी हद तक रोका जा चुका है। जो काम जारी है उसको पूरा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! (व्यवधान) आर्डर प्लीज !

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। क्या रकबा कम हो गया है इस स्कीम की वजह से. . . .

श्री अध्यक्ष : 47 !

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या सरकार यह बतायेगी कि लिफ्ट ईरिगेशन. . . .

श्री अध्यक्ष : 47 !

श्री कृष्ण कुमार गोयल : की ढाई करोड की स्कीम के आधार पर जो 88 हजार एकड कृषि योग्य भूमि की बात कही. . . .

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण ! आर्डर प्लीज ! इस तरह सभी प्रश्न रह जायेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं इस कारण से इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं कि 88 हजार एकड जमीन में से आधी भूमि में भी लिफ्ट ईरिगेशन को इन्ट्रोड्यूज नहीं किया गया है। इससे किसानों पर प्रभाव पड़ा है। आज सारे किसान परेशान हैं और टेनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट करने के कारण वे अफेक्टेड हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरा प्रश्न ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! थोडा कोपरेशन दीजिये। कई माननीय सदस्यों के प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे। श्री सालोदिया!

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने मुझे इजाजत दे दी है ।

श्री अध्यक्ष : दे दी ! समाज कल्याण मन्त्री !

चल चित्रों का प्रदर्शन

47. **श्री जयनारायण सालोदिया** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(1) समाज कल्याण विभाग के पास कितने चलचित्र हैं ?

(2) इन चलचित्रों को प्राप्त करने में सरकार का कितना रुपया अब तक खर्च हो चुका है ?

(3) इन चित्रों को प्रदर्शित करने क लिए प्रोजक्टर्स आदि मशीनों पर कितना व्यय अब तक किया गया है ?

(4) कौन से और कैसे चलचित्र खरीदे जावें इस संबंघी निर्णय कौन करता है और किस आधार पर ?

(5) इन चलचित्रों को कहां कहां दिखाया जाता है और किस आधार पर ?

(6) इन चलचित्रों के प्रदर्शन के लिए कितने कर्मचारी नियुक्त हैं और इन पर वार्षिक व्यय कितना किया जाता है ?

समाज कल्याण मंत्री (राव श्री नारायण सिंह) : (1) इस समय समाज कल्याण विभाग में 25 पूरे चलचित्र और 24 छोटी फिल्में डाकूमेन्ट्री हैं ।

(2) इन फिल्मों को खरीदने में विभाग का कुल 67108.78 रुपये व्यय हुए हैं ।

(3) चल चित्रों के प्रदर्शन करने के लिए प्रोजक्टर्स आदि पर कुल 40045.24 रुपये व्यय हुए हैं ।

(4) समाज कल्याण विभाग से संबंधित विषयों से संबंधित निदेशक के निर्णयानुसार चलचित्र खरीदे जाते हैं ।

(5) इन चलचित्रों को राजस्थान के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों की बस्तियों, विभागीय संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है ।

(6) चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये नियुक्त कर्मचारियों और उन पर होने वाले वार्षिक व्यय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : नम्बर चार में आपने बतलाया कि संबंधित सलाहकार की सलाह से खरीदे जाते हैं । यह संबंधित सलाहकार कौन है ?

राव श्री नारायण सिंह : निदेशक !

श्री जयनारायण सालोदिया : निदेशक कौन है ?

राव श्री नारायण सिंह : निदेशक ?

श्री जयनारायण सालोदिया : निदेशक से आपका क्या मतलब है ?

राव श्री नारायण सिंह : समाज कल्याण विभाग के निदेशक हैं वह हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा) : डाईरेक्टर !

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने लिस्ट दी है चित्रों की उससे मैं यह बता सकता हूं कि इन सारे चलचित्रों में से कोई सामाजिक चलचित्र नहीं है, समाज कल्याण से संबंधित नहीं है फिर क्यों विभाग द्वारा स्वीकृति किये गए हैं ?

राव श्री नारायण सिंह : समाज कल्याण से संबंधित हैं इसलिए खरीदे गए हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं नाम पढ़ देता हूं, चार दिल और चार राहें, साहब बीबी गुलाम, नीला आकाश, मुसाफिर ।

राव श्री नारायण सिंह : मैं निवेदन करूं कि इक जन चल चित्रों में अस्पृश्यता

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या ?

राव श्री नारायण सिंह : मद्य पान ...

श्री जयनारायण सालोदिया : जरा दुबारा कहें ।

श्री नारायण सिंह : भिखारी और दूसरी अस्पृश्यता आदि के बारे में हो अथवा दूसरी जो समस्यायें हैं समाज कल्याण से संबंधित, उसके विषय में थोड़ा बहुत बताया गया हो तो उसको खरीदा जाता है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह चित्र मैंने देखे हैं । यह चित्रों की लिस्ट पढ़ी है, इन 25 चित्रों में एक चित्र भी ऐसी नहीं है जो समाज कल्याण में फिट होता हो, सब ही अनफिट होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्यार है । प्यार से उठान चाहते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मनोरंजन तो होता है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री फतहसिंह ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फिल्म देखे भी है या ऐसे ही कह रहे हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : देखे हैं ।

मजदूरी का भुगतान

48. श्री **फतहसिंह** (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह बात सही है कि सन् 1966 में दुर्भिक्ष पीडित जनता की सहायतार्थ ब्यावर तहसील में चलाये गये कार्यो पर काम करने वाले सैकडों व्यक्तियों की अब तक मजदूरी नहीं मिली है ?

(2) क्या यह बात सही है कि कोटडा कालिजर रोड (ब्यावर तहसील) पर सन् 1966 में काम करने वाली गेंग 7 को ता. 16-7-66 से 23-7-66 तक की मजदूरी अब तक नहीं दी गई है ?

(3) ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में सन् 1967 में कहां कहां सहायतार्थ कार्य खोले गये और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(4) क्या यह बात सही है कि दुर्भिक्ष स्थिति बनी रहते हुए भी ता. 1-8-67 से ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में चल रहे सभी राहत कार्य बन्द कर दिये गये ?

उप मंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं ।

(2) कोटडा कालिजर सड़क (तहसील ब्यावर) पर सन् 66-67 में काम करने वाली गेंग नं. 7 के कुछ मजदूरों को इसलिये भुगतान नहीं किया गया कि उनको काम करने के लिये दिये गये औजार उन्होंने वापस नहीं लौटाये ।

(3) तहसील ब्यावर से सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **फतेहसिंह** : प्रश्न के भाग दो में जो पूछा गया है कि 16-7-66 से 23-7-66 तक की मजदूरी नहीं दी गई, तो वह मजदूरी कब दी गई है ?

श्री **गंगाराम चौधरी** : इसमें तिथि नहीं है, लेकिन जब काम होता रहा, उसी वक्त चुका दी। एक ही गेंग का बकाया है।

श्री **फतेहसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब बिल्कुल गलत आ रहा है, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि इनको मजदूरी का चुकारा नहीं किया गया है, 25-8-67 को वहां के नागरिकों ने लिखित सूचना दी है कि इस अवधि की मजदूरी उनको नहीं मिली है। दुर्भिक्ष सहायता कार्य में जिन लोगों ने मजदूरी की उनकी मजदूरी का चुकारा डेढ साल तक नहीं किया जाय यह तो हमारे लिये और सरकार के लिये शोभा की बात नहीं हो सकती, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवाइये। बात यह है कि काम हुआ, कालिंजर कोटडा रोड का, जो ब्यावर से 12 मील दूर है। उन मजदूरों को औजार ले कर 12 मील दूर बुलाया गया सैंकड़ों मजदूर औजार लेकर 12 मील चल कर आये पर उनको पेमेन्ट नहीं हुआ और मजदूर औजार लेकर वापिस लौट गये। अब तक उनको पेमेन्ट नहीं हुआ है।

भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : चुनाव होते तो एक दिन पहले ही चुकारा कर देते।

मंत्री, अकाल सहायता (श्री परसराम मदेरणा) : राजस्थान सरकार के पास सूचना यह है कि गेंग नं. 7 ने टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जमा नहीं कराये इसलिये पेमेन्ट नहीं किया। आज सुबह ही एक्स. ई. एन. ने इत्तिला दी कि मौके पर तहसीलदार और ओवरसियर गये थे लेकिन मजदूर वहां नहीं मिले, मेट मिला, उसने कहा कि पूरा चुकारा मुझे कर दिया जाय मैं सब का चुका दूंगा . . .

अनेक माननीय सदस्य : खूब, खूब।

श्री **परसराम मदेरणा** : सुनिये, हल्ला करना चाहते हैं तो दूसरी बात है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : What do you mean by halla ?

श्री **विजयसिंह रावत** : हल्ला करने का कैसे कहा . . .

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री **विजयसिंह रावत** : हल्ला करने का कैसे कह दिया, एक तो चुकारा नहीं करते . .

श्री **अध्यक्ष** : हल्ला कर रहे हैं।

श्री **विजयसिंह रावत** : एक तो मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं देते और कहते हैं हल्ला करते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, श्री रावत !

श्री **परसराम मदेरणा** : इसलिये मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इमिजियेटली ऑफिसर्स को हफ्ते भर में स्पोट पर भेज दूंगा, जिस जगह कि मजदूरों

(श्री परसराम मदेरणा)

को डिस्टेन्स कम पड़े उस जगह भेज दूंगा। कोई डेट, माननीय सदस्य छुट्टी पर हों, अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी पर हों, वह डेट मुकर्रर कर सकता हूं, इसका जल्दी से जल्दी चुकारा कर देंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : अब तक चुकारा क्यों नहीं किया, इसका दण्ड किसको देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्त्ता !

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि ब्यावर कॉन्स्टीट्युएन्सी में दुर्भिक्ष सहायता कार्य 1-8-67 को ही बन्द कर दिया गया था जब कि आस-पास में अकाल सहायता कार्य चालू रखा गया ?

श्री परसराम मदेरणा : अकाल राहत कार्य कॉन्स्टीट्युएन्सी के एरिया से नहीं, सील के आधार पर चलाया जाता है। 1-8-67 को सब कार्य बन्द कर दिये गये, यह बात सही नहीं है।

श्री फतेहसिंह : कौन-कौन से बन्द कर दिये ?

श्री परसराम मदेरणा : रेवेन्यू के जितने वर्क्स चल रहे थे, रेवेन्यू के करीब 12 वर्क्स चल रहे थे, वे 30-8-67 तक चलते रहे, वन-संरक्षण कार्य रुदानियां के अलावा, 10-9-67 तक चलते रहे जब कि फेमीन के काम बन्द किये थे। अलग-अलग कार्य अलग-अलग तारीखों को बन्द हुए।

श्री फतेहसिंह : मैंने ब्यावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सूचना चाही है कि वहां 1-8-67 से कौनसे कार्य बन्द नहीं हुए ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास ब्यावर तहसील की सूचना है, ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के बारे में नहीं है।

श्री फतेहसिंह : किशनपुरा, नयागांव फीडर का काम कब तक हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : सिचाई के जितने भी काम चल रहे थे, सिवाय एक काम के खारी का आन के अलावा सारे काम बन्द हो गये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रोफेसर केदारनाथ !

घग्घर फ्लड में आई भूमि के मामले

49. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) घग्घर फ्लड में कितनी जमीन आई है ?

(2) कुल कितने परिवारों को कितनी जमीन का अभी तक तबादला दिया गया है और कहां-कहां और किन-किन चकों में ?

(3) तबादले के नियम क्या हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जिन किसानों को अभी तक तबादला नहीं दिया गया है, उनकी संख्या कितनी है ? उन्हें तबादला न दे कर यथा-स्थान रखने का क्या आधार है ?

(5) क्या तबादले पर दी गई जमीनों में कोई कटौती की गई है? यदि हां, तो किस आधार पर ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) घग्घर बाढ़ नियंत्रण योजना के सिलसिले में काश्तकारों की कब्जेशुदा कुल भूमि 44060 बीघा आई है जिसमें 42476 बीघा राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में और 1584 बीघा भाखरा योजना क्षेत्र में शुमार होती है।

(2) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 249 परिवारो को 5249 बीघा भूमि तबादले में दी जा चुकी है। जहां-जहां जिन-जिन चकों में भूमि तबादले में दी गई है, उसकी सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है। इसी तरह भाखरा योजना क्षेत्र म 58 परिवारों को 568॥) 4 बिसवा भूमि तबादले में दी जा चुकी है, और जहां-जहां जिन-जिन चकों में यह भूमि तवादले में दी गई है उसकी सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(3) तवादलों के सम्बन्ध में समय-समय पर जो जो हिदायते और आदेश प्रसारित किए गये उनकी प्रतियां दिनांक 8-4-1965 एवं 2-8-1966 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जिन जिन किसानों को अभी तक तबादला नहीं दिया गया उनकी संख्या राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 75 एवं भाखरा परियोजना क्षेत्र में 71 है। इनके सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है इसके अलावा राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 436 ऐसे किसान हैं कि जिन्होंने अपनी साबिका भूमि ही रखने की इच्छा जाहिर की है। अतः उन्हें यथास्थान ही रहने दिया गया है।

(5) तबादले में दी गई तजवीज में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित हिदायतों एवं आदेशों के विपरीत कोई कटौती नहीं की गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केदारनाथ : जिनको एक्स्चेन्ज में नहीं दी गई, उसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया कि 71 भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र में और 75 राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में इसलिये चल रहे हैं कि जमीन कौनसी लें कौनसी नहीं लें। इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। हम जल्दी ही इन मिसलों को निबटा देंगे।

श्री केदारनाथ : इन लोगों को जमीन जो एक्वायर करने के एक्स्चेन्ज में दी गई है उन पर उनको खातेदारी राइट्स दिये या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिन शर्तो पर जो उन जमीनों को होल्ड करते थे उन्हीं अधिकारों के साथ उनको बदले में जमीनें दी गई हैं।

श्री केदारनाथ : जिन लोगों को लीज बेसिस पर एक्स्चेन्ज में दी थीं उन पर कौनसा कानून लागू होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो टी. सी. होल्डर्स थे, उनको टी. सी. होल्डर्स और जो खातेदार थे उनको खातेदारी के आधार से दिया। परमानेन्ट अलॉटमेंट में आयेंगे तो राजस्थान कैनाल अलॉटमेंट के रूल्स के अन्तर्गत दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचंद्र आर्य : क्या यह सही है कि· ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामचंद्र आर्य : · · कि बढ़िया जमीनें जो थीं · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचंद्र आर्य : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री रामकिशन : यह सवाल ही ऐसा है ।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटा मैंने ज्यादा दिया है । जिसको आप महत्वपूर्ण सवाल समझते हैं उस पर आगे चलकर आप बोल सकते हैं । इसलिए कृपया आप सहयोग दें । वह प्रस्ताव आने वाला है ।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 6 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम आमली में जंगलात का डिमार्केशन

40. **श्री विग्विजयसिंह** (उनियारा)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आमली, तहसील अलीगढ़, जिला टोंक में वन विभाग द्वारा जंगलात का डिमार्केशन फाइनल कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिमार्केशन में कई काश्तकारों की भूमि जो उनके काश्त की थी अवाप्त कर ली गई ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि है और कितने काश्तकार हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त काश्तकारों से राजस्व विभाग द्वारा लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक कितना वसूल किया गया ?

(4) क्या सरकार इस लगान को वापस करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और क्या भविष्य में ऐसी वसूली न करने के आदेश प्रदान करेगी यदि हां, तो कब तक ?

(5) उक्त काश्तकारों को क्या मुआवजा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) आंवली ब्लाक के एक भाग का डिमारकेशन फाईनल हो चुका है और एक भाग की कार्यवाही चल रही है ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(5) उपरोक्त स्थिति से मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

चूरू जिले में असहाय वृद्ध व्यक्तियों को पेन्शन

42. **श्री रावतराम** (छापर)—क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि असहाय वृद्ध व्यक्तियों को सरकार ने पेन्शन देने का निश्चय कर रखा है ? यदि हां, तो जब से ये नियम लागू किये गये, अब तक चूरू

(श्री रावतराम)
जिले में कितने ऐसे लोगों को पेन्शन दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि कस्बा बीदासर (चूरू) के दो वृद्ध व्यक्ति (1) समनो सांई व (2) वख्ताराम सिद्ध की दरख्वास्त जिलाधीश कार्यालय में करीब दो साल से दी हुई है और उन पर नियमानुसार सारी खाना पूर्ति भी करली गई लेकिन अभी तक उन्हें पेन्शन नहीं मिली ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? और अब उन्हें पेन्शन कब तक मिल जायेगी ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि असहाय वृद्ध लोगों को सरकार ने पेन्शन देने का निश्चय कर रखा है जब से यह नियम लागू किया गया है तबसे चूरू जिले में असहाय चार व्यक्तियों को एवं वृद्ध 72 व्यक्तियों को इस प्रकार कुल 76 व्यक्तियों को पेन्शन दी गई है ।

(2) जी नहीं ऐसा नहीं है ।

तहसील फागी में भूमिहीन काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र

43. श्री लादूराम जुलाने ा (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील फागी में सन् 1962 से 1966 तक कितने भूमिहीन काश्तकारों के कितने प्रार्थना-पत्र भूमि प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए है ?

(2) उक्त प्रार्थनापत्रों में से कितने प्राथियों को कितनी-कितनी भूमि किस-किस गांव में प्राप्त हुई ? क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को भूमि एलॉट हुई है उनमें से कई तहसील फागी के निवासी नहीं है ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिन्हें भूमि एलॉट की गई है उनमें से कई उस गांव के व्यक्ति नहीं हैं जिसमें उन्हें भूमि एलॉट की गई है ?

(4) क्या यह सत्य है कि एलॉटशुदा भूमि को प्रार्थियान ने बेची भी है ?

(5) जिन व्यक्तियों को भूमि एलॉट नहीं हुई है उनमें से तहसील फागी के कितने प्रार्थीयान हैं ?

उत्तर

(1) तहसील फागी में 1962 से 1966 तक 2924 भूमिहीन काश्तकारान के प्रार्थना-पत्र भूमि प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुये ।

(2) उक्त 2924 प्रार्थना पत्रों में से 1394 प्रार्थना पत्र खारिज हुये तथा बाकी 1530 भूमिहीन काश्तकारों को तहसील के विभिन्न ग्रामों में जहां 2 के भूमिहीन काश्तकार रहने वाले थे या उस ग्राम में भूमि उपलब्ध न होने की दशा में उनके समीप के गांवों में 9158 एकड़ भूमि एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा एलॉट की गई है । एलॉटमेन्ट 15 बीघा से अधिक का किसी भी व्यक्ति को नहीं किया गया है । जिन व्यक्तियों को एलॉटमेन्ट हुआ उनमें से केवल भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं कि जो इस तहसील के निवासी नहीं हैं ।

(राजस्व मंत्री)

3. जिस ग्राम में एलॉटमेन्ट होता है प्रथम तो उसी ग्राम के भूमिहीनों को भूमि एलॉट की गई है। उस ग्राम के भूमिहीनों के प्रार्थनापत्र न होने की दशा में दूसरे ग्राम के भूमिहीनों को भूमि एलॉट की गई है।

4. यह सत्य नहीं है। किसी एलॉटी द्वारा एलॉटशुदा भूमि को नहीं बेचा गया है।

5. 1394 प्रार्थना-पत्र खारिज हुए हैं। व उन व्यक्तियों के थे कि जो भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आते अथवा उन्होंने सार्वजनिक हित की भूमि का आवंटन चाहा था। इसमें तहसील फागी के 887 व्यक्ति थे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

9. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन)–क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिये कुल कितनी धनराशि का प्रावधान गत पांच वर्षों में किया गया था? प्रत्येक जिले की सूचना पृथक पृथक देने की कृपा भी करें।

(2) शहरों में और गावों में छात्रवृति की राशि के एलॉटमेन्ट में आधार क्या रखा जाता है? और गत पांच वर्षों में शहरों के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कितनी धनराशि का?

उत्तर

(1) समाज-कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिये गत पांच वर्षों में स्वीकृत प्रावधान की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

समाज-कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत प्रावधान देहाती क्षेत्रों में कक्षा 5 तक के लिये विकास विभाग से आयुक्त के द्वारा पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किया जाता रहा है। इन क्षेत्रों में कक्षा 6 से 11 तक की कक्षाओं में समस्त कक्षाओं के लिये प्रावधान निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं कालेज शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की जाती है जो स्वीकृत प्रार्थनापत्रों के आधार पर आवश्यक धनराशि विभिन्न जिलों में स्थित स्कूलों और कालेजों को स्वीकृत करते हैं। इस विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को जिलेवार धनराशि हस्तान्तरित नहीं की जाती। प्रत्येक जिले में पंचायत समितियों को छात्रवृत्ति के लिये जो धनराशि हस्तान्तरित की गई है उसकी सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जैसा कि प्रश्न 1 में उल्लेख किया गया है समाज–कल्याण विभाग द्वारा शिक्षा विभाग एवं पंचायत समितियों को छात्रवृत्तियों के लिये धनराशि हस्तान्तरित की जाती रही है जो प्राप्त प्रार्थनापत्रों के आधार पर छात्रवृत्ति देते हैं। शहरों एवं गांवों के आधार पर न तो धनराशि उन विभागों को हस्तान्तरित की जाती है और न उन विभागों द्वारा ऐसा भेद बरता जाता है।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हरिजन छात्रावास

10. **श्री चुन्निलाल इन्दलिया** (नोखा)—क्या समाज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में कहां-कहां हरिजन छात्रावास खोले गए हैं ? क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के छात्रावास की इमारत छात्रों के रहने के लिये उपयुक्त नहीं है ?

(2) क्या सरकार इसी वर्ष इस इमारत को छोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या तहसील लूणकरनसर में भी हरिजन छात्रावास मन्जूर किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक यह छात्र ावास क्यों नहीं आरम्भ किया गया ? अब भविष्य में कब तक चालू किया जायगा ?

(4) राजस्थान के तहसील हैडक्वार्टरों में कितनों में हरिजन छात्रावास हैं ? तथा यह भी बताने का कष्ट करें कि डूंगरगढ़ में छात्रावास क्यों नहीं आरम्भ किया गया है ? भविष्य में कब तक चालू किया जायगा ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति के छात्रावास के चार छात्रावास बीकानेर में एक लड़कों व एक लड़कियों का छतरगढ़ और पूगल में खोले गये हैं। यह सही नहीं है कि बीकानेर शहर के छात्रावास की इमारतें छात्रों के रहने के लिये उपयुक्त नहीं है।

(2) मकान मालिक मकान खाली कराना चाहता है।

(3) तहसील लूणकरनसर में कोई हरिजन छात्रावास स्वीकृत नहीं किया गया अतः छात्रावास खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) राजस्थान में तहसील मुख्यालयों में अनुसूचित जाति के 26 राजकीय छात्रावास चलाये जा रहे हैं। डूंगरगढ़ में अनुसूचित जाति का छात्रावास खोलने की कोई मांग नहीं थी। और अब इस वर्ष और नये छात्रावास खोलने का विभागीय बजट में प्रावधान नहीं है।

फलोदी तहसील के अभावग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानें

11. **श्री दीपचन्द छंगाणी** (फलौदी)—क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फलोदी तहसील के अकाल एवं अभाव-ग्रस्त क्षेत्र में ग्रामीण जनता को सहायतार्थ सस्ते अनाज की दुकानें कब से प्रारम्भ की जा रही हैं तथा प्रत्येक ग्रामीण-जन को किस मिकदार में मासिक सस्ते गेहूं, ज्वार, बाजरी आदि दी जायेंगी ?

(2) फलोदी तहसील के अकाल एवं अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में खोली जाने वाली सस्ते धान की दुकानों का लाभ किस-किस गांव की ग्रामीण जनता को कब तक मिलता रहेगा ?

उत्तर

(1) अभाव स्थिति की घोषणा होने पर सस्ते अनाज की दुकानें प्रारम्भ की जा सकेंगी। प्रत्येक ग्रामीणजन को 3 किलो गेहूं, 4 किलो माइलो व 1 किलो बाजरी देने का प्रयत्न किया जावेगा।

(अकाल सहायता मंत्री)

(2) अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में अभाव स्थिति रहने तक सस्ते धान की दुकानों का लाभ मिलता रहेगा।

भूतपूर्व सरपंचों द्वारा निर्वाचित सरपंचों को चार्ज न देने के मामले

12. **श्री हरजीराम बुडक** (लाडनूं) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायतों के पिछले जनरल चुनाव के समय से लेकर आज तक कितने केस भूतपूर्व सरपंचों द्वारा नव निर्वाचित सरपंचों को चार्ज न देने के रजिस्टर हुए ? और उनका फैसला कब-कब हुआ तथा वे कितने समय तक विचाराधीन रहे हैं ?

(2) इतने लम्बे समय तक फैसला न होने के क्या कारण है ?

(3) जो भी फैसले किये गये उनमें सजायें किन-किन को हुईं ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व सरपंचों द्वारा नव निर्वाचित सरपंचों को चार्ज न देने के 74 केसेज न्यायालय में रजिस्टर हुए। इनके सम्बन्ध में निर्णय होने आदि का विवरण सूची में है जो सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) मामले न्यायालय के विचाराधीन है। नियमानुसार कार्यवाही में जो देरी लगती है वही कारण है।

(3) विवरण सूची म अंकित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिंचाई कुओं के निर्माण हेतु ऋण

13. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों को सिंचाई कुओं के निर्माण हेतु ऋण दिया जाता है ? अगर हां, तो किस आधार पर ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समितियों को ऐसा ऋण उनकी मांग के अनुसार नहीं दिया जाता ? अगर हां, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचोर में सिंचाई कुओं के निर्माण के लिए सैकड़ों लोगों के प्रार्थना-पत्र ऋण लेने के पेश किए जा चुके हैं ? अगर हां, तो अब तक कितने प्रार्थना-पत्र ऋण देने के लिए विचाराधीन है ? नामों की सूची मय रकम व पेश करने की तिथियों के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) सिंचाई कुओं के लिए प्रार्थना-पत्रों के अनुसार पिछले एक साल में कितना ऋण पंचायत समिति द्वारा दिया जा चुका है ?

(5) क्या सरकार पंचायत समिति को सिंचाई कुओं के लिये ऋण की मांग के अनुसार ऋण देना उचित समझती है ? अगर हां, तो मांग के अनुसार ऋण कब तक दे दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(6) पंचायत समितियों में ऐसे ऋण-वितरण में अधिक विलम्ब को रोकने के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, उपलब्ध धन-राशि क्षेत्र की क्षमता व स्थानीय मांग के अनुसार ।

(2) जी हां, आर्थिक सीमाओं क कारण ।

(3) जी हां, 211 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) रु. 25,875) का ऋण दिया गया ।

(5) उचित है किन्तु आर्थिक स्थिति से सम्भव नहीं ।

(6) ऋण नियमों को सरल बनाया गया है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

गालाखेड़ा बांध से सिंचाई

14. श्री **गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले के गालाखेड़ा बन्ध से कितनी भूमि की सिंचाई होती है ?

(2) यह सिंचाई कौनसी फसल (रबी अथवा खरीफ) की होती है ?

(3) इस बन्धे द्वारा सिंचाई से प्रति वर्ष सरकार को कितनी आमदनी होती है ?

(4) किन किन गांवों की भूमि उक्त बन्ध से सिंचित होती है ।

उत्तर

(1) सन् 1963-64, 64-65 व 65-66 में क्रमशः 167, 360 एवं 103 एकड़ भूमि सिंचित हुई ।

(2) रबी ।

(3) सन् 1963-64, 64–65 व 65-66 में क्रमशः 460.09, 1110.93 व 245.03 रुपये की आमदनी हुई है ।

(4) (1) बदनगढी (2) गालाखेड़ा (3) नागला माधोपुर (4) सोखर, (5) पीपल खेड़ा (6) मेदपुरा ।

बारां स्टोरेज सप्लाई कार्यालय में लेबर एजेन्सी का ठेका

15. श्री **देवीदत्त** गाड़िया (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागरिक रसद विभाग ने सन् 1950-51 में बारां स्टोरेज सप्लाई कार्यालय में लेबर एजेन्सी का ठेका किसी ठेकेदार को दिया था ? यदि हां, तो किस ठेकेदार को दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि सप्लाई विभाग ने ठेकेदार के बिल की रकम 2562 रुपया 6 आना में से 1785 रुपया 5½ आने का बिल दिनांक 27-7-54 को स्वीकृत किया था ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वीकृत बिल की रकम अभी तक ठेकेदार को नहीं मिली है ? यदि हां, तो किन कारणों से नहीं दी गई और अब कब तक भुगतान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री अमर लाल पुत्र श्री माधोलाल को।

(2) जी हां। किन्तु स्वीकृति दिनांक 26-6-54 को 1785-5-9 (पौने 6 आने) की गई थी।

(3) जी हां। ठेकेदार ने गलत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सरकार से 8156 रुपये का अधिक भुगतान प्राप्त कर लिया था। अतः इस अधिक भुगतान के पेटे 1785 रुपये पौने 6 आने समायोजन कर लिया गया। ठेकेदार ने 1785 रुपया पौने 6 आने प्राप्त करने हेतु न्यायालय में एक वाद दायर किया था जो सरकार के हित में निर्णित हुआ और ठेकेदार से वाद की लागत भी वसूल की गई। ऐसी सूरत में ठेकेदार को 1785 रुपये पौने 6 आने का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं रहता।

काश्तकारों पर ट्रेसपासर्स के मुकद्दमे

16. श्री **केशरीसिंह हाडा** (हिन्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

जिला बूंदी की किन-किन तहसीलों में कितने-कितने काश्तकारों पर ट्रेसपासर्स के मुकद्दमे दायर हैं ? तहसीलवार बताने की कृपा करें ?

उत्तर

जिला बूंदी में माह दिसम्बर 67 में ट्रेसपासर्स के मुकद्दमों की स्थिति तहसीलवार निम्न प्रकार थी:—

1.	तहसील बूंदी	5221
2.	तहसील हिन्डौली	2338
3.	तहसील केशोरायपाटन	2716
4.	तहसील नैनवां	984
	कुल	11,259

तहसील सांचोर में भूमि परिवर्तन के मामले

17. श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम आमली, हाडेतर एवं लुणियासर में आबादी में भूमि परिवर्तन के मामले काफी समय से सरकार के विचाराधीन हैं ? अगर हां, तो कौनसा मामला कितने समय से किस जगह चल रहा है ? इतना समय लगने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि नदी आने से इन गांवों की नई आबादी कई वर्षों पहिले बस चुकी है ? अगर हां, तो इतने अर्से तक ऐसी भूमि को आबादी में क्यों नहीं परिवर्तित किया गया ? अब उपरोक्त गांवों की आबादी भूमि का परिवर्तन कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या तहसील सांचोर में कई छोटे गांव गोचर जमीन में कदीम से बसे हुए हैं परन्तु पैमाइश में उनका इन्द्राज रेकार्ड में नहीं हो पाया ? अगर हां, तो ऐसी कितनी आबादियां किस-किस गांव में स्थित

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

हैं ? इनको आबादी में परिवर्तन करने के बारे में राज्य सरकार क्या कदम उठावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम आमली, हाडेतर एवं लुणियासर में आबादी में परिवर्तन करने के मामले विचाराधीन हैं । ग्राम लुणियासर की पत्रावली तहसील सांचोर में पेंडिंग है क्योंकि पंचायत मुतालिक से भूमि आबादी में परिवर्तन का प्रस्ताव एवं जवाब प्राप्त नहीं हो रहा है । ग्राम आमली एवं हाडेतर का ऐसा मामला है कि आबादी भूमि परिवर्तन एक मात्र ग्राम पंचायत की रिपोर्ट की मांग पर ही की जा सकती है, लेकिन संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा आज दिन तक उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन कराने हेतु प्रस्ताव पारित कर नहीं भेजे । ऐसी अवस्था में यह भूमि आबादी में परिवर्तित नहीं हो सकी है ।

(2) जी हां । नदी में पानी आने से कुछ परिवार गोचर में आकर आबाद हो गये थे और कुछ लोग अपनी इच्छा से बाद में आकर आबाद हो गये । चूंकि यह लोग बन्दोबस्त के बाद आबाद हुये हैं, इसलिए यह भूमि आबादी में एवं दर्ज नहीं हो सकी । संबंधित पंचायतों से आबादी भूमि के बारे में प्रस्ताव पारित कर नहीं भेजे गये हैं, इसलिए इस भूमि को आबादी में परिवर्तन करने की कार्यवाही नहीं की गई है ।

(3) तहसील सांचोर में कोई ग्राम बन्दोबस्त में पहले गोचर भूमि पर बसा हुआ नहीं है । अतः वक्त बन्दोबस्त रेकर्ड में इन्द्राज न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

भूमिहीन काश्तकारों को जमीनें, जिला सवाई माधोपुर

18. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर में सन् 1962 से 1967 तक कितने भूमिहीन किसानों को कहां कहां-पर कितनी जमीनें दी गई हैं ?

(2) उपरोक्त जमीनों पर कितनों को काश्त करने के लिये कब्जा दिया जा चुका है और कितनों को कब-कब से नहीं मिला है ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में (तहसील करौली व सपोटरा के अलावा) सन् 1962 से 1967 तक 14636 भूमिहीन किसानों को 51869 एकड़ जमीन दी गई है ।

(2) उपरोक्त जमीन पर 14354 व्यक्तियों को कब्जा दिया जा चुका है । 72 व्यक्तियों को सन् 67 से कब्जा नहीं दिया गया है । कब्जा देने की कार्यवाही जारी है । 14 व्यक्ति कब्जा नहीं लेना चाहते हैं । 20 व्यक्तियों के कैसेज अपील में होने से कब्जा नहीं दिया गया है । 176 व्यक्ति अन्य जातियों के डराने से कब्जा नहीं लेते बताये गये जिसके बारे में आगे जानकारी की जा रही है ।

तहसील लक्ष्मणगढ़ में भूमि बन्दोबस्त कार्य

19. **श्री गंगाराम** (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गंगासहाय)

(1) क्या यह सही है कि तहसील लक्ष्मणगढ़ अलवर में अभी भूमि का बन्दोबस्त नहीं हुआ है ?

(2) इस तहसील में भूमि का बन्दोबस्त कब तक पूरा हो जावेगा ?

(3) इस तहसील के बन्दोवस्त के पूर्ण होने पर कुल कितनी कृषि योग्य भूमि निकलेगी, जिसे कृषि कार्य के लिये एलॉट किया जा सकेगा ?

(4) क्या सरकार इस भूमि को एलॉट करते समय परिगणित जाति के लोगों को प्राथमिकता देगी जिनके पास कृषि के लिये भूमि नहीं है ?

उत्तर

(1) तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में कुल 322 ग्राम हैं। इनमें से 69 गैर खालसा (गैर बन्दोवस्ती) ग्रामों का बन्दोबस्त सम्वत् 2014 में किया जा चुका है। शेष 253 ग्रामों का पुनर्बन्दोबस्त अब किया जा रहा है।

(2) 253 ग्रामों का बन्दोबस्त कार्य पूरा कराया जाकर बन्दोवस्ती कार्यवाही बन्द घोषित कराने में अभी तक कम से कम डेढ़ वर्ष का समय लगने की संभावना है।

(3) बन्दोबस्त के पूर्ण हो जाने पर कितनी कृषि योग्य भूमि निकलेगी यह बन्दोबस्त पूर्ण हो जाने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

(4) यदि एलॉटमेन्ट के लिये भूमि उपलब्ध हो सके तो निश्चय ही इसका एलॉटमेन्ट नियमानुसार होगा।

(12.31 म. प.)

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। स्थगन-प्रस्तावों के विषय प्रत्येक के नाम के आगे बतलाए गए हैं:—

(1) श्री **केशरसिंह हाड़ा** : बूंदी जले में लगान की बढ़ी हुई दरें तथा खुशहाली, पिलाई व सरचार्ज संबंधी करों की वसूली।

(2) श्री **विजयसिंह रावत** : (डूंगरपुर): बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, भीलवाड़ा, खैरवाड़ा, जोधपुर, अजमेर आदि के पिछड़े क्षेत्रों में ईसाई मिशिनरियों की आपत्तिजनक कार्यवाही।

(3) **श्री श्रवणलाल** : तहसील हिन्डौन में चने की फसल को कीड़ा लगने से नुकसान।

(4) **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : गाड़ियों के टोकन दिए जाने से पूर्व एवं किसानों को तकावी आदि दिए जाने से पूर्व नेशनल सेविंग्स अथवा स्माल सेविंग्स की वसूली।

(5) श्री **श्रवणलाल** : सवाई माधोपुर में सब-इन्सपेक्टर द्वारा मजदूरों की पिटाई।

(6) श्री **देवीदत्त गाड़िया** : कोटा जिले की तहसील मांगरोल, बांरा एवं किशनगंज के करीब 200-250 ग्रामों में ओला वृष्टि से किसानों की फसल

(श्री अध्यक्ष)

गेहूं, धनियां, अलसी एवं चना की क्षति ।

(7) श्री **हीराभाई व श्री विट्ठलभाई** : बांसवाड़ा जिले के अकाल-पीड़ित किसानों से लगान व तकावी की एक मुश्त वसूली ।

(8) **श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ** : जिला गंगानगर में गंग केनाल व भाखरा केनाल क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा 31-1-68 तक भूमि की बकाया किश्त जमा न कराए जाने पर उनको भूमि खारिज कर देने संबंधी नोटिस ।

(9) श्री **देवीदत्त गाडिया** : कोटा जिले की अटरू पंचायत समिति के गांव अटरू में पुलिस की ज्यादतियां ।

उपरोक्त सूचनाएं इतनी अविलम्बनीय लोक-महत्व की नहीं हैं कि सदन की आज की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय । अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए संबंधित मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि वे प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव के बारे में स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज या कल संक्षिप्त से वक्तव्य देने की कृपा करें ।

दल-परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि—

(1) श्री श्रीराम, निर्वाचन क्षेत्र कोटपुतली,

(2) श्री नथमल चौहला, निर्वाचन क्षेत्र, लक्ष्मणगढ़,

(3) श्री नत्थीलाल, निर्वाचन क्षेत्र नदबई, तथा

(4) श्री अमीलाल यादव, निर्वाचन क्षेत्र बहरोड़,

ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है तथा वे अब विधान सभा में कांग्रेस दल के साथ बैठेंगे ।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री **हरिदेव जोशी** (उद्योग मंत्री) : मैं कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमति प्रकट करता है ।

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई ।

निन्दा प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर विचार

प्रस्ताव पर विचार । महारावल श्री लक्ष्मणसिंह जी ।

Page No. 47

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"राज्यपाल महोदय ने गत बजट अधिवेशन पर अपने अभिभाषण में काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (1) के तहत न्यूनतम भूमि के किसानों को चालू खरीफ फसल से लगान मुक्त करने की राज्य सरकार के निर्णय की घोषणा की थी । राज्य सरकार के वित्त मंत्री ने गत सत्र में जो बजट प्रस्तुत किया था तथा विधान सभा ने अपनी स्वीकृति भी इस घोषणा के आधार पर तैयार किए गए आंकड़ों पर आधारित बजट को दी थी ।

इस सदन को खेद है कि राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय की इस घोषणा के बावजूद ऐसे छोटे किसानों से लगान की वसूली शुरू कर दी है । यह सदन राज्य सरकार का यह कदम समस्त प्रजातांत्रिक परम्पराओं के विपरीत और छोटे किसानों के साथ घोर अन्याय मानता है ।

यह सदन राज्य सरकार के इस कदम की निन्दा करता है और राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि राज्यपाल महोदय द्वारा छोटे किसानों की लगान मुक्ति की घोषणा का अक्षरशः पालन किया जावे और ऐसे किसानों से लगान वसूली के आदेश तुरंत रद्द किये जावें ।"

मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्तर्गत जो घोषणा होती है उसका एक विशेष महत्व है । राज्यपाल महोदय जब भी सदन में उपस्थित होकर सदन को सम्बोधित करते हैं तो उनका अभिभाषण राज्य सरकार की रीति-नीति और पॉलिसी से संबंध रखता है । अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण की तैयारी में हरएक मन्त्रालय भाग लेता है । कैबिनेट स्तर पर, गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् ड्राफ्टिंग कमेटी को सुपुर्द किया जाता है और जो कैबिनेट के निर्णय होते हैं उनको वह कमेटी एक साथ लगाकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मसविदा तैयार करती है । जब वह मसविदा तैयार हो जाता है तो पुनः वह मसविदा कैबिनेट में उपस्थित होता है और कैबिनेट उस मसविदे को जब पास करती है, जब उसको मान्यता प्रदान करती है, तब ही वह मसविदा राज्यपाल को राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में दिया जाता है, और उस के अनुसार राज्यपाल महोदय की घोषणायें उस अभिभाषण के अंदर की जाती हैं । मैं यह मानता हूं कि सरकार को अक्षरशः उस घोषणा का पालन करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता किन्तु यह भी सामान्य रूप से एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की अवहेलना सरकार के द्वारा करना एक बहुत बुरी बात है, एक निंदनीय बात है और इसी के फलस्वरूप यह निंदा प्रस्ताव इस सदन के समक्ष लाया गया है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के, अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से, उन संबंधित शब्दों, को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहूंगा—

"छोटे काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन काश्तकारों के पास एक अप्रेल, 1967 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (1) के अंतर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की गई है उस सीमा तक या

Page No. 48

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उससे कम कृषि भूमि थी, उनसे अब भू-राजस्व नहीं लिया जायगा । यह निर्णय आगामी खरीफ की फसल से लागू होगा" ।

यह अभिभाषण गुरुवार तारीख 4 मई, 1967 को इस सदन के समक्ष राज्यपाल महोदय ने दिया ।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि इस आश्वासन से राजस्थान सरकार मुकर गयी, और छोटे काश्तकारों को जो रियायत दी गई थी उसको सरकार ने वापिस ले लिया । मुझे आश्चर्य है कि जब यह घोषणा करायी गयी उसके पश्चात् बजट का सत्र कई दिनों तक यहां पर बजट के ऊपर वाद-विवाद करता रहा, बजट पारित हुआ । सामान्यतः हम विरोधी पक्ष के सदस्यों ने यह बात मान ली थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अनुसार जो छोटे काश्तकारों को रियायत दी गई थी उस रियायत का पालन राज्य सरकार करेगी, और अवश्य करेगी । किन कारणों से इस आश्वासन से सरकार मुकरी, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ मेरे विचार व्यक्त करूंगा । किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि छोटी जोत की काश्तकारी पर जो रियायत दी गयी थी उसको तो सरकार न मुकर करके वापिस हटा लिया और बड़े जो काश्तकार थे, बड़े खातेदार थे उनक लगान बढ़ाया गया उसके सम्बन्ध में मौनव्रत धारण करके चुपचाप सरकार बैठी है । इसका अर्थ यह है, एक क्रिकेटिंग फ्रेज यूज करू, 'The heads I win and tails you loose.'

इसका अर्थ यह है कि जो बढ़ाया लगान वह व हुआ रहेगा और जो माफ किया गया उसको पूर्ववत् रूप से फिर लागू कर दिया जाय । मैं यह कहूं कि यह बहुत बुरी प्रक्रिया है, बैड प्रेक्टिस है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी मिली है मेरे जिले में, मैं यह कह सकता हूं, ग्राम दान की योजना सरकार के द्वारा लागू की गई । ग्रामदान योजना के अन्तर्गत गांव के जितने छोटे काश्तकार होते हैं वह यह मान लें, ग्रामदान योजना को अपना लें तो उनका एक खाता हो जाता है और जो ग्रामदान के विरुद्ध हैं वे सब छोटे खातेदार इस रियायत के अन्तर्गत आकर रियायत पाने के हकदार होते थे, और ग्रामदान योजना के अन्तर्गत जो काश्तकार जाकर खाते को मर्ज कराते और ग्रामदान योजना के अनुसार एक ही खाता जिनका बनता था वे सब छोटे खातेदार इससे मुक्त नहीं होते थे, मुस्तसना नहीं होते थे । यह भी एक कारण हो सकता है । इस ग्रामदान योजना को सफल बनाने के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया गया । किसान को गुलाम बनाने के लिये, किसान को मजदूर बनाने के लिये तथा उसकी स्वतन्त्रता को छीनने के लिये पवित्र भावों से रखी गयी आचार्य विनोबा भावे की ग्रामदानी योजना की क्रियान्विती में अर्थ का अनर्थ लाकर, किसानों को गुलाम बनाने के लिये रिश्वत देकर, बेईमानी और दबाव डालकर मजबूर किया गया । मेरे पास कई ऐसे सबूत हैं जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा लेकिन समयाभाव से इतना ही कहूंगा कि ग्रामदान के अन्तर्गत किसानों को ले जाने के लिये चुनाव के वक्त भी दबाव डाला गया, भ्रष्टाचार किया गया, पटवारियों के द्वारा हर तरह से दबाव डाला

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

गया, झूठे मुकदमें किये गये और उनको ग्रामदान योजना मानने के लिये बाध्य किया गया। इसका सिद्धान्ततः हम विरोध करते हैं। मेरा दल यह मानता है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जाय, ज्यादा से ज्यादा खुशहाली के वास्ते उसको प्रोत्साहित किया जाय। यह मेरे दल का सिद्धान्त है। उसके विपरीत आचार्य विनोबा भावे की पवित्र ग्रामदान योजना का दुरूपयोग करके किसान को गुलाम बनाते हैं––हम उसका विरोध करते हैं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में सरकार ने अकाल की घोषणा की वहां पर भी लगान वसूल किया जा रहा है। दो-दो तीन-तीन वर्ष तक जहां अकाल था, अकाल की घोषणा की गई थी, वहां पर भी लगान वसूल करना, मेरे ख्याल में, राजस्थान सरकार के अधिकार के बाहर की बात है। वह सब नियमों को, सिद्धान्तों को भंग करके इस तरह ताबड़तोड़ रूप से अत्याचार के द्वारा लगान वसूल कर रही है यह बहुत निन्दनीय और घृणित कार्य है। इसका हम सब विरोध करते हैं। यह सर्वमान्य बात है, मेरे खयाल से सब सभ्य देश, जो सारे विश्व के अन्दर हैं, इस बात को मान चुके हैं कि कोई भी सरकार या तो अकाल घोषित न करे और अकाल घोषित करती है तो उसके बाद सरकार अपने आपको बाध्य समझती है कि अकाल की घोषणा करने के पश्चात् अकाल घोषित क्षेत्र में लगान सरकार के द्वारा वसूल नहीं होगा। इस सिद्धान्त की भी अवहेलना सरकार द्वारा होना, मेरे खयाल से, एक बहुत बुरी बात है और इसकी जितनी निंदा की जाय उतनी ही कम होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कहां पर अकाल घोषित किया गया और फिर वहां लगान की वसूली की गई ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, यह भी जानकारी मिलनी चाहिये कि ग्रामदान कहां जबरदस्ती किया गया ? एक-आध नजीर तो बता दी जाय ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कहा उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि लगान की वसूली कुशलगढ़, बांसवाड़ा जिले में हो रही है, डूंगरपुर जिले में हो रही है, उदयपुर जिले में हो रही है, अजमेर जिले में हो रही है, टोंक में हो रही है। और हम लोगों ने सुना है करीब करीब जहां पर अकाल पड़ा था बिला लिहाज इसके कि अकाल की घोषणा हुई हो या न हुई हो सबको समान रूप से कहा जा रहा है "लाओ लगान"। ताबड़तोड़ रूप से लाओ लगान, नहीं लाओगे तो यह हो जावेगा, वह हो जावेगा ...

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट सू.) : तहसीलदार द्वारा कुशलगढ़ में मारपीट चल रही है। घर घर में घुस कर औरतों को मार कूट कर उनसे भी लगान वसूल किया जा रहा है खाने को जिनके पास कुछ नहीं है उनसे भी लगान वसूल किया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो मैं विषयान्तर होता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा कीजिये, किन्तु सरकार की नीति क्या है एक बिलकुल कन्फ्यूजन है, कोई समझ में नहीं आता। अल्प-बचत योजना के लिये निवेदन करूं कि एस. डी. एम. कोर्ट में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बैठ कर मुल्जिम और गवाहों को कहते हैं कि अल्प बचत योजना में रुपया जमा कराओगे तो पेशी की सुनवाई होगी। अगर आपको कोई योजना कार्यान्वित करानी हो तो आप ग्राम सेवक को, पंचायत समितियों के प्रधान को, सरपंच को यह काम क्यों नहीं सुपुर्द करते हैं? यह तो आपके गुर्गे और आपके कर्मचारी हैं, ये पटवारी और ये गिरदावर नादिरशाह बन कर लोगों को चूस रहे हैं, लोगों का उत्पीडन, शोषण कर रहे हैं इससे बदतर और बुरी और क्या बात होगी?

श्री मूलचन्द डागा : On a point of order, Sir....

श्री रामकिशन (बैर) : यह काहे का पाईन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री मूलचन्द डागा : जो आपने प्रस्ताव रखा है उसमें यह बात नहीं है कि लगान की वसूली की जा रही है। आपने प्रस्ताव रखा है कि राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया है, उसके बावजूद भी वसूली की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर! आर्डर प्लीज!!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के दिल दिवालिये हो गये हैं। मैं अपने विचार आप लोगों के सामने व्यक्त करता हूं . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह तो अध्यक्ष के देखने की बात है। आपका मतलब है कि अध्यक्ष जागरुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष ने दोनों ओर देख लिया है। अध्यक्ष मौन है इस प्रश्न पर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य उस सरकार के प्रतिनिधि हैं जो सरकार दिवालिया है, जो सरकार बिल्कुल नालायक है, अयोग्य है। माननीय सदस्य उस सरकार के प्रतिनिधि हैं कि जिसने टैक्स लगा लगा कर और लोगों को परेशान कर दिया है और उस टैक्स की प्रक्रिया यह हो रही है कि सरकार जहां पर आमदनी बढ़ाना चाहती है वहां पर आमदनी बढती नहीं है, घटती है। Law of Diminishing Return has set in.

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जब बना तो पहले सरकार के द्वारा बजट जो पेश हुआ था उसमें आमदनी 17 करोड के लगभग थी। उस 17 करोड़ की आमदनी को सवा सौ करोड़ पहुंचाया है और उसके साथ सवा चार सौ करोड़ का इस गुनहगार सरकार ने लगान लगाया है, और इसके उपरान्त आज सरकार की दिवालिया नीति यह है कि पैसों को कुरेदने में लगी हुई है। जिधर से पैसा मिलता है, उधर से खींचों, लोगों का शोषण करो, और फिर यह सरकार अपने आपको समाजवादी सरकार कहती है?

श्री रामकिशन : अब बन्द कर दिया है कहना।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सरकार भृष्ट ऋधिनायकवादी सरकार है। मैं ऐसे देशों का उदाहरण पेश करता हूं–इजराईल, तायवान जिसने कोई लगान या जमीन पर लैण्ड रेवेन्यू नहीं लगाया है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! आर्डर प्लीज!!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारा शुरु से सिद्धान्त यह रहा है और यह गांधीजी का सिद्धान्त था। गांधीजी का सिद्धान्त यह था कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा आजाद किया जाय, उनको लगान से मुक्त किया जाय। गांधीजी यह कहा करते थे कि किसान सच्चे रूप से देश का अन्नदाता है, देश और समाज की रीढ़ की हड्डी है। उस किसान पर यह कुठाराघात यह कांग्रेस सरकार का निकम्मापन है। (शोरगुल) ये गांधीजी के सिद्धान्तों से 100 कोस दूर ले जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सरकार फर्जी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उनके मन्तव्य के अन्दर घोषित है और वह सिद्धान्त है कि किसान को लगान से मुक्त किया जाय। महाराजा राजेन्द्रनारायणसिंह देव की सरकार उड़ीसा में है। उन्होंने 23 करोड़ के टैक्सेज किसानों के ऊपर, छोटे और बड़े किसानों के ऊपर जो लगान था, वह माफ कर दिया। उसके मुकाबले में यह बेचारी हमारी सरकार के जो मेरे सामने बैठे हुए हैं माननीय मन्त्री महोदय, इनको शर्म नहीं आती है कि जिस मुंह से यह कहलवाते हैं राज्यपाल महोदय से उससे मुकरना अर्थात् थूक के चाटना है।

श्री रामकिशन : बड़े बेशर्म हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि इस सदन का निर्णय है वही सर्वमान्य होगा। मैं इस बात की निन्दा करूंगा कि जो वैधानिक निर्णय होता है वह गलियों के अन्दर और गांवों के अन्दर निर्णय लिया जाय। तोड़-फोड़ के द्वारा लिया जाय। यह निर्णय इस सदन के अन्दर होगा। गांवों और गलियों के अन्दर निर्णय वोटों के द्वारा हो चुका। मैं इस सम्बन्ध में दल परिवर्तन के सम्बन्ध में कह कर विषयान्तर नहीं होना चाहता।

श्री मूलचन्द डागा : 102 की लिस्ट दी थी न?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन आज, अध्यक्ष महोदय, जो घोषणा हुई है और बार बार हुई है कोई ताज्जुब नहीं है आज की सरकार की नीति के कारण बेचारे आदिवासियों, हरिजनों की भावना और अन्तरात्मा लगान के विरोध में है। मैं जानता हूं कि सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको लेने की उसमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप सारे देश के मुख्य मन्त्रियों के भ्रष्टाचार के गुरु हैं। उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं, यह आश्वासन दिया होगा, कि कितना लगान माननीय सदस्य देते हैं, किसी ने कहा 50 रु. कर दिया जाय, किसी ने कहा 40 रु. कर दिया जाय, कोई हर्ज नहीं है 5 वर्ष के लिये आप चुपचाप बैठे रहिये आपको 100 गुना रकम उसकी इकट्ठी दे दी जायगी। उनके तो पौ-बारह पच्चीस हो गये। ये आज जनता का किस कदर खून चूस रहे हैं। ये बेचारे गांधीजी के अनुयायी, ये अपने आपको कांग्रेसी कहने वाले, पता नहीं समाजवादी कहते हैं, ये क्या वादी हैं? ये अवसरवादी हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : धन्य हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि जिस सरकार

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की नीति और जिस सरकार की नियत ठीक नहीं है, तो जब नियत नहीं तो बरकत कहां ? मैं एक अनुभव पर आधारित किस्सा, जो सब जानते हैं, कहूंगा । इसलिये कहूंगा कि वह आज के लिये उपयुक्त है ।

एक समय एक बादशाह थे। वह शिकार के लिये गये । वह रास्ता भूल गये और जब एक गन्ने के खेत में आ पहुंचे तो गन्ने के मालिक से कहा कि प्यास लगी है । गन्ने के मालिक ने एक गन्ना तोड़ कर उसके रस से एक गिलास भर कर बादशाह को पिलाया । बाद में जब बादशाह अपने महल गये तो वजीर को बुला कर कहा कि गन्ने पर कितना टैक्स है ? वजीर ने जवाब दिया कि अमुक रुपये प्रति बीघा है । बादशाह ने कहा कि इस टैक्स को दुगुना बढ़ाओ । नतीजा यह हुआ कि गन्ने पर टैक्स दुगुना हो गया । दूसरे साल जब गन्ने की फसल पकने को आई तो फिर बादशाह उसी गन्ने के खेत के मालिक के पास पहुंचा और बोला कि मुझे प्यास लगी है, गन्ने का रस पिलाओ । तो उस बचारे किसान ने गन्ने एक, दो गन्ने, तीन गन्ने का रस निकाल. लेकिन फिर भी गिलास रस से नहीं भरा । यह देख कर वह परेशान हुआ कि कितने गन्ने का आखिर रस निकालूं । यह देख कर बादशाह बोले कि यह क्या, गुजरे साल तो एक गन्ने के रस से ही गिलास भर गया था, अब तीन गन्ने के रस से भी गिलास नहीं भरता ? तो किसान न कहा कि अब तो हमारी सरकार और हमारे शासक की नियत में ही फितूर आ गया है इसलिये गन्ने में रस भी कम हो गया ।

तो आज हम देखते ह सारी जगह भुखमरी, जलालत, परेशानी फैली हुई है । यह जो मैंने उदाहरण दिया वह आपकी सरकार पर लागू होता है । मैं आशा करता हूं कि इस उदाहरण से आप सबक लेकर अपना चरित्र शुद्ध करेंगे, इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये ये नोटिस बताना चाहता हूं जो उन एरियाज में दिये गये हैं जहां क़हतसाली है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि ये नोटिस क़हतसाली के इलाकों में दिये गये हैं......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हों तो कम से कम उसका तो आप आदर करें......

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है मैं समझता हूं वह दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । एक तो सदन के दोनों ओर बैठने वाले माननीय सदस्य इसके बारे में एकमत हैं कि जो घोषणायें विधान मण्डल में की जायं उनका सम्मान सरकार और गैर सरकारी सभी सदस्य करें । यह निर्विवादित बात है । यह

(श्री रामकिशन)

निन्दा प्रस्ताव सरकार की इस दृष्टि से निन्दा करने के लिये नहीं कि हमें उनसे कुछ कहना-सुनना है। कहन-सुनने के लिय तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर व अन्य मौकों पर काफी कहा जाता है, जिसका मौका लगातार मिलता ही रहता है, जब तक कि देश में लोकतन्त्र कायम है। मैं सरकार की तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों से जानकारी चाहूंगा कि विधान मण्डल में जो घोषणायें होती हैं—उनका उन पर क्या असर होता है? क्या यह बनिये की दुकान की तरह ही इसको समझते हैं? जो बात कही उससे मुकर जावे? ऐसी चीजों के लिये अफसोस जाहिर नहीं करना, शर्मिन्दा नहीं होना और दृढ़ता के साथ अपनी गल्ती को स्वीकार नहीं करना मैं समझता हूं इससे ज्यादा लोकतन्त्र का मखौल और हो नहीं सकता! सरकार ने जो घोषणा की थी अगर उसमें वह परिवर्तन करना चाहती थी किन्हीं भी दृष्टियों से, आर्थिक अथवा व्यवहारिक; तो उसके लिये सदन के सामने नया प्रस्ताव लेकर आना चाहिये था और कहना चाहिये था कि जो राज्यपाल महोदय द्वारा कहा गया है वह वास्तविकता से परे हैं, यह हमारी गलती हुई है, या इससे राजस्थान के विकास में बाधा पड़ने वाली है। मैं समझता हूं राजस्व मन्त्री के इस प्रकार के कथन पर सदन इतना नासमझ तो नही है जो उनकी उचित बात को स्वीकार नहीं करता। यह न कर हमारी सरकार ने यह एक मनोवृत्ति बनाली है चाहे कुछ भी हो वह अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती। आज हम देखते हैं कि इनके न कोई संस्कार हैं और न कोई मान्यताएं ही हैं और लोकतन्त्र के गीत गाते हैं, लेकिन आचरण इनका उल्टा ही होता है। इनके कार्य और इनके आचरण वास्तविक रूप से लोकतन्त्र के विरोध में ही जाते रहे हैं। हमें यह देख कर तकलीफ होती है, और ऐसा आभास होता है कि यह जो प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारी कांग्रेसी सरकारों में उससे तानाशाही का खतरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार राजस्व मन्त्री को, उनकी प्रतिष्ठा गिरे, इसकी कोई चिन्ता नहीं, मेरा यह मानना है कि व्यक्तिगत रूप से बृजसुन्दरजी की प्रतिष्ठा गिरती है या मुख्य मन्त्री की प्रतिष्ठा गिरती है तो कोई चिन्ता नहीं, लेकिन जब सरकार की प्रतिष्ठा गिर जाना शुरु हो जाता है तो सरकार की किसी बात पर लोगों का भरोसा नहीं रहता। उस समय तो जनता के मन में संस्कार बनते हैं कि सरकार की कोई प्रतिष्ठा नही है। वैसी स्थिति में तानाशाही का प्रादुर्भाव होता है। इसके लिये आप अपने एशियायी या अफ्रीकी पड़ौसी देशों को देखिये। वहां क्या हुआ? सरकार ने जो घोषणायें कीं उनसे वह मुकर गई तो आज वहां तानाशाही ने घर कर लिया। इस तरह से 34 मुल्कों में लोकतन्त्र समाप्त होकर तानाशाही आ गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तानाशाही आपके लिये मुफीद नहीं होगी। यदि यहां लोकतन्त्रवाद का खात्मा होकर तानाशाही का जन्म हुआ तो आपको पन्द्रह बीस साल की मजा काटनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, विधान मण्डल में राज्यपाल महोदय द्वारा जो घोषणा की जाती है उसमें यदि किसी प्रकार का रद्दो-बदल करना होता है तो विधान मण्डल को

(श्री रामकिशन)

पूछे बगैर, उसकी सम्मति लिये बगैर वह नहीं किया जाना चाहिये । आपने इस प्रकार की घोषणा करने के बाद अध्यादेश प्रसारित कर दिया कि हम इस लगान को वसूल करेंगे । मुझे सबसे पहले एतराज इस बात का है कि सरकार यदि अपने ही प्रस्ताव द्वारा इस प्रकार का दूषित आचरण करती है तो वह निन्दनीय है । आज कांग्रेसी कहलाने वाली सरकार अपने उसूलों पर अमल नहीं करती, अपने घोषणा-पत्र में किये गये वायदों पर अमल नहीं करती– इसकी हमें चिन्ता नहीं, लेकिन सरकार की हैसियत से जो कुछ वह घोषणा करती है उस पर अमल नही करती है तो हमें और आपको सबको समान रूप से तकलीफ होनी चाहिये । इसमें सरकारी पक्ष के और विरोधी पक्ष के सदस्यों के मन में भिन्नता नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में राजस्व मन्त्री जी पधारे थे उस समय भरतपुर में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। 11 तारीख को 25 हजार किसानों ने भिन्न-भिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया था । उस समय मन्त्रीजी पधारे थे उन्होंने जो हमें जवाब दिया उसे सुन कर मुझे बड़ी तकलीफ तो नहीं हुई । उनका जवाब सुन कर मुझे ऐसा जान पड़ा कि हमारे राजस्व मंत्री तो मुख्य मंत्री के केवल यू. डी. सी. हैं । आप राजस्व मंत्री हैं आप इस पद की प्रतिष्ठा रखिये । लेकिन इनकी प्रतिष्ठा है कहां ? इन्होंने मुझे उत्तर दिया आप इस बारे में मुख्य मंत्री से मिल लीजिये वे ही कुछ कर सकते हैं । मैं यह जवाब सुन कर हैरान हुआ और यह ख्याल आया कि राजस्व मंत्री तो केवल एक क्लर्क के समान है, पटवारी के समान हैं । जैसे पटवारी जिलाधीश की आज्ञा पर काम करता है उसी प्रकार हमारे राजस्व मन्त्री के इशारे मुख्य मंत्री के बिना कुछ नहीं कर सकते । ये तो एक तरह से उनके हुक्म बजाने वाले नजर आये ।

दूसरा जवाब जो मैंने सुना उसको उनका सुन कर तो मुझे रात में भी हंसी आई । नींद में तो हर कोई हंसते ह । उनका कहना था कि यदि हम लगान नहीं लेंगे तो जनसंघ वाले यह प्रचार करते हैं कि जमीन तुम्हारी नहीं होगी । जनसंघियों के कहने के अनुसार उन्होंने यह लगान लेना चालू किया । मुझे बड़ी वेदना हुई उनकी इस सूझ पर । अरे आप जनसंघ वालों के कहने पर चलते हो तो मैं समझता हूं आप विवेकशील नहीं हैं । अगर आप उनके कहे अनुसार ही चलते हो तो आप पन्द्रह बीस साल की कार्यवाही को उठा कर देख लीजिये। सैकड़ों बातें इन लोगों ने कही होंगी उन पर भी अमल करना शुरु कर दें । मुझे इन चीजों से आभास होता है कि इस सरकार की अपनी कोई नीति नहीं है, न कोई कार्यक्रम है और न कोई संस्कार है ।

अध्यक्ष महोदय, अनार्थिक जोत पर लगान हटाने का मतलब कुछ किसानों को सुविधायें देने का प्रश्न नहीं है। इसमें समता का दर्शन होता है । मुझे याद है सन् 26 में कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया था । मैं भी उस समय कांग्रेस में था । मेरे सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों में से तो पता नहीं उस समय कितने लोग थे लेकिन श्री शोभारामजी उस समय

(श्री रामकिशन)

अवश्य थे । कराची में कांग्रेस का जलसा हुआ था उसमें अनार्थिक जोत से लगान हटा दिया जायगा इस प्रकार का प्रस्ताव पं. नेहरू की अध्यक्षता में पास किया था । जिनको आप सैंकड़ों श्रद्धान्जली अर्पित करते हैं उनकी अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पास किया गया था । उस समय एक कमेटी का निर्माण किया गया था जिसमें डा. लोहिया और श्री दांतवाला भी थे । उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि अनार्थिक जोत से लगान हटा दिया जायगा । इससे कुछ किसानों को सुविधा होगी यह बात नहीं थी वे उसमें समता का दर्शन स्वीकार करते थे । दो प्रकार के कानून चल नही सकते । शहर वाले लोगों को 4,800 से ऊपर की आमदनी पर टैक्स देना होता है, इसके पीछे एक धारणा है । साल भर में जिनकी आमदनी 4,800 से कम है उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता । लेकिन गांव वाला किसान, जिसके पास दो बीघा भी जमीन है, चाहे एक मन धान पैदा करता है उसको भी लगान देना होगा । विधान के अनुसार, कांग्रेस की घोषणाओं के अनुसार, समाजवादी दृष्टिकोण के आधार पर कानून सबके लिये समान होना चाहिये । शहर वाले और गांव वालों में भेदभाव क्यों हो ? आप इस तरह से गांव और शहर में रहने वालों में नफरत पैदा कर रहे हैं । इस तरह का भेदभाव बरता गया तो हो सकता है कि गांव वालों में आन्तरिक विप्लव हो सकता है, और जिसके कारण बहुत सी गड़बड़ियां हो सकती हैं । इसके निराकरण की शक्ति आप में है नहीं । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संविधान ने व्यवस्था दी है, कांग्रेस के पुराने प्रस्तावों में व्यवस्था दी है । हम कांग्रेस में थे तो यह हमारा प्रस्ताव था । फिर आज के इन कांग्रेसियों की इससे मुकरने की हिम्मत कैसे पड़ी ? मैं मानता था कि हो सकता है साल दो साल ये अमल न कर पावें इस पर । पर अमल किया तो जनसंघ के दबाव से रुक गये, और समाजवादी लोगों और कम्युनिस्टों के कहने से बदल जावें । तो ऐसा लगता है कि इनके मूल में तो कुछ नहीं है । ये तो दूसरों के चलाये चलते हैं, बोलाये बोलते हैं । कोरे शंख हैं । समुद्र के पुत्र हैं । वैसे बढ़िया हैं । पर ये कोरे शंख बन कर बजते रहेंगे तो सरकार की मान्यताएं और उसके सिद्धान्त कैसे रहेंगे ? जैसा दूसरों ने फूंका वैसे बज गये ।

एक माननीय सदस्य : ये तो ढपोल शंख हैं ।

श्री रामकिशन : मैंने तो बताया समुद्र-पुत्र हैं । विशाल हृदय वाले हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप 'ढपोल शंख' शब्द यूज नहीं कर सकते ।

श्री रामकिशन : जिनको कह रहा हूं, उनको एतराज नहीं है, तो आपको क्यों है ?

तो जिसने जैसी फूंक मारी वैसे ही बज गये । मुझे निवेदन करना है समाज वाद के दर्शन के बारे में । इस समाजवाद के दर्शन को अमल में लाने के लिये कठिनाइयां आ सकती हैं । आर्थिक कठिनाइयों की बात आप कह रहे हैं । यह सरकार आर्थिक कठिनाइयों का बहाना करती है । यह प्रश्न सबसे पहले हमारे सामने भी आया । हम अलग हुए सन

(श्री रामकिशन)

46, 48, 50, 53 और 60 में इस प्रश्न को लेकर सारे देश में बड़े बड़े आन्दोलन हुए। यह कोई दस-पन्द्रह लाख या बीस लाख की सुविधा-असुविधा का सवाल नहीं था कि इतना बजट में घाटा रहता है या नफा। पर सवाल तो यह समाजवाद के दर्शन का था। फिर नम्बर दो की चीजों पर भी आवेंगे। यह सर्व प्रथम नम्बर का दर्शन का प्रश्न था। शहरों और गांवों में आमदनियों की समानता का प्रश्न था। इसके लिये आन्दोलन किये, सत्याग्रह किये। जेल गये। मैंने 8-3-63 को प्रस्ताव रखा था कि अनार्थिक जोत का लगान माफ हो। उस वक्त माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि मन तो मेरा भी करता है। पर हमारे सामने इस वक्त चीनी आक्रमण है। देश पर संकट का मामला है। विकास का काम पूरा करना है।

राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सिलसिले में कुछ बातें कही थीं। मैं उस समय हाजिर नहीं था पर भाषण का थोड़ा सा टुकड़ा जैसा छपा मैंने पढ़ा है। अब वह कम छपा हो, अधूरा छपा हो, कुछ भी छपा हो पर उससे मुझे लगा कि उनको विकास की चिन्ता है। जैसे मानों विकास के सारे ठेकेदार आप ही हैं। हम सरकार बनावेंगे तो विनाश ही करेंगे। आपकी सरकार, बनी हैं तो आपको मुबारक! आप अपने अलावा दूसरों के बारे में जो चाहें धारणा बनावे। पर हमारा एक विनम्र निवेदन है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, और उसके जरिये विकास करना चाहते हैं। विकास की गति को रोकने का प्रश्न नहीं है। पर कुछ किसानों की अनार्थिक जोतों पर लगान माफ करने न करने से क्या असर पड़ता है आपके बजट पर। इसका सही उत्तर तो राजस्व मन्त्री देंगे। उनका उत्तर आंकड़ों सहित आवेगा तो वह काफी स्पष्ट होगा। उससे घाटा कितना होगा यह वे बतावेंगे।

यह राजस्थान जब बना था तो इसका बजट 14 करोड़ का था। उस वक्त ज्यादा टक्स नहीं थे। कस्टम था लगान था, और कहीं कहीं एक आध टैक्स और था और कोई टैक्स नहीं था। आज आप अनेकों टैक्स लगा कर बिक्री कर, हाउस टैक्स, उत्पादन शुल्क आदि आदि, अनेकों टैक्स लगा कर अपना बजट 1 अरब के आसपास ले गये हैं। उस समय काश्तकार साढ़े तीन-चार करोड़ टैक्स के रूप में लगान का देता था 14 करोड़ में से और आज 6-7 करोड़ वसूल होते हैं एक अरब में से। जब एक अरब टैक्स रह गया तो इस अनार्थिक जोतों पर टैक्स अगर न भी लगावें तो उसका महत्व क्या है? एक अरब में से करोड़-दो करोड़ का यह बनता है। प्रगतिशील मुल्कों को आप ले लीजिये पिछड़े मुल्कों तक को ले लीजिये। अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों की, जो काफी बढ़े-चढ़े हैं, मिसाल नहीं दूंगा, आर्थिक दृष्टि से वे बहुत अधिक विकसित हैं, पर जो आपकी तारीख को आजाद हुए, आपके बाद आजाद हुए उन छोटे छोटे मुल्कों ने भी लगान नाम की चीज को समाप्त कर दिया।

यही क्यों अपने ही देश में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं उनको ही ले लें। बिहार की सरकार ने लगान माफ कर दिया हम पर और फिर भी अकाल का मुकाबला किया,

Page No. 57

(श्री रामकिशन)

64 लाख रुपया खर्च भी किया। उड़ीसा की सरकार ने माफ कर दिया। मध्य प्रदेश ने छः एकड़ तक की जोत पर लगान माफ कर दिया। मद्रास की सरकार ने भी छः एकड़ तक की जोत पर लगान माफ कर दिया।

फिर आर्थिक प्रगति का सारा भार राजस्थान के माननीय राजस्व मन्त्री पर ही क्यों आ पड़ा है। राजस्थान के राजस्व मन्त्री और विकास मन्त्री विकास की बात सोचते हैं, और तो सारे लोग मूर्ख हैं। वे विकास की बात नहीं सोच सकते। अगर आपकी धारणा यह हो तो ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करिये। आप बुद्धिमान हैं मान लेता हूं, मुझ से ज्यादा हैं पर संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनने की अगर चाह है तो नम्बर दो के मूर्ख तो साबित हो ही जावेंगे।

मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि आपको इससे कितना नुकसान होता है? राजस्थान में कितनी जमीन पर काश्त होती है? सारे राजस्थान में 3 करोड़ 19 लाख एकड़ पर खेती हो रही है। इसमें से 80 लाख एकड़ अनार्थिक जोत की जमीन मान सकते हैं। हो सकता है जो आंकड़ें आपके हैं वे इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि आपका आर्थिक दृष्टिकोण सही नहीं होने से आंकड़े भी ठीक नहीं होते आपके। हमें अखिल भारतीय आर्थिकी संस्थान से या आर्थिक दलों की रिपोर्टों से इधर उधर से रिपोर्टों से आंकड़े लेने पड़ते हैं। पर फिर भी तीन करोड़ में से 80 लाख को अनार्थिक जोत मान सकते हैं। आपका 8-9 करोड़ के आसपास लगान है उसमें से अगर हम 80 लाख को छोड़ देते हैं तो मुश्किल से 1.20 लाख या तीस लाख के आसपास आवेगा यह घाटा तो एक अरब में से 1 करोड़-डेढ़ करोड़ छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है? सौ पैसों में से एक पैसे का घाटा अगर सरकार किसानों के लाभ के लिये, उनके हित के लिये, अपने समाजवादी दर्शन को अमल में लाने के लिये उठा भी लेती है तो उससे क्या घाटा पड़ता है? इस दृष्टि से भी आप सोचें तो बात साफ हो जाती है। आप अपने अन्य खर्चे जिस तरह अनाप-शनाप रूप से बढ़ाते जा रहे हैं, प्रशासन में खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं, मितव्ययता नाम की कोई चीज आपके पास नहीं है वहां एक नये पैसे की क्या कीमत है? सारे हिन्दुस्तान भर का हिसाब भी लगावें तो 1 अरब चालीस करोड़ एकड़ जमीन में काश्त होती है उसमें से अनार्थिक जोत की आय घटा दें तो बीस-बाईस करोड़ से अधिक की नहीं होगी। जिसमें से राजस्थान का हिस्सा एक-डेढ़ करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता।

फिर आपने अनार्थिक जोतों पर लगान न लेने का प्रस्ताव पास किया था और इससे होने वाले घाटे को पूरा करने के लिये भी साधन आपने सोचे थे। अधिकतम सीमा पर सरचाज लगा कर कुछ आप इसको पूरा करने वाले थे। फिर अनार्थिक जोतों से वसूली पर आपका बीस लाख सालाना खर्च होता है यह पैसा भी आपका बचता है। फिर इससे भी बढ़ कर सामाजिक न्याय प्रमुख चीज है या आपका यह बजट प्रमुख है?

जब आपने समाजवाद का दर्शन स्वीकार किया है तो कम से कम कभी साल-दो साल

(श्री रामकिशन)

में एकाध आचरण तो करो। नहीं तो आप भी डूबोगे और हमें भी डुबोओगे। समाजवाद की इतनी शोभा करे जा रहे हैं तो उस पर कुछ आचरण भी तो करके बताओ। हमारे आपसे पुराने ताल्लुक रहे हैं। तुम डूबो तो हमें तो कम से कम नहर के किनारे तो छोड़ जाओ ताकि समाजवाद की नाव को आगे बढ़ा सकें। आप अपने आचरण से ऐसी परिस्थितियां पैदा करते जा रहे हैं कि लोग आज हम से पूछ रहे हैं--कौनसा समाजवाद, तुम्हारी कांग्रेस का, पूंजीवालों का या कम्यूनिस्टों का ? इन सबके समाजवाद में फर्क क्या है ? आचरण में किसी के कुछ नहीं है। हां, किताब में तो लिखा है। बड़ी बड़ी चीजें लिख दी हैं किताबों में तो। उनके समाजवाद को छोड़ो। बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण करने के अलावा आज तक आपने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। इससे हमें खुशी हुई थी। आपके शासन काल में वह पहला प्रसन्नता का अवसर मिला था। इसके सालों बाद यह घोषणा जब आपने की कि छोटे काश्तकारों का लगान माफ हो तो यह सुन कर, हालांकि इस सरकार के कामों से मेरे मन में बड़ी कड़वाहट थी, पर इससे मन प्रसन्न भी हुआ।

मैंने सोचा वर्षों बाद आज इन समाजवादियों का विवेक जगा है, ज्ञान आया है। लेकिन उस सारी घोषणा का क्या किया ? कारण जानता हूं। न आप वचन से समाजवादी हैं, न कर्म से समाजवादी हैं और न संस्कारों से समाजवादी हैं। आप विधान सभा में अपना बहुमत आदिवासी, हरिजन, महिलाओं के बलबूते पर रखना चाहते थे। इस छोटे वर्ग पर आप प्रभाव डालना चाहते थे। ऐसे व्यक्तियों पर प्रभाव डालने के लिये उनको तोड़ने के लिये आपने यह घोषणा की क्योंकि इसका अधिकांश इन पर ही प्रभाव पड़ने वाला था, इसका लाभ उनको ही मिलने वाला था उन छोटी छोटी जोत वालों पर।

आप रेफ्रीजरेटरों पर, मोटरों पर टैक्स घटा सकते हैं। पर अब जब एक बार खरीद लिया उनको तो जानते हैं अब ये हरिजन सदस्य आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, आदिवासी सदस्य अब कहीं जा नहीं सकते। इनमें आपस में संगठन नहीं है। गरीब लोग हैं। इनमें से बीस लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो अनार्थिक जोतों के मालिक हैं। जब आपकी उनकी खरीद के बाद हैसियत बढ़ी, 108 और 109 तक आपकी संख्या पहुंच गई तो अपने वायदे से मुकर गये।

ऐसी स्थिति में मैं उन पिछड़े आदिवासी हरिजन भाइयों से अपील करूंगा कि हमारे साथ वे वोट न दें। सरकार को गिराने की नीयत से मैं नहीं कहता कुछ उनको। पर समाजवाद के लिये कहता हूं कि समाजवाद के नाम पर आप इस पर फिर से विचार करें, नहीं तो आने वाले बीस साल बाद, यह सरकार तो जानी है, पर इसके बाद भी अगर हम आपकी मदद करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पावेंगे। हंसी होगी समाजवाद के नाम पर फिर।

मुरारजी भाई देसाई की अध्यक्षता में प्रशासन सुधार आयोग बना। उसने कहा आठ से ज्यादा मन्त्री न हों। पर

Page No. 59

(श्री रामकिशन)
यहां तो आप मन्त्रियों की फौज खड़ी करके पचास साठ लाख खर्च कर देंगे । उसके लिये आपके पास पैसा है । आप अपने नाते रिश्तेदारों के लिये नये विभागों को जन्म देकर भरती कर सकते हैं पर सामाजिक न्याय मिले इस दृष्टि से कुछ नहीं करना चाहते ।

आपकी योजनाएं असफल होती जा रही हैं । कल कारखानों का उत्पादन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया । फलस्वरूप पर-कैपिटा इन्कम बढ़ नहीं सकी । आप गलत तरीकों से चलते हैं । योजनाएं गलत बनाते हैं । अव्यावहारिक हैं । उसका दण्ड आप भुगताते हैं गरीब आदिवासी किसानों को हरिजनों को ।

तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने एक गलती की इस आर्डर को भेज दिया कि आप लगान वसूल करें लेकिन आप जरा कहें सदन में आकर कि हमसे गलती हुई । अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो हम आपको दूसरा सहारा बताने के लिए तैयार हैं । हमने एक बार नहीं अनेकों बार आपको नये तरीके बताये हैं । पिछली बार एक टैक्स का बिल आया था कि जो मकान किराये पर देते हैं उनसे टैक्स लिया जायगा । लेकिन उस बिल का असर मकान मालिकों पर और बड़े लोगों पर और सेठों पर पड़ता है इसलिए आपने साल भर तक उसको रोक दिया लेकिन जो छोटे लोग हैं, छोटी जोते की जमीन वाले हैं उन पर आपने तो टैक्स लगा और दिया और सेठों पर जिसका असर पड़ने वाला था उनके ऊपर अभी तक नहीं लगाया और यदि आप उन पर टैक्स लगाते तो आपका राजस्व घाटा उससे पूरा हो जाता । तो ऐसा कानून तो आपने बनाया नहीं और जिस समय पिछली साल आप किरायों पर टैक्स का कानून लाये थे तो हमने उसका समर्थन किया और उसके लिये हमने कहा था कि यह आपका प्रगतिशील कदम है जो इस प्रकार का टैक्स का बिल लाये लेकिन आपने उसको नहीं किया क्योंकि आप सेठों से चन्दा लेते हैं । तो मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिये 3 तरीके हो सकते हैं । बड़े लोगों पर लगान बढ़ाते हैं हमारा दल उसका समर्थन करता है । आपके पास रिपोर्ट आती हैं कि सारी पूंजी बड़े परिवारों के पास पहुंचती जा रही है और यदि आप बड़े परिवारों के लिए किसी प्रकार का टैक्स का बिल लायें तो हम उसका समर्थन पूरा करेंगे । मैं शासन चलाने के ज्ञान के बारे में चुनौती नहीं देना चाहता और इस सम्बन्ध में तो मैं चुप रहूंगा । आप ज्ञानी, अज्ञानी और महाज्ञानी भी हो सकते हैं मुझे उससे सम्बन्ध नहीं लेकिन शासक के संस्कार कैसे होने चाहिये वह आपकी आदत में नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बगैर इसका ख्याल किये हुए कि हमने क्या कहा और क्या नहीं कहा आप इस निन्दा प्रस्ताव को स्वीकार करें और जो राज्यपाल महोदय ने घोषणायें की थीं उनको तुरन्त लागू कर दें ।

मैं फिर दूसरी मिसाल और देना चाहता हूं । इसका आखिर असर किस के ऊपर पड़ने वाला है । एक दादूवाला की रपोर्ट आई है । और भी कई रिपोर्टस् आती रहती हैं लेकिन आपने कभी उनको पढ़ने का प्रयत्न किया है ? मेरे विचार में

(श्री रामकिशन)

आप में से कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ता होगा। आपकी शक्ति तो इस बात में लगी रहती है कि किस एम. एल. ए. को तोड़ कर लायें। उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि हिन्दुस्तान पर कर्जा कितना है, किस वर्ग के ऊपर कितना है और उसका भार किस पर पड़ रहा है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब अंग्रेज गये थे तो हिन्दुस्तान के किसानों के ऊपर 7 अरब रुपया का कर्जा था। आपकी योजनायें भी चलती हैं, प्रगति भी हो रही है और विकास की गति भी तीव्र हो गयी है, ऐसा आप कहते हैं हालांकि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन किसानों के ऊपर और छोटे किसानों के ऊपर जिनके पास छोटी छोटी जमीन है, जो छोटे काश्तकार हैं उनके ऊपर 17 अरब का कर्जा हो गया है। कर्जा बढ़ने के अलावा जो सबसे विस्फोटक स्थिति है वह यह है कि वह कर्जा कम नहीं हुआ है बल्कि 8 अरब के आसपास है। जो छोटे मोटे किसान हैं और कम जमीन वाले किसान हैं उनके ऊपर भी 30-32 करोड़ के आसपास का कर्जा है। आप यदि इनके ऊपर लगान की छूट देंगे तो वह कर्जा चुकाने में सक्षम होंगे और यदि आपने लगान में छूट नहीं दी तो वह कर्जा अब करीब 60 करोड़ के हो जायेगा। आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं पर आप सही दृष्टि में विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि हिन्दुस्तान के गरीब वर्ग का और सताये हुए लोगों का, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन और करना है विशेष रूप से और वह यह है कि गरीबी की मार ज्यादा महिलाओं पर पड़ती है और जब घर में गरीबी होती है, खाने का अभाव होता है, कपड़ों का अभाव होता है तो आदमी को क्योंकि बाहर जाना पड़ता है इसलिए वह तो नया कुर्ता पहनेगा और क्योंकि गरीबी का मुझसे नजदीकी सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि घर की गरीबी क्या होती है। पुरुष तो पहले खायेगा और बाद में बच्चे खायेंगे और सबसे अन्त में यदि बचा होता है तो महिला खायेगी। महिलाओं को क्योंकि घर पर रहना पड़ता है इसलिए वह कपड़ों को सींकर भी गुजारा करती है। तो आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम उनका कल्याण कर रहे हैं आप जरा कमेटीज़ की रिपोर्टस् तो पढ़िये। उनमें विकास का सारा खुलासा हो चुका है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो मैं कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों से बगैर किसी दुर्भावना के यह निवेदन करने की कोशिश करूंगा कि आप इस सत्य को स्वीकार करें और अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो इस मुल्क की स्थिति बहुत बुरी होती चली जायगी। मैंने सन् 63 में एक प्रस्ताव रखा था। उस समय हिन्दुस्तान की सरकार पर 40 अरब का कर्जा था जो अब 80 अरब का कर लिया और जो आपके विकास की गति थी वह विकास की गति कम हो गयी है, आप मुल्क के विकास मे सहायक नहीं बन रहे हैं। फिर एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरकार को गैर जरुरी टैक्स मिलते हों वह फिजूलखर्ची हो जाती है। अगर गरीब लोगों ने निरन्तर टैक्स देना शुरु किया तो सरकार न कभी फिजूलखर्ची को रोक सकेगी और न कभी मितव्ययता का आचरण करने की कोशिश करेगी। तो मैं आपसे यह

(श्री रामकिशन)

निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की निन्दा का प्रस्ताव तो आप पारित करें ही इसलिए नहीं कि वह हमारे कारण है बल्कि वह आपके कारण है। हमारा और आपका अपमान समान है। इसे पारित करें ही और मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मामले में वह व्हिप को नहीं मानें। जानते हो कांग्रेस तो जायेगी ही, वह 8 राज्यों से गयी। यदि विरोधी दल में थोड़ी गति होती तो दिल्ली में इन्दिराजी की सरकार भी चली गयी होती। लेकिन आप लोग तो जानते ही हो अब कांग्रेस जा रही है और जल्दी ही जाने वाली है और उसके बाद लोगों में से कुछ तो जेल में जाओगे, कोई गिरफ्तार हो जायगा, तुम कहीं भागोगे, छुपने का कोई रास्ता भी नहीं है..........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, तुम शब्द अनुपयुक्त है।

श्री रामकिशन : मैं वापिस लेता हूं और क्षमा मांगता हूं।

जब क्रांति होती है, आपने देखा चीन में क्रांति हुई, मास्को में क्रांति हुई और इन क्रांतियों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। उस समय कोई तो इन क्रांतियों में फारमोसा भाग गया और कोई हांगकांग भाग गया लेकिन क्रांति की चपेट में कौन आये वही साधारण लोग। मुल्क में परिवर्तन होगा यह कोई रोक नहीं सकता लेकिन आप अपनी जगह बने रहेंगे, इस सबका असर साधारण और गरीब और निम्न वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। इसलिए आप लोग तो इनकी चिन्ता मत कीजिये। इन्होंने तो इतना कमा लिया कि जब कुछ हुआ तो हवाई जहाज से लन्दन भाग जायेंगे लेकिन आप लोग कहां भागोगे। हम और आप तो समान हैं क्योंकि हम किसान और गरीब वर्ग से आये हुए लोग हैं, हमारी और आपकी जिन्दगी एक है। इनके संस्कार कुछ भिन्न हैं इसलिये मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इस निन्दा के प्रस्ताव को पारित करें और व्हिप का डण्डा तो फिजूल है व्यर्थ है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने इस प्रस्ताव के आर्थिक और दूसरे पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला और जब 63 में बहस हुई तो उस समय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम स्वीकार करने के लिये तैयार हैं और उस समय स्वीकार किया और मुकर गये इससे बड़ा उदाहरण हमने कहीं नहीं देखा। तो सरकार की तरफ से अब अपने पापों को छुपाने की चेष्टा नहीं होगी बल्कि राजस्व मन्त्री जी की तरह सीधे कहेंगे कि हम इस प्रस्ताव को पारित करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, एमेंडमेंट्स के लिए टाइम कब दिया जायगा? इसका समय निर्धारित किया जाय।

श्री रामकिशन : आप वकील हैं हालांकि आपने आज तक कोई मुकद्दमा जीता नहीं है मगर यह जब प्रस्ताव प्रस्तुत हो जायगा तब एमेंडमेंट कर सकेंगे। आपके सब मवक्किल रोते हैं कि हार गये। अभी पाली से.....

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है जब कि विधान सभा में सरकार के विरूद्ध यह निन्दा

Page No. 62

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

प्रस्ताव लाया गया है । इस सम्बन्ध में यदि सरकार की ओर से कोई वक्तव्य होता कि सरकार ने किन परिस्थितियों में तो पहले एनाउन्समेंट किया और फिर क्या नई परिस्थितियां सरकार के सामने आ गई जिनकी वजह से सरकार को अपनी पहली बात से हटना पड़ा, तो शायद सहूलियत होती । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से न तो इस बात का वक्तव्य जारी किया गया और न अभी जो गवर्नर महोदय का अभिभाषण हुआ उसमें जिक्र किया गया । पिछला जो उनका अभिभाषण हुआ उसमें इस बात का एनाउन्समेंट हुआ और उस एनाउन्समेंट के बारे में सरकार ने अमल क्यों नहीं किया उसके बारे में भी इस अभिभाषण में कतई जिक्र नहीं है । तो यह सारा मामला अंधकार में है । एक सरकार के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी फैसला कर सकती है और उस फैसले को सरकार बदल भी सकती है । यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन सवाल यह आता है कि सरकार ने इतना बडा एनाउन्समेंट किया और विधान सभा में जो हमारी स्टेट के हैड हैं गवर्नर साहब उनसे इस बात का एनाउन्समेंट करवाया, लिखित में करवाया और जो अभिभाषण हुआ वह हमारे भारत के संविधान के अन्तर्गत हुआ, और उसमें एक बहुत जिम्मेदारी की बात कही गई उसके लिऐ सरकार कहदे कि सरकार उसको रद्द करने का अपना अधिकार समझती है, यह मैं समझता हूं कि बात बिल्कुल अनुचित है ।

(1.31 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने जान-बूझ कर असावधानी से एनाउन्समेंट तो कर दिया। लेकिन बाद में जब दिक्कतें पदा हुई और सरकार के समाने आर्थिक कठिनाइयां आई । तो जो एनाउन्समेंट किया था उसको समाप्त कर दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात निवेदन करना चाहता हूं और सदन को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि एक साल पहले जब कि इस सदन में गवर्नर साहब का अभिभाषण हुआ उस समय सरकार बड़ी कठिनाई में थी और उस समय सरकारी पक्ष के सदस्य बहुत थोड़े थे यानी दो-तीन की मेजोरिटी थी और दूसरी ओर संयुक्त विधायक दल ने चुनाव हो जाने के बाद इस बात का एलान किया था कार्यक्रम में कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बन जायगी तो लगान किसानों पर लगाया गया है वह माफ कर देंगे। सरकार ने समझा कि इस बात का एलान हुआ है और हमने उसका एनाउन्समेंट किया है और आज भी हम उस बात पर कायम हैं और मैं समझता हूं कि राजस्थान का संयुक्त विधायक दल ही नहीं हिन्दुस्तान में जितनी भी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी हैं वे सब इस बात पर कायम हैं कि किसान पर जो लगान है उस लगान को समाप्त कर दिया जाय और बहुत सी सरकारों ने लगान समाप्त कर दिया है । राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो इन्होंने समझा कि चौथा आम चुनाव समाप्त हुआ तो हमें भी कोई प्रगतिशील बात कहनी चाहिए । इसलिए इस सरकार ने गवर्नर साहब का जो भाषण हुआ उसमें इस बात को कहा कि छोटी जोत वाले जितने किसान हैं उन पर लगान समाप्त कर दिया जायगा मुझे यह बात याद

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है कि गवर्नर साहब ने जब इस बात को अपने अभिभाषण में पढ़ा तो सरकार की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपा कर इस बात का स्वागत किया था और कहा था कि कितना प्रगतिशील कदम उठाया है। उन्होंने इस बात की खुशी मनाई और सरकार की बडी तारीफ की कि सरकार ने कितना प्रगतिशील और जबर्दस्त कदम उठाया है। गरीब आदमियों की कितनी सुनवाई हुई है। छोटे और गरीब तबके के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की बडी खुशी मनाई थी बडे अफसोस की और बडे दुःख की बात है कि प्रगतिशील कहलाने वाली यह कांग्रेस सरकार थोड़े दिन के बाद ही, उसने जिस बात का एलान किया था, उससे मुकर गई

श्री गिरधारीलाल व्यास : अच्छा !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अच्छा नहीं। इतना बुरा काम करते हुए अच्छा काम बता रहे हैं अफसोस है कि यह बात उनकी समझ में नहीं आती है, और बहुत से लोग सरकार के इस तरह के पिट्ठु हैं कि सरकार की खडे होकर तारीफ करते हैं। परसों ही प्रस्ताव पर सरकार की तारीफ कर रहे थे खडे होकर कि सरकार ने क्या क्या किया है। अभी तो तुम्हारा नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में आया है। सरकार को पोलसन लगाओ और खुशामद करो...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : चिलम भरो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तो चिलम भरो। 36-37 आदमियों में भी तुम्हारा नम्बर आने वाला है और सुखाडियाजी ने एलान कर रखा है कि अभी तो तीन-चार आदमी वे और लेने वाले हैं। बडी खुशामद की बात हो रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बात है। अध्यक्ष महोदय, ये विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रगतिशील कहलाने वालों का 20 साल पहले और नक्शा था जब कि कांग्रेस का हर आदमी सेवा और निष्ठा के लिए मशहूर था और आज सरकार में 20 साल बैठने के बाद यह परिस्थिति आ गई है कि सरकार में बैठने वाले लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि क्या बात कही थी। मैं समझता हूं कि गांव में औरतों की पंचायत होती है और वह जो फैसला कर लेती हैं तो अपनी बात पर कायम रहतीं हैं, और आज यह प्रगतिशील कहलाने वाले कांग्रेस के माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने ही तो हटाया था और हमने ही लगा दिया जैसे जब बरसात होती है और बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं और बिगाड देते हैं उसी तरह से इस विधान सभा में 176 माननीय सदस्य बैठे हैं यहां पर एनाउन्समेंट किया गया और आज कहते हैं कि यह सरकार का अधिकार है। तो सरकार को तो जहर खाने का भी अधिकार है तो वह जहर क्यों नहीं खा लेती है। मैं समझता हूं कि उनको इस बात के लिए दुःख जाहिर करना चाहिए था। यदि वह यह कहते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई और गवर्नर साहब के अभिभाषण में कहलाते तो मान लेते कि यह परिस्थितियां थीं। वह तो नहीं किया गया और जैसे कोई डिक्टेटर हुक्म निकालता है कि हमने इस तरह का हुक्म पहले किया था और आज इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं उसी तरह से, डिक्टेटर की तरह से इस सरकार ने हुक्म जारी किया

(श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता)
और उस हुक्म को रद्द कर दिया। गावों में पटवारी लोग हमारी मजाक करते हैं कि आप विधान सभा में बैठते हैं पहले तो यह हुक्म आया था कि लगान वसूल नहीं होगा और छोटी जोत के कौन कौन से आदमी हैं उनकी लिस्ट बनाओ। बाईस बाईस रोज तक पटवारियों ने रेकार्ड तैयार किया और सब जगह एनाउन्समेंट हुआ गावों के अन्दर। सरकार की बडी तारीफ होने लगी और कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने बडी तालियां पीटीं और कहा कि प्रगतिशील कदम उठाया है। अब पटवारी लोग कहते हैं कि आप विधान सभा में बैठते हैं जाकर कहें कि सारा मामला क्या हो गया। हमने सारा रेकार्ड तैयार किया और दो-तीन दिन बाद ही हुक्म आ गया कि लगान जमा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद का नारा जो कांग्रेस लगा रही है मैं उससे यह पूछना चाहता हूं कि यह फर्जी कांग्रेसी घोडे कब तक चलते रहेंगे। हिन्दुस्तान के आठ राज्यों में से कांग्रेस सरकार उठ गई है, राजस्थान में मौजूद है लेकिन यह कांग्रेस के पाप का घडा किसी न किसी दिन फूटने वाला है। आप समाजवाद की बात कहते हैं गरीब और अमीर का फर्क मिटा दिया जायगा, लेकिन यह रेकार्ड पर है और यह मानी हुई बात है कि हिन्दुस्तान में पिछले 20 सालों में गरीब और अमीर का फर्क ज्यादा बढा है। गरीब ज्यादा गरीब हो गया है और अमीर ज्यादा अमीर हो गया है। भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने इस बात को माना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो एक साल का ही कहें। 20 साल की बात आप क्यों करते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनको अपनी शक्ति का ज्ञान दिला रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। हम को दिला रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बात को जानता हूं कि कितना ही ज्ञान दिलाऊं उन पर असर होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद की बात कही जाती है तो गरीब किसानों पर लगान नहीं लगाना समाजवादी समाज व्यवस्था का मुमकिन कदम है। हम यह उम्मीद करते थे कि सरकार प्रगतिशील होने जा रही है लेकिन थोडे दिन बाद मालूम हुआ कि यह सब दिखावटीपन की फर्जी और झूठी बात थी। सरकार पर जब संकट आता मालूम हुआ तो विधान सभा शुरू होने से पहले सरकारी मकानों की नीलामी शुरू हो गई। मैंने जब भीड देखी तो पूछा कि यह भीड कहां जा रही है तो मुझे बताया गया कि जितनी सरकारी प्रोपर्टी है वह नीलाम हो रही हैं। मालूम होता है तनख्वाह बांटने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है इसीलिए गंगानगर जिले में भूमि नीलाम की जा रही है। सरकार का ऐलान तो यह था कि भूमिहीनों को भूमि बांटी जायगी लेकिन उसके विपरीत जमीन नीलाम को जा रही है। सरकारी प्रोपर्टी भी इसी तरह से नीलाम की जा रही है, गरीब किसानों से लगान वसूल हो रहा है। मालूम होता है कि सरकार दिवालिया होती जा रही है उससे बचने के लिये यह सब कार्यवाही की जा रही है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पहले सरकार ने एलान किया था कि हम लगान माफ कर देंगे लेकिन जब प्लानिंग कमीशन के पास मामला गया और नये मंत्री बढाने की बात आई उस समय अखबारों में खबर छपी थी, प्रधान मंत्री ने कहा था कि आप मंत्री चाहे जितने बढावें लेकिन खर्चा देने के लिये हमारे पास रूपया नहीं है । जब मंत्रियों की यह फौज बढ गई और दूसरा बहुत सा खर्चा सरकार का बढ गया तो मजबूर होकर उन्होंने कहा कि या तो मकान बेचो या मकान गिरवी रखो । जब दिवाला निकलता है तो· · · ·

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : थोड़े दिनों में गवर्नमेंट नीलाम होगी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दिवालियापन को मिटाने के लिये सरकार यह सारी व्यवस्था कर रही है। मैं समझता हूं सरकार के लिये इससे बड़ा और कोई घृणित काम नहीं हो सकता। सरकार समझती थी कि कोई प्रगति वादी बात नहीं कहेंगे और एम.एल.एज. और जनता को गुमराह नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जब तक सरकारी पक्ष में 100 या 105 सदस्य थे तब तक सरकार लोगों को गुमराह करने की बात करती रही और जब इनकी संख्या बढ गई तो ऐलान कर दिया कि छोटी जोत वालों से भी लगान लेंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात करना सरकार को शोभा नहीं दे सकता ।

मैं समझता हूं सदन के बहुत से सदस्य जो इधर बैठने वाले हैं वे और उधर कांग्रेस पार्टी में बैठने वाले भी बहुत से सदस्य इस बात को मानते हैं कि गरीबों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिये । कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो मानता हो कि गरीबों पर कुठाराघात करना मुनासिब है क्योंकि समाजवाद लाने की हमारी पोलिसी है । शहर में रहने वाले जितने लोग हैं उनकी सालाना 3600) की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन गांव में एक आदमी 2 बीघा जमीन पर काश्त करता है तो उसकी आमदनी पर टैक्स लगाना गैर मुनासिब है हम तो आशा करते थे कि सरकार सारी भूमि को टैक्स से माफ करेगी लेकिन सरकार ने उल्टा ही कार्य किया । एक ओर तो कम भूमिवालों से लगान लेने की बात कायम रही और बड़े किसानों से लेना कम कर दिया था वह भी कायम रहा। इसलिए मैं समझता हूं कि हाउस निंदा प्रस्ताव अवश्य पास करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या ज्यादा है इसलिये समय की सीमा निर्धारित करना आवश्यक है अतः हरएक सदस्य को 15 मिनिट का समय दिया जायगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रस्तावक के अलावा और भी लोग बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये तो 15 मिनिट का समय रखा है । श्री अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक को तो अधिक समय दिया जाना चाहिये । ·····

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय········

श्री उपाध्यक्ष : पहले श्री अग्रवाल बोलेंगे। उनका प्रस्ताव है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो निन्दा प्रस्ताव हमने रखा है उसका जो आधार बना उसमें एक बात यह है कि राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय द्वारा घोषणा करवाई कि छोटी जोत के किसानों के लगान की छूट करेंगे। लेकिन उनसे लगान लेना वापिस शुरू कर दिया है। जिन अनइकोनोमिक होल्डिंग से लगान लेना याय संगत नहीं था उनसे लगान वसूल नहीं करने का एलान था। जहां हमारे प्रस्ताव का एक पहलू यह है उसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस राज्य सरकार के द्वारा राज्यपाल महोदय से सरकार के निर्णय की घोषणा कराने के बाद, और उस घोषणा के अनुसार राज्य सरकार का बजट तैयार होने के बाद और उस बजट के आधार पर वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण और बजट प्रस्तुत करने के बाद, और उन तमाम को लेकर एप्रोप्रियेशन बिल मंजूर होने के बाद, फाइनेन्स बिल मंजूर होने के बाद सरकार का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं रहा कि इस निर्णय और घोषणा को अपने आप ही, सदन के निर्णय के बगैर तब्दील कर सके। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि यह सरकार जो भी लगान वसूल कर रही है अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज वाले किसानों से उसके द्वारा वह संविधान को तोड रही है और अनाधिकृत चेष्टा कर रही है, गैर कानूनी कदम उठा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय राज्य पाल ने जो घोषणा की थीं अपने अभिभाषण में वह कोई ब्रोड नीतियों की घोषणा नहीं की थी, ऐसी घोषणा नहीं की थी कि सरकार विचार कर रही है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज पर लगान नहीं लिया जायगा बल्कि राज्यपाल महोदय से सरकार ने निश्चित घोषणा करवाई थी। उन्होंने कहा था :

"छोटे काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन काश्तकारों के पास 1 अप्रेल, 1967 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की गई है, उस सीमा तक या उससे कम कृषि भूमि थी उनसे अब भु-राजस्व नहीं लिया जावेगा। यह निर्णय आगामी खरीफ की फसल से लागू होगा "

उन्होंने आगे यह भी कहा था :

"अन्य छोटे काश्तकारों को किस सीमा सीमा तक और राहत दी जा सकती है, एवं उनको राहत देने से राज्य सरकार की आय में जो कमी होगी उसको कैसे पूरा किया जाय, इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार एक समिति नियुक्त कर रही है।"

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि भूमि थी उसके लिये तो निश्चित घोषणा सरकार ने की थी। इसके अलावा सरकार के विचार में राहत तलब है उनको सरकार ने विचार तलब रखा। उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, जब 29 मई को वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया तो उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का नोटिस लेते हुए भाषण के पैरा 33 में कहा :

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

"राजस्व खाते की वसूलियों में अब इस प्रकार फेर बदल होने की संभावना है: मद संख्या भू राजस्व : अगली खरीफ से कुछ छोटी जोतों पर लगान माफ किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप इस मद में 75 लाख की कमी होगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, तो इस तरह से जो राज्यपाल महोदय ने घोषणा की, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने उसके अनुसार उस बजट के अन्दर तरमीम की। इस सदन को इस बात की यादगार होगी कि इस राज्य का बजट पहले पार्लियामेन्ट में पास हो चुका था और क्योंकि सरकार ने निर्णय ले लिया था इसलिए उस बजट में नया संशोधन करके, नई तरमीम के साथ वह बजट भाषण और बजट के आंकड़े इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल आज यह उपस्थित होता है इस सदन के अन्दर कि क्या राज्य सरकार जिसने कि एक बजट पेश किया, जिसने कि बजट भाषण में किन्हीं नीतियों के आधार पर कहा कि फलाना टैक्स कम कर दिया जायगा और इस टैक्स के बदले फलाना टैक्स लागू कर दिया जाय और इस सदन ने उस आधार पर यहां पर बहस की और उस आधार पर उन टैक्सेशन प्रपोजल्स की मंजूरी दी और उस आधार पर उस मद या मांग को मंजूर किया तो उस बजट के मंजूर होने के बाद, उन मांगों के मंजूर होने के बाद, ऐप्रोप्रियेशन बिल मंजूर होने के बाद, फाइनेन्स बिल मंजूर होने के बाद क्या सरकार को अधिकार है कि अपने आप अपनी कैबिनेट में बैठ कर ऐसा निर्णय कर ले कि यह जो सदन सर्व सत्ता सम्पन्न है, इस सदन की मन्शा बगैर, इस सदन के निर्णय के बगैर उसके अन्दर बुनियादी तब्दीली कर दे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का यह अधिकार तो है कि जो टैक्स जब लगाये तो उस टैक्स को उस मात्रा तक न लगाये, उसमें कमी कर दे, उसमें से पचास प्रतिशत लगा दे। उस बात के लिए इनको सदन में आने की जरूरत नहीं है? लेकिन इस सरकार को इस बात का अधिकार नहीं है कि इस सदन द्वारा मंजूरशुदा बजट, फाइनेन्स बिल और एप्रोप्रियेशन बिल के आधार पर जो सारा बजट मंजूर हुआ है, उसके अन्दर कोई भी नया टैक्स लगा दे, पुराने छोड़े हुए टैक्स को वापिस लगा दे या पुरानी दर के अन्दर कोई बढोत्तरी कर दे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज इस प्रकार के प्रावीजन्स हैं। अगर इस प्रकार का फाइनेन्सियल कंट्रोल इस सदन का सरकार के ऊपर नहीं है तो मैं यह समझूंगा कि इस सदन की तमाम बहस करने की क्या सेन्क्टिटी है, क्या कंट्रोल है, क्या डेमोक्रेटिक राइट है? क्या यह सदन कोई फाइनेन्सेज के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आज हम तमाम पार्लियामेन्ट्री सिस्टम को देखें, और जहां से हमने परम्पराओं को लिया है या जिसकी तरफ हम देखते हैं, जब कि हमारा कान्स्टीट्यूशन, हमारा संविधान उस बारे में साइलेण्ट रहता है तो हम जो ट्रेडीशन्स और परम्परायें ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की हैं उनकी तरफ देखते हैं। कैसे करती है ब्रिटिश पार्लियामेन्ट? कैसे फाइनेन्सेज को कंट्रोल करती है ब्रिटिश पार्लियामेन्ट? उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के अन्दर वहां के किंग के अन्दर और पार्लियामेन्ट के अन्दर अपने अपने रेस्पेक्टिव राइट्स के लिए बड़ा भारी संघर्ष हुआ है, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पार्लियामेन्ट लड़ा है, क्राउन के बीच और पार्लियामेन्ट के बीच अपने अपने अधिकारों के लिए एक लड़ाई और निरन्तर संघर्ष वहां हुआ। वहां की पार्लियामेन्ट ने लगातार संघर्ष करके इस बात को स्थापित किया है कि सत्ता पार्लियामेन्ट के अन्दर निहित है और क्राउन को उस पार्लियामेन्ट की सोवरिन बोडी के विरूद्ध जाने का कोई अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में प को रेफरेंस दूंगा कि आखिर इस बजट को मंजूर करने का अर्थ क्या होता है, वजह क्या होनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेफर करूंगा मेज 'ार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस फिफ्टिन्थ एडीशन, पेज 769 (सेवन सिक्स नाइन)..

श्री घुनाथ विश्नोई : अंग्रेजी में मत बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सात सौ उनहत्तर

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहा है Financial Statement and Budget.

श्री रघुनाथ विश्नोई : कहां गये सोशलिस्ट ? (विराम) अलाऊ है।

श्री रामा न्द अग्रवाल : "The consideration of the financial Statement for the year made by Chancellor of the Exchequer is the most inportant business of the Committee of Ways and Means. This Statement, familiarly known as the 'budget', is made when the Minister has completed his estimate of the probable income and expenditure for the financial year, and usually after some progress has been made in voting the grants for the defence and other public services. In this statement the Chancellor of the Exchequer developes his views of the resources of the country, communicates his calculations of probable income and expenditure and declares whether the burdens upon the people are to be increased or diminished. In recent years the economic aspect of the budget has been very much to the lore and taxes are now often imposed for their economic effects as well as for raising revenue to meet the expenditure for the year."

जो कि अपनी स्पीच के अन्दर बजट के साथ डिक्लेअर करते हैं, ब्रोड प्रिन्सिपल्स, ब्रोड रिजोल्यूलन अपनी पालिसी का रखते हैं, that is part, वह पार्ट है तमाम बजट का। आगे जाकर यह कहते हैं :

"The resolutions which form the usual basis of the Chancellor's statement are the resolutions for the continuance, during the financial year, of the income tax, and the imposition of any new duties or alteration of permanent duties necessary for the purpose of adjusting the revenue to the expenditure of the year; and upon these and any other necessary resolutions,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

when agreed to by the House, the bill is introduced which gives legislative effect to the financial purposes of the Government."

अल्टीमेटली जो एप्रोप्रियेशन बिल या फाइनेन्स बिल––जो दो लेजिस्लेटिव मेजर्स बजट के बाद लिये जाते हैं, वह जो गवर्नमेन्ट के फाइनेन्सियल प्रपोजल्स हैं They are not only for Expenditure, एक्सपेंडीचर के लिए नहीं हैं, इन्कम के लिए भी हैं। यह तमाम पर्पज बजट स्पीच के अन्दर होता है, रिप्रेजेंटेटिव आफ एक्सचैकर या हमारा यह फाइनेन्स मिनिस्टर कहता है और उसके साथ में डिमाण्ड रखता है और उसके साथ में एप्रोप्रियेशन बिल मंजूर होता है, फाइनेन्स बिल मंजूर होता है। इसके साथ साथ फाइनेन्सियल पर्पज है गवर्नमेंट का जो बजट फार्म में डिक्लेअर हुआ, उसकी कार्यवाही करने के लिए यह लेजिस्लेटिव सेंक्शन होनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह सब कुछ होने के बाद एप्रोप्रियेशन बिल पास होने के बाद, फाइनेन्स बिल पास होने के बाद और हमारे वित्त मंत्री महोदय द्वारा अपनी जो बजट स्पीच की गई और बताया गया कि किन आमदनी की मदों को बढाने जा रहे हैं, कितना टैक्स कम करना चाह रहे हैं, किस चीजमें बढा रहे हैं––उस सब चीज को डिक्लेअर करने के बाद अब इस सरकार को यह अधिकार नही था कि अनइकोनामिक होल्डिंग्स के ऊपर अब लगान वसूल कर सके। मेरी यह मान्यता है कि पहले एक टैक्स छोड देने के बाद, एक टैक्स को लोगों के ऊपर से हटा देने के बाद अगर दुबारा उसका रीइम्पोजीशन हो तो उसी प्रोसेस से सरकार को गुजरना पड़ेगा जैसे कि नये टैक्सेशन के लिए गुजरना पड़ेगा। मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को सरकार भी डिस्प्यूट नहीं करेगी कि सरकार को अगर कोई नया टैक्स लगाना है तो वह या तो आर्डिनेन्स के जरिये आयेगी या इस सदन के लेजिस्लेशन के जरिये उस काम को करेगी। इस मामले में इस इकानामिक होल्डिंग के ऊपर लगान वसूल करने में सरकार ने यह रास्ता नहीं अपनाया, सरकार ने रास्ते को अपना कर इस हाउस की सेंक्शन नहीं ली। और इसलिए जब तक इस हाउस की सेंक्शन नहीं ले, लेजिस्लेटिव सेंक्शन नहीं ले तब तक यह कदम अवैधानिक है, आउट आफ जुरिस्डिक्शन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, आप मुझे समय दें। काफी लीगल क्वेश्चन है इसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में भी मैं आपके सामने इस मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में जो आपका पेज है 773......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मेज पार्लियामेन्ट्री हमने भी पढी है। कहना क्या चाहते हैं? वही कहें न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पेज 682 पर इस मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में टैक्सेशन के बारे में कहते हुए आगे इसमें यह कहा है––

"In modern practice this view is regarded as incomplete; and as requiring to be supplemented by the view that the royal initiative in taxation implies the exclusive right to define the incidence as well as the amount of burdens to be placed upon the people, and that an amendment whi-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ch transfers a burden to tax-payers not previously liable is an infringement of this initiative.

यानि क्राउन ने जो बजट पास करवाते समय अपना जो इनीसियेटिव रखा, उसके बाहर जाने का या उसमें अमेन्डमेन्ट करने का अधिकार उसको नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी है कि रीइम्पोजिशन आफ रिपील्ड टैक्स, पेज 762 पर :

"Re-iposition of a repealed tax—The revival of a repealed or expired tax is treated in the same way as the imposition of a new tax; and consequently the resolution imposing it does not become effective under the provisional collection of Taxes Act and cannot include several separate commodities."

(2 म. प.)

इस तरीके से इन्क्रीज भी नहीं की जा सकती। इसी तरह रिपील फार रिडक्शन इन टैक्सेज—इसके लिए भी सेंक्शन की जरूरत है उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से इस सदन की सेंक्शन के बगैर इस सरकार ने जो भी यह कदम इसकी वसूली के लिए उठाया है वह अवैधानिक है। और हमारे कान्स्टीट्यूशन में भी है। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे कान्स्टीट्यूशन का आर्टिकल 207 है उसके अन्दर इस तरह के प्रावीजन्स हैं जिनके अनुसार टैक्स कम करने का अधिकार सरकार को है सेंक्शन के बगैर। सेंक्शन भी न ले गवर्नर की और कोई प्रपोजल टैक्स को कम करने का कर दें, कोई प्रपोजल टैक्स को ऐवेयेन्स करने का कर दें। लेकिन कोई टैक्स बढ़ाना पड़े या कोई नया टैक्स लगाना पड़े तो उसके लिए स्पेशल प्रावीजन हमारे कान्स्टीट्यूशन रखी हुई है, आर्टीकल 207 के अन्दर जिसको पूरा किये बिना यह सरकार नहीं कर सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण से इस सरकार ने जो यह कदम उठाया है यह अनकान्स्टीट्यूशनल है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, गैर कानूनी है और इस रूप में इसकी फौरन इस सरकार को वसूली बन्द कर देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हुआ इसका कानूनी पहलू, यह हुआ इसका संवैधानिक पहलू। अब मैं इस पहलू की ओर आता हूँ कि इस सरकार ने जिन लोगों की जमीन को अनार्थिक जोत माना है उनके लगान की मुक्ति की घोषणा इसने की और अब उनसे वापिस वसूल करने की बात कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में न केवल हम लोगों ने सरकार के कदम की सराहना की थी, आज इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य बैठे हैं जो आज इस मंत्रिमण्डल में विराजमान हैं। पहले जो मंत्रिमण्डल था जिसने उस समय निर्णय लिया था कि इस टैक्स को हटाया जाय और आज जो मंत्रिमण्डल है उसने वापिस वसूल करने का फैसला किया है। मैं आपको एक भाषण का अंश पढ़ कर सुनाऊंगा। श्रीमती सुमित्रा सिंह हैं जिन्होंने कहा था :

"अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य में कृषि उत्पादन का सवाल है, मैं समझता हूं (हंसी) समझती हूं कि पिछले दस वर्षों के अवसर पर यह पहला ही राज्यपाल का अभिभाषण है कि जिसमें लोककल्याणकारी राज्य और समाजवाद की प्राप्ति

Page No. 71

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिए कुछ क्रान्तिकारी घोषणाएं की गयी हैं। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहनी हूं कि चुनाव के बाद में अखबार किस प्रकार से पब्लिसिटी कर रहे थे यदि हमारी सरकार बन गयी तो अनआर्थिक जोतों पर भू-राजस्व खत्म कर देंगे। इसकी ताईद एक भी विरोधी दल के माननीय सदस्य ने अपने भाषण में नहीं की। यह पहला मौका है कि राजस्थान का किसान कांग्रेस सरकार से आकांक्षा लगाये बैठा है। वह इस बात से खुश है कि छोटी जोत वाले जो किसान हैं उनको राहत देकर सचमुच में राजस्थान सरकार ने स्वागत योग्य बात की है। साथ साथ यह भी अपील करूंगी कि अनआर्थिक जोतों पर से हटाये भू–राजस्व पर जिन लोगों के पास छोटी भूमि है और जो छोटे किसान हैं उन लोगों को राहत मिलेगी ही लेकिन राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं जो इस लाभ से वंचित रह जायेंगे उनको भी थोडी बहुत राहत पहुंचाने के लिए, मैं सोचनी हूं, राज्य सरकार इस पर सोचेगी और इसमें स्पष्टीकरण करके साफ और ऐसा कानून और ऐसी व्यवस्था करेगी।"–– माननी हैं आप।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कैबिनेट मिनिस्टर का भी हमारे पास भाषण है। वह भाषण भी सुन लिया जाये। वह कैबिनेट मिनिस्टर अमृतलाल यादव का है। उन्होंने कहा है,

> "मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद देने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उस अभिभाषण को पढा है। जो छोटी जोतें हैं उनके लिए राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि छोटी जोतों पर लगान नहीं लिया जाएगा। यहां कोई भी व्यक्ति जो जरा भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है वह इस बात पर अपनी प्रसन्नता जाहिर किये बिना नहीं रह सकता और माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि एक महत्वपूर्ण कदम राजस्थान में उठाया गया है। इसकी सराहना न केवल यहां बल्कि राजस्थान के बाहर भी हो रही है।"

कई माननीय सदस्य : वाह ! वाह !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी तरह माननीय खेतसिंह का भी है।

श्री उपाध्यक्ष : उस समय इनमें से कोई मंत्री नहीं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही मैं कहना चाहता हूं। या तो यह इन लोगों की हिपोक्रेसी है। जब यह वहां नहीं थे तो इन्होंने कहा कि यह कदम पूर्णतः स्वागत योग्य है।

श्री विट्ठल भाई : टुकड़ा मिल गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले इस कदम में इनका कोई सहयोग नहीं था। लेकिन इस मंत्रिमंडल से इन लोगों का सहयोग का है, इस सहयोग करने वाली बात को मैं समझता हूं। इस मंत्रिमंडल ने जो कदम लिया है, जो निर्णय वापिस लगान लेने का किया है, उसकी उन लोगों पर जम्मेदारी जायेगी जो वहां जाकर बैठे हैं। श्री खेतसिंह जी जो कि यहां बैठते थे अब वह वहां जाकर बैठने लगे हैं। श्रीमती सुमित्रा सिंह जो यहां बैठती थीं वहां जाकर बैठने लगी हैं, और बैठने के बाद

श्री विट्ठल भाई: टुकड़ा मिलने के बाद बोलते नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक वर्ष के पहले जो क्रांतिकारी कदम उनको मालूम होता था, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही उस क्रांतिकारी कदम को खत्म करवाने में इन्होंने सहयोग का हाथ दिया है। मुझे माफ करेंगी, महिला होने के नाते मुझे आपसे हमदर्दी है। जब आप किसानों के बारे में टीस के साथ बोलती थीं तो मुझे किसानों के दिल का दर्द आपके स्वर में सुनाई देता था। मैं समझता हूं कि आज आपने जरूर किसान के दिल के दर्द को महसूस किया होगा। यह बात दूसरी है कि आप अपना वोट नहीं कर सकतीं, केबिनेट में नहीं है इसलिये वोट नहीं कर कर सकतीं, केबिनेट में आपकी बात नहीं चलती लेकिन जिन्दगी में ऐसे मौके कम ही आते हैं। आपको अपनी आवाज के लिए जिन्दा रहना है, आपको अपने कर्त्तव्य के लिए जिन्दा रहना है तो इस बात का आपको फैसला करना होगा क्योंकि झुंझुनूं की जनता को इस बात के ऊपर चुप नहीं कर सकती हैं, उसको चुप करके इस बात को नहीं मनवा सकती हैं। आपकी खुद की पार्टी में ही ऐसे लोग हैं – जैसे छागला जिन्होंने एजूकेशन की पॉलिसी से एग्री नहीं किया तो सरकार से इस्तीफा दे दिया। और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार की पालिसी से एग्री नहीं किया तो उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। आज आप कौनसा मॉरेल प्रस्तुत करती हैं कौनसा चरित्र प्रस्तुत करती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इसका समर्थन उस समय किया था और जिन्होंने समर्थन करके वाह वाही लूटी थी। जिन्होंने हमसे यह कहा था कि हम देख नहीं पा रहे हैं क्रांतिकारिता को। मैं उनको कहना चाहता हूं कि कहां है आपका मॉरेल, कहां है आपका चरित्र ? आप जो राजस्थान के बिलखते हुए किसानों से वोट लेकर यहां आये हैं, और यहां आकर बैठते हैं अब उनके सामने आप किस मुंह से जायेंगे और उनके बीच में जाकर आप किस मुंह से उनको जवाब देंगे····

श्री भवरलाल : बोलें कैसे ? टी. ए. और डी. ए. कैसे मिलेगा ? इसलिए चुप हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली 13 जनवरी को अलवर परिषद् की मीटिंग हुई थी। उसमें सर्व सम्मत्ति से उस वक्त यह प्रस्ताव पास किया गया है। लिखवाया मेरे से। मुझ से एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि तुम्हारे रखने से पास नहीं होगा, लाओ मैं रख दूं। उन्होंने रखा और सब सम्मति से पास हुआ। माननीय गोकुल चन्द जी यहां बैठे हैं। उन्होंने विरोध नहीं किया जय कृष्ण जी बैठे हैं जय कृष्ण जी जो अब मिनिस्टर हैं, वह यहां बैठे हैं। उन्होंने भी विरोध नहीं किया। समर्थ लाल जी जो वहां

Page No. 73

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बैठे थे उन्होंने भी विरोध नहीं किया। यह सब बाउन्ड है। जिला परिषद् के उस रिजोल्यूशन से बाउन्ड हैं। गोकुलचन्द जी बोलिये, क्या कहते हैं आप उस जिला परिषद के रिजोल्यूशन से बाउन्ड हैं या कि सुखाड़िया जी से बाउन्ड हैं, क्या सुखाड़िया जी के लुभावने वायदों से बाउन्ड हो सकते हैं? आपने बोलते हुए कहा था कि मेरा दिल जल रहा है, गरीब किसानों के लिये कुछ नहीं हो रहा है। क्या इसको आप हिपोक्रेसी नहीं मानते हैं?

एक माननीय सदस्य : दिल जल रहे हैं लेकिन मजबूर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो रिजोल्यूशन है, जो रिजोल्यूशन सर्वसम्मती से पास हुआ था, उसके प्रति आप वफादार हैं या कि आप सुखाड़िया जी के प्रति वफादार हैं जिन्होंने एक पोस्ट डेटेड चैक दे रखा है? आप उस रिजोल्यूशन में विश्वास रखते हैं या सुखाड़िया जी में विश्वास रखते हैं यह आपके तय करने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बात कही जाती है, . . .

श्री उपाध्यक्ष : मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस कोट की उतना समय ही बढ़ाया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो मिनिट !

श्री शुभकरण सिंह : और कोट किया है। मिनिस्टरों को कोट किया है।

श्री बोलतराम कलाल : सीरिअस मैटर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह और कहना चाहता हूं कि आज इस बात की दलील दी जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे ऊपर आज आर्थिक संकट है, इसलिये हमें ऐसा करना पड़ा तो मैं यह पूछूंगा आपसे कि क्या यह आपके दिल पर उतरती है कि चालीस, चालीस का मंत्री मंडल बना रहे हैं, या जो लोग हार गये उनको एक एक हजार की तनख्वाहें देकर किसी को रोडवेज कोर्पोरेशन का चैअरमेन और किसी को होटल कोर्पोरेशन का चेअरमेन बना दिया। कल किसी को गौशाला का चेअरमेन मुकर्रर करेंगे, किसी को पिंजरापोल का मुकर्रर करेंगे। अगर इस तरह से राजस्थान सरकार को पैसा खर्च करना है तो किसानों के दिल में यह बात नहीं उतर सकती कि आप पर आर्थिक संकट है।

हम समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, जो एक फ्यूडल सिस्टम से ताल्लुक रखता है, जैसे राजा और अंग्रेज लोग समझते थे कि हमें पैसा मिलना चाहिये तो यह उनका सिस्टम है, इन तरीके को अब खत्म करना चाहिये और साइंटिफिक तरीका होना चाहिये।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में और इस प्रस्ताव के प्रस्तावक की हैसियत से खड़ा हुआ हूं। वह सरकार जिसने यह घोषणा की, उसको इस प्रकार की घोषणा करने का कोई संवधानिक अधिकार नहीं था, गैर कानूनी तरीके से यह घोषणा की है, उस सरकार की निन्दा करनी चाहिये और निन्दा करके इस सरकार को आदेश दिया जाना चाहिये कि वह इस टैक्स की वसूली को तुरन्त बन्द करें।

Page No. 74

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक अमेंडमेंट सर्कुलेट हुआ है, उसमें सरकार कहती है कि अगर वसूली हुई है तो, नहीं हुई है तो··

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! समय हो गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से मंजूर करने के लिये पेश करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मेरी ओर से श्री देवीदत्तजी गाड़िया को हमारे दल के विचार रखने दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऐसा है, मैं निवेदन करूं, गाड़ियाजी हमारे दल की ओर से विचार रखें । जैसा कि आप कह रहे हैं समय कम है इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अगर आप विश्वास दें कि उनको भी बोलने का अवसर दिया जायगा तो मैं बोल लूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इनको समय दिया जायगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इनको समय दिया जायगा तो मैं बोलूंगा। वैसे हमारे दल के विचार अच्छी तरह इस सम्बन्ध में समझ में आ सके इसलिये मैं चाहता हूं कि गाड़ियाजी इस पर बोलें।

एक माननीय सदस्य : गाड़ियाजी को बोलने दो ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय विधान सभा के अन्दर राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया मुझे तो यह विश्वास था कि देश की सर्वोच्च सत्ता लोक सभा को जैसे हमारे मौजूदा राज्यपाल महोदय ने एक लम्बे समय तक लोक सभा की अध्यक्षता करके भारतीय संविधान के अन्तर्गत देश के शासन को चलाने के लिये मार्ग दर्शन किया, उसी प्रकार वे इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का सही मार्गदर्शन करेंगे लेकिन उन्होंने हमारे विश्वास के प्रतिकूल··

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! राज्यपाल महोदय पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं लगायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्यपाल महोदय को क्रिटिसाइज करने का हमें बिल्कुल अधिकार है इससे हमें कोई संविधान नहीं रोकता। मैं बोलूंगा, मुझे इसके लिये कैसे रोकते हैं। आज के हालात ने तो साबित कर दिया है कि खूब कस कर क्रिटिसाइज करना चाहिये।

श्री देवदत्त गाड़िया : जिस तरह उन्होंने लम्बे अर्से तक संसद का मार्ग दर्शन किया है यहां भी करेंगे। पर आज राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया हैं इनकी हमेशा नीति रही है एक तीर से दो शिकार करने की सुखाड़िया ने एक तीर से राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्दजी का शिकार किया, उनका राजनैतिक जीवन ही समाप्त कर दिया। संकटकालीन स्थिति

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

में राज्यपाल महोदय ने अपना प्रथम अभिभाषण पढ़ा तो हमें विश्वास था कि जो गरीब खातेदार किसान हैं, उनको राहत मिलेगी, पर मुख्य मंत्री ने स्वयं के शासन को कायम रखने के लिये राज्यपाल के पवित्र सिंहासन को भी बदनाम किया है और राजस्थान की 2,1/2 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया है। 4 मई 67 को यह घोषणा की कि राजस्थान के अलाभकारी जोतों के किसानों को अब लगान से छूट दी जाती है और उस छूट के दिये जाने के कारण राजस्थान के मुख्य मंत्री ने पिछड़ी जाति के विधायकों को, जो हमारी ओर थे विरोधी पक्ष की ओर थे, एक प्रकार से प्रलोभन दे कर, पैसा दे कर अपनी ओर किया और इसके साथ ही साथ राजस्थान के अन्दर कांग्रस के काले कारनामों के कारण जो कांग्रेस के विधायक गांवों में नहीं जा सकते थे, उनके मार्ग को खुला करने के लिये गांवों के गरीब किसानों के सामने जाने के लिए जिस प्रकार आज एक बहुत बड़ा पूंजी पति एक कुत्ते को अपने दरवाजे पर पालता है और रोटी का टुकड़ा डाल कर उसकी पूंछ हिलाने की प्रवृत्ति को जागृत करता है उसी प्रकार उन विधायकों को राजस्थान के गांवों में जाने के लिये मुख्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय के द्वारा व्यवस्था कराई थी कि किसानों की अलाभकारी जोतों पर लगान नहीं लिया जायगा। उस कारण इच्छा नहीं होते हुये भी गरीब किसानों नें उन विधायकों को आने दिया इतना ही नहीं राजस्थान के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में, जिसको प्रगतिशील बजट भाषण बता कर कांग्रेस के विधायकों ने तारीफ की, यह जाहिर किया कि 75 लाख रुपया अलाभकारी जोतों से लगान का प्राप्त होता था। यह छूट देने से जो यह कमी हुई है, उस कमी की पूर्ति करने के लिये इस राजस्थान की विधान सभा में उन्होंने नये बजट-कर रखे और कहा कि इस प्रकार गरीब किसानों को, बीस, बाईस लाख किसानों को लाभ देने के लिये, इस बजट को पूरा करने के लिये हमें यह कर लगाने पड़ रहे हैं। उस आधार पर इस राजस्थान की विधान सभा राजस्थान के वित्त मंत्री को नये कर लगाने की स्वीकृति दी। एक ओर 75 लाख रुपयों के स्थान पर नये कर लगाये दूसरी ओर आज इस विधान सभा में राजस्थान के मुख्य मंत्री मंत्रिमण्डल में बैठ कर, उस मंत्रिमण्डल में जिसमें किसानों के प्रतिनिधी होने का दावा करते है कि हम किसान के बेटे हैं और दावा करते हैं कि उनके वोटों से चुन कर आये हैं उस प्रकार की कार्यवाही की आज मैं उन मंत्रिमण्डल के सदस्यों से पूछूंगा कि कहां गये किसानों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले जिन्होंने सुखाड़िया जी के दबाव में आकर राजस्थान के गरीब किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय किया? वे देखते हैं कि यह सत्ता चली गई तो कहीं के नहीं रहेंगे और वे किसानों से किये गये अपने वायदों को भूल गये। वित्त मंत्रीजी ने इस प्रकार सदन को धोखा दिया है, सदन के साथ विश्वासघात किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 75 लाख रुपया अलाभकारी जोतों का लगान माफ करने से जो कम हुआ था, उस कमी की पूर्ति के लिये जो आपने नये टैक्स लगाये थे, क्या वह राजस्थान की जनता को वापिस देने के लिये तैयार हैं? एक ओर वे टैक्स लगायें, उसके स्थान पर नये टैक्स लगावे, उन टैक्सेज के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

वापिस नहीं कर सकते तो राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के मंत्रि मण्डल को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह विधान सभा में अलाभकारी जोतों पर माफ किये हुए लगान को फिर से लगा दें।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार जो नया लगान लगाया जा रहा है उसका एक मात्र कारण दिखाई दे रहा है और वह यह है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये इतने बड़े मंत्रि मण्डल, जो सफेद हाथियों की तरह दिखाई दे रहा है, के सदस्यों को तनख्वाह, टी.ए., डी.ए.देने के लिये गरीब किसानों पर फिर से यह लगान लगाया है। किसानों से बड़े ये मंत्री हैं तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज वे यहां इस प्रकार की घोषणा करें।

इतना ही नहीं मंत्रियों की तनख्वाह पर, टी.ए., डी.ए. पर इतना खर्चा होता है इसके अलावा किस प्रकार के कार्य किये जाते हैं इसका एक उदाहरण में रखना चाहता हूं श्री रामचरणजी यहां से अटरू गये हुए हैं उप मंत्री बने, प्रलोभन दिया गया, उनको किस प्रकार का प्रलोभन दिया गया अभी मुझे मालूम हुआ। छीपाबड़ोद का फूल बड़ोद गांव है, वहां 750 बीघा जमीन अपने रिश्तेदारों को कोओपरेटिव फार्मिग के नाम पर दी है। वह जमीन जंगलात की जमीन थी। इस प्रकार बेईमानी करके वन विभाग के मंत्री जी पर दबाव डाल कर इस जमीन को रेवेन्यू में ट्रान्सफर किया है।

इतना ही नहीं उप मंत्री महोदय है उनके भाई के नाम पर सीदपुरा से गंवाई चलने वाली एक बस का परमिट दिया है इसी प्रकार दूसरे उपमंत्री श्री कन्हैयालाल, हैं उनकी हिम्मत देखिए कि किस प्रकार न्याय के अन्दर हस्तक्षेप करते हैं, झालावाड़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट है.......

श्री उपाध्यक्ष: कृपया प्रस्ताव पर बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया: उसी पर बोल रहा हूं। मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं श्री चिमन सिंह उनको उस उपमंत्री ने पत्र लिखा है दिसम्बर में कि यह बुढ़िया डोकरी है उसकी रिश्तेदार, उसके पक्ष में फैसला करें।

वह पत्र आज भी चिमनसिंह, मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास मौजूद है, उनकी फाइल पर लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस फाईल से कागज गायब न हो जाय, उसकी सुरक्षा के लिए आज ही आप व्यवस्था कर दें। यदि राजस्थान के मंत्रिमंडल में इस प्रकार मंत्रियों की भरमार की गई तो राजस्थान की जनता का विश्वास नहीं रहेगा कि राजस्थान के अंदर कोई न्याय मिल जाएगा।

आज देखते हैं कि किसान की हालत कितनी खराब है कि यदि अलाभकारी जोत का कानून लागू किया गया तो किसान गांव में खेती न करके शहर में आकर काम करेगा। इसके अंदर एक राजनैतिक चाल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास हो गया है कि अलाभकारी जोत के किसान, जो करीब 20–22 लाख परिवार हैं, जिनकी आबादी एक करोड़ की है, जिनका विश्वास कांग्रेस के अंदर खो चुका है, यदि पढ़कर होशियार हो गए तो राजनीति में भाग लेंगे और चुनाव में उनमें से कोई खड़ा हो गया तो चारों खाने

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

चित्त जाएगी। आज किसान के पास अनाज नहीं फिर भी लगान के साथ साथ आज राजस्थान की सरकार विकास के नाम पर जो नैशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट्स के द्वारा धन इकट्ठा करना चाहती है, उसके लिए पटवारियों को आदेश दिया है कि उनको जबर्दस्ती 10 रु. के नैशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट्स दिए जायं। आज यदि किसान को बंदूक का लाइसेन्स रिन्यू कराना पड़ता है तो वह जब तक 11 रुपए का नैशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट न ले तब तक उसका लॉइसेन्स रिन्यू नहीं किया जाता है।

इतना ही नहीं आज जो तकावियां हैं वे भी गरीब किसानों को नहीं मिल पाती हैं।

हमारे देश में अनाज के अभाव के कारण हमारे केन्द्रीय खाद्य मंत्री व वित्तमंत्रीजी अनाज के नाम पर देश की इज्जत अमरीका में नीलाम पर रख देते हैं और भीख का कटोरा लेकर गेहूं मांगने जाते हैं। यदि सरकार उन अलाभकारी जोत के किसानों को अन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती तो अनाज की कमी नहीं होती। हम देखते हैं कि हमारे यहां पर बहुत बड़ी विकास की योजनायें बनती हैं और उन पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कोटा जिले के अंदर चंबल नहर से लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा यदि उन गरीब किसानों को सिचाई के साधन देती तो 38 हजार एकड़ भूमि के अंदर आज सिंचाई हो सकती थी और यदि सिंचाई जो जाती तो देश के अन्न उत्पादन में बड़ी वृद्धि होती। इतना ही नहीं आज गरीब किसान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दो उदाहरण उसके में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं जिस क्षत्र से आया हूं उसके अंदर रामपुरा बख्तावर गांव में बख्तावरलाल धोदी ने चंबल कमान्डेड एरिया में नीलामी के अंदर 5-6-65 को तीन बीघा जमीन 851 रु. में नीलाम में ली थी। एक मुश्त रकम जमा करवाई। दो साल तक उस किसान ने बंजर भूमि पर पैसा खर्च करके, परिश्रम करके जमीन को ठीक किया। दो साल बाद वहां के चंबल कमान्डेड एरिया के नायब तहसीलदार ने उनसे वापस छीन ली और दूसरे व्यक्ति को नीलाम कर दी।

इसी प्रकार रतनलाल ने 4 बीघा जमीन ली थी, उससे भी दो साल के बाद वापस छीन ली। किताब नं. है 19 और रसीद नं. 51,237 और दाम के जमा कराने के बाद भी वह जमीन वापिस ले ली। जोत की लगान की भूमि के संबंध में राजस्थान क वर्तमान उप गृहमंत्री ने पिछले सत्र में 27-4-67 को एक प्रश्न पूछा था . . .

श्री उपाध्यक्ष:—आपका समय हो चुका है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: दो मिनट में खत्म करता हूं।

उपगृह मंत्री श्री खेतसिंह ने अलाभकारी जोत के सम्बन्ध में पूछा था कि "क्या राजस्थान सरकार राज्य में बिगोड़ी माफ करने की घोषणा करेगी? यदि हां, तो इससे राज्य की अर्थ व्यवस्था में कितना घाटा आएगा?

(2) क्या यह सही है कि बिगोड़ी माफी में से जो आर्थिक क्षति होगी उसकी पूर्ति राज्य सरकार किस प्रकार करने का विचार रखती है? क्या बिगोड़ी माफी के स्थान पर अन्य कर लगाने की योजना है?" उसका उत्तर वित्त मंत्री ने दिया है "जैसे कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

है, जिन काश्तकारों के पास 1-4-67 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (1) के अंतगर्त जो न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की गई है उस सीमा तक या उससे कम कृषि भूमि थी उनसे भूराजस्व नहीं लिया जायगा और यह निर्णय आगामी फसल से लागू होगा। इससे राज्य सरकार को चालू वर्ष में 75 लाख की हानि होगी और वार्षिक हानि 1,25,00,000) होगी। उसके बाद दूसरे छोटे काश्तकारों को जिस सीमा तक राहत दी जाती है, उस राहत देने से राज्य सरकार की आय में कमी होगी, वह कैसे पूरी होगी, इस पर विचार करने के लिए राज्य सरकार एक समिति नियुक्त करेगी।"

माननीय सदस्य, जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन किया है, उनको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने, श्री गिरधारीलाल व्यास ने पिछले राज्यपाल के अभिभाषण पर राज्यपाल की तारीफ की है :

"राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अलाभकारी जोत की लगान को हटाने का निर्णय लिया गया है, वह एक क्रांतिकारी कदम है।" जिस माननीय सदस्य ने इस अलाभकारी जोत को हटाने को एक क्रांतिकारी कदम बतलाया, आज वही माननीय सदस्य कांग्रेस के दबाव में आकर, आत्मा को दबाकर, सुखाड़िया की पगचम्पी करने के लिए, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन कर रहे हैं। एक ओर तो आप किसान से कहते हैं कि अन्न उत्पन्न करो दूसरी ओर यदि किसान खेत पर बिजली लाने के लिए कहता है तो राज्य सरकार ने 3500) एडवान्स जमा कराने की घोषणा की। विद्युत् मंडल कहता है कि जब तक 1500) अग्रीम रूप में जमा नहीं कराया जाता तब तक किसान को अन्न उत्पादन के लिए बिजली नहीं मिलेगी।

मुख्यमंत्रीजी ने पिछली बार अपने भाषण में शाहबाद की पिछड़ी जाति के लोगों के लिए कहा था हजारों परिवारों को तीन लाख से अधिक भूमि दी गई है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को चुनौती देना चाहता हूं कि शाहबाद किशनगंज इलाके में जिन सहरिया आदिवासियों को पांच, सात दस बीघा भूमि दी गई थी वह आज भी वैसे के वैसे ही भूमिहीन हैं। उसका कारण यह है कि लगान लगता है, अन्य और कोई साधन नहीं है इस कारण आज वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी जमीनों पर किसने कब्जा किया? मुख्य मंत्री की सांठ गांठ के द्वारा गंगानगर से बड़े किसान ने आज उन सहरियों की बीस हजार बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस कांड की जांच करवायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक मिनिट। समाप्त ही कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं कि उन गरीब आदिवासी किसानों की जमीन पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। एक भार्गव सोसाइटी दीगोद के नाम से उन सहरियों की सोसाइटी बनी हुई थी। श्री स्वर्णसिंह गंगानगर से आये हुए हैं, ने उन आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लिया है। सहरियों के खातों को अपने में डाल लिया। यदि अलाभकारी जोतों के किसानों को राहत नहीं दी गई तो राजस्थान सरकार को चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के सभी माननीय सदस्य इसी विधान सभा से इस्तीफा देकर दुबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कांग्रेस के लोगों की दुबारा चुनाव लड़कर आने की हिम्मत है? हिम्मत किसी की नहीं।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने मंत्रिमंडल बनाया·····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उस मंत्रिमंडल में··

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक रिक्वेस्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक सेकिन्ड। इतनी सी रिक्वेस्ट है। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : अन्त में भी चार दफा हो चुका है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अब के बैठ जाऊंगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इतना विशाल मंत्रिमंडल बनाया और एक भी महिला सदस्या को केबिनेट स्तर का मंत्री बना कर मंत्रिमण्डल में नहीं लिया, जो राजस्थान के लिये एक कलंक की बात है। झुंझुनू से आयी माननीय सदस्या इसके लिये योग्य हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से अपील करना चाहूंगा कि राजस्थान मंत्रिमंडल में एक महिला को लेकर एक आदर्श प्रस्तुत करें। अन्त में इस निन्दा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मेरे क्षेत्र के उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस निन्दा प्रस्ताव का समर्थन करें और अलाभकारी जोत पर लगान लागू किया गया है उसको हटाने के लिए दबाव डालें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह रावत

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : भाषणों की क्या व्यवस्था की गयी है? पहले बोलने वाले बहुत समय तक बोल जाते हैं फिर दूसरों के लिये समय ही नहीं बचता है।

श्री जयनारायण खाजोड़िया (निवाई) : आपका बोलने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : 15 मिनिट का समय है और बीस मिनिट तक बोलते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी प्रस्तावकर्ता ही बोल रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। मुझे एतराज नहीं है कि विजयसिंहजी बोलें। आपने फरमाया कि प्रस्तावक बोल रहे हैं तो मेरा नाम उनसे पहले है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : मेरा अनुरोध है कि 15 मिनिट के समय के बाद एक एक दो दो मिनिट लेकर ज्यादा समय ले लेत हैं उसकी व्यवस्था की जाय जिससे समय से अधिक कोई न बोलें और दूसरों को बोलने के लिये समय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : उसी की कोशिश कर रहा हूं। व्यवस्था लागू होने में समय लगता है

जहां तक व्यवस्था के प्रश्न का सवाल है प्रिन्टिंग में गलत है। विजयसिंहजी के बाद आप बोलें।

श्री विजयसिंह राठौड़ (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्थ आम चुनाव के बाद राजस्थान की विधान सभा में प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा छोटे काश्तकारों को राहत देने के लिये सरकारी घोषणा करवायी गयी उसको राजस्थान की यह सरकार क्रियान्वित करने के अन्दर कहां तक समर्थ रही और कहां तक इसने उसको क्रियान्वित किया उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा है। जो शेष रह गया है उसको मैं उनके साथ जोड़ना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कांग्रेस सरकार के नेतागण अपने भाषणों में दुहाई देती है कि हम पिछड़ी जाति के पिछड़े वर्ग को, जिनके अन्दर चमार, मीणे, और अनुसूचित जाति और जनजातियों हैं, उत्थान के लिये उनको जमीनें अलाट कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष सुविधायें दे रहे हैं, हर संभव कदम उनके लिये उठा रहे हैं जिससे पिछड़ा हुआ वर्ग आगे बढ़े। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस राजस्थान की सरकार न पिछड़े वर्गों के साथ में नह ही व्य हार रखा है जिसके तहत यह पिछड़ा वर्ग कभी किसान न बन सके, कभी शिक्षित न बन सके और अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे न बढ़ सके। इसका स्पष्ट प्रमाण है छोटी जातों पर लगान छोड़ा और उसको वापिस लगा लिया। राज्यपाल के अभिभाषण के आंकड़ों को देखें तो विदित होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जमीन अलाट की। जमीन अलाट करने का आधार 15 बीघा है। 17॥ बीघा जमीन पर लगान माफ किया। आज सरकार इस लगान को माफ नहीं कर रही है यह कह कर कि खजाने में पैसा नहीं है। टी.ए.डी.ए. बनाने के लिये, फिजूल खर्च करने के लिये पैसा खजाने में नहीं है। इतना ही नहीं मंत्री अपनी मन पसन्द का खाना और कपड़ा अपने परिवार को दे सकता है उनको सब सुविधायें दे सकता है मगर उन जातियों के लोगों के गले पर तलवार चलाने चाहते हैं जो बिलकुल गरीब और पिछड़े हुए हैं। आज चाहे ये लोग अपनी मन मानी कर लें। जब अनु-सूचित जाति और जनजाति के अन्दर यह बात बैठ जावेगी कि वे क्यों नहीं किसान बन सकते हैं तो इन लोगों की नहीं चल सकेगी। ये लोग किसान किसको मानते हैं? हो सकता है मेरे पास जमीन ज्यादा हो, मेरे पूर्वजों की हो, उस जमीन को भांवरी बोता हो तो क्या वह किसान नहीं बन सकता है, चमार किसान नहीं बन सकता है? लेकिन कांग्रेस के सदस्यों को मैंने कहते हुए यह सुना है कि किसान तो वह ही बन सकता है जो परम्परा से खेती करता आया हो। कांग्रेस के सदस्यों ने जो संशोधन पेश किया है वह लोग यह कहते कि किसान तो लगान देने के लिये

(श्री विजयसिंह रावत)
तैयार हैं। यदि लगान नहीं लेते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा मालिकाना हक जमीनों पर नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि किसान आज इतने भूले हुए नहीं हैं, इतने गंवार नहीं है कि श्री सरकार, लिखा हुआ होता है सेटलमेन्ट में तो मालिकाना हक किसका है। हम तो टिनेन्ट की तरह हैं। किसी का जमीन पर हक नहीं है।

केवल उसके अन्दर यह अधिकार है, यह बात कही जाय तो वे किसान का विरोध करते हैं, वह किसान विरोधी प्रचार करते हैं जिनको फायदा नहीं है। मेरे अजमेर जिले के अन्दर जब गवर्नमेन्ट की घोषणा हुई उसके बाद के अन्दर एक एक तहसील के अन्दर अजमेर जिले के 130 पटवारी, 11-12 गिरदावर और 3-4 तहसीलदारों ने रात दिन काम किया। एक चार्ट बनाया कि कितना अधिक से अधिक किसान को लाभ होगा और इसी प्रकार डूंगरपुर, बांसवाडा, शाहपुरा क्षेत्र है जहां छोटी जोत वाले किसान हैं वहां भी उसी प्रकार गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। उसके बाद में सारे पेपर तैयार होने के बाद यह × × × × सरकार कहती है कि बजट में घाटा है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : × × × × शब्द कटु है, सक्षम कहो।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : × × × × शब्द कार्यवाही से हटा दिया जाय।

× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाले गये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : इसको हटा दिया जाय।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज इतना काम करने के बाद भी सरकारी कर्मचारी इस सरकार के अन्दर जो विश्वास रखे हुए थे वह खो बैठे हैं। आज इस सरकार के किसी भी निर्णय पर विश्वास नहीं है। आज जो सरकार किसी स्टेट के अन्दर अपने अल्पमत के अन्दर चले और वह जनता का कान्फिडेन्स लेकर नहीं चले उस सरकार को इस डैमोक्रेसी में राज्य करने का हक नहीं है। लेकिन इन लोगों को नकटाई से सुनने की आदत हो गई है, सब हंसते रहते हैं, इन्हें कुछ भी कहो सब सुनते रहेंगे। पहले भाषण में माननीय सदस्यों ने कहा था—डिक्लेअर किया था कि जो छोटी जोत वाले किसान हैं, उनसे वसूली नहीं कर रहे हैं। मैं 17 तारीख को जयपुर में आया था, उससे पहले जिलाधीश महोदय से मैं इस बारे में मिला, उन्हें बताया कि जहां पर अकाल घोषित कर दिया गया है फिर भी लगान वसूल कर रहे हैं। कलेक्टर ने कहा हमने राज्य सरकार के पास रेकार्ड पेश कर दिया है। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में नहीं निकाला है कि किसानों से नहीं लेवें। वहां पर लोगों की यह स्थिति हो रही है मेरे जिले में कि मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी खाली हो गई है। मैंने उन लोगों से पूछा तो बताया कि हम मालवा जाते रहे हैं और वे यह कहते जा रहे हैं कि इस सरकार को धिक्कार है। वोट लेने के वक्त तो कहती है कि शक्कर ले लो, घी ले लो? शराब चाहे, शराब ले लो, कपड़े चाहिये कपडे लो। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर आज तक कोई यह बात कहे कि इस सरकार ने कारगर कदम उठाये

(श्री विजयसिंह रावत)

हैं। मैंने गवर्नर साहब के भाषण में पढ़ा कि जो क्षेत्र अकालग्रस्त हैं वहां राहत दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। मैंने एडीशनल रिलीफ कमिश्नर से कल ही टेलीफोन पर बात की है, उन्होंने कहा कि रावत साहब अभी तक केबिनेट का कोई फैसला नहीं हुआ है और न ही कोई निर्देश निकले हैं। यह सरकार × × × बोली बोलती है।

श्री उपाध्यक्ष : × × × का शब्द प्रयोग में नहीं किया जाय। इसे एक्सपन्ज किया जाय। आप मारवाडी में बोल सकते हैं सही शब्दों के प्रयोग के लिये।

श्री रामकिशन : सदन की भाषा नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : इस सरकार की कौनसी नीति को मानें, उपाध्यक्ष महोदय? इतना ही नहीं जो कर्मचारी हैं–राजस्थान के स्टेट के कर्मचारी, जब भी आवाज उठाते हैं, उस वक्त उनका आप बोनस बढ़ा देते हैं, मंहगाई वह भत्ता बढा देते हैं। जब मंहगाई बढती है तो हम भी कहते हैं कि बढाना ही चाहिये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जिसके पास 10 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, उसकी सालाना इन्कम दो हजार भी नहीं होती है। कोई भी गवर्नमेन्ट, जो इस डैमोक्रेसी के सिद्धान्तों को मानती है, पांच हजार पर इन्कम टैक्स लगाती है लेकिन इन किसानों पर दो हजार पर लगान लगा रही है। किस कानून के अन्दर यह सरकार

× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाले गये।

कहती है? इस सरकार को पानी के अन्दर डूब कर मर जाना चाहिये। ये सफेद हाथी रात के 10-10 बजे तक घूमते-फिरते रहते हैं। धोखा देते हैं सब चीजों के अन्दर ऐसे डिक्लेअर करने के बाद मुकरते हैं और मुकरने के बाद इन एम. एल. एज. को गवर्नमेन्ट होस्टल में बैठाकर एक एक मन्त्री, सभा सचिव कहता है कि देखो भाई तुम ऐसी कोशिश करना कि निन्दा प्रस्ताव पर वोट अपने को ही देना। ऐसे दल बदलुओं को राजस्थान की सरकार क्या कह सकती है और उनके पास कहने को रखा ही क्या है? अभी रामानन्द जी ने कहा, महारावल साहब ने बहुत कुछ कहा उन्होंने बताया कि 20 वर्षों में जो कलंक लगा है, धुल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नत्थी सिंह!

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में निन्दा प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए और उसका समर्थन करते हुए माननीय सदस्यों ने तर्क दिया है इस बात का कि यह सरकार जो धनाभाव के कारण या दूसरे कारणों से अपनी कथनी से मुकर रही है उसको उन्होंने तथ्यों से साबित किया है कि धनाभाव का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं इस संघर्ष को जो हम कर रहे हैं इसके बुनियाद में न धनाभाव है और न कोई और बात है। एक बुनियादी संघर्ष है इस बात का कि इस 20 साल के कांग्रेस के राज्य में जिन लोगों को जो हक मिलना चाहिये वह नहीं मिला है। जिस सामन्तवाद की दुहाई कांग्रेसी देते रहे हैं, इधर बैठने वाले कई मेरे माननीय सदस्य कहते हुए थकते नहीं हैं। उधर की बैंचों से जब बोलने खडे होते हैं तो उन्हें सामन्तवाद की याद आती है। वह उन्हीं सामान्तवादी

(श्री नत्थीसिंह)

परम्पराओं, सामन्तवादी जंजीरों में आज कांग्रेसी स्वयं जकड़े हुए हैं उधर बैठने वाले माननीय सदस्य आज हिम्मत नहीं कर रहे हैं इस बात के कहने के लिये कि जो यह घोषणा की गई थी तो पालन करेंगे। माननीय सदस्य ने क्या कहा वह मैं पढ़ कर सुनाऊं। हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि कुर्सियों के लालच में वे अब कुछ जवाब नही दे रहे हैं। खिलाफत में आवाज नहीं उठा रहे हैं। वे अब मूक और मौन हो चुके हैं। इधर बैठने वालों ने जब 20 वर्ष में इस कांग्रेसी शासन को नष्ट किया है, जनता ने इस शासन को ललकारा है, फटकारा है, धुतकारा है तब मक्कारी के बल से, धन के बल से, सेठों की तिजोरियों के बल से, फरेबबाजी से और कुछ आदमियों को धन के लालच से उन्होंने अपने में शामिल किया है। जनता को ठीक न्याय नहीं दे पा रहे हैं। अनार्थिक जोतों पर लगान की माफी से मुकरते हैं। न तो उस समय न्याय की बात थी और न आज न्याय की बात है। निन्दा का प्रस्ताव हम पेश कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत यह हैं आज लगान माफी की घोषणा से मुकरना जनता को आपसे न्याय मिले इसका विश्वास नही है। आज अर्थ मंत्री जी नहीं है जो समाजवाद की बडी लम्बी चौडी व्यवस्था करते थे। बडे खुश थे उस दिन कि हमने प्रगतिशील कदम उठाया है। उस पददलित वर्ग को सांत्वना दी थी और तब सही कदम उठाने का आश्वासन दिया था। आज वे कौन से मुंह से बजट बनायेंगे। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी ने मेज की पार्लियामेंट प्रेक्टिस को बताया है। न आज इनका कोई कानून कायदा है और न कोई पार्लिमेंटरी प्रेक्टिस यहां केवल कुर्सियों की हेरी फेरी चलती है। ये सोचते हैं कि हमारी कुर्सिया बनी रहें चाहे उसके लिये उन्हें 40 मिनिस्टर बनाने पड़े। और अब फिर अखबारों में निकलवाया है विश्वास दिलाया कि अभी और बनायेंगे। उन्हें इस बात का थोड़ा ख्याल ही नहीं है कि हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं वे पिसते जा रहे है। मैं आपको सुमित्रा जी का भाषण पढ़ कर सुनाऊं। आज वे कुछ कह नहीं सकती हैं, उनकी जबान पर ताला है क्योंकि उन्हें कुर्सी मिल गई है। उन्हें महसूस होता होगा कि आज वे बन्धन में हैं मुश्किल में है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस दिन ये आजादी से बोल रही थीं लेकिन आज तो पिंजडे में फसे पंछी की तरह छटपटाने के सिवाय और कुछ नहीं है।

आज वे भी संगठन के नाम पर मजबूरी के अन्दर मुंह छिपाये बैठी हैं, आज उनका भी बोल नहीं निकलता। आज उनमें हिम्मत नहीं कि वे इसका समर्थन करें। आज वे भी उस वातावरण में खो चुकी हैं जो कांग्रेस ने इस बीस साल में हिन्दुस्तान में पैदा किया। आज आप देख रहे हैं दूसरे दलों की सरकारें हैं या तो उन्होंने लगान को माफ कर दिया है, या कर रही है। जहां वे देख रही है कि हमारा जो न्यूनतम कार्यक्रम है वह पूरा नहीं हो रहा है वहां वह गद्दियों से चिपके नहीं रहना चाहती हैं और बाहर आ रही हैं। जैसा बिहार के लिए कहा गया वहां अकाल होते हुए भी

(श्री नत्थीसिंह)

लगान माफ कर दिया। हमारा पड़ौसी उत्तर प्रदेश पूरा नहीं कर रहा है तो आप रोज देख रहे हैं पार्टीज, खास तौर से संसोपा के मंत्रियों ने इस्तीफा तक दे दिया। वे सरकार से बाहर आगए केवल लगान के बारे में।

श्री गोकुलचन्द जाटव : (अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : हमारे माननीय सदस्य जो अलवर की तरफ से आते हैं कुछ बोल रहे थे जो सुना नहीं गया। मेरा उनसे निवेदन है कि आप कितना ही मक्खन लगाइये आपका नम्बर आने वाला नहीं। जिला परिषद् में बैठकर आप सरकार की लगान माफी घोषणा से मुकरने की निंदा करते हैं। एक अखबार में मंत्री बढ़ाने का शाया भी हुआ है लेकिन आपका नम्बर नहीं आने वाला है चाहे आप कितना ही मक्खन लगावें।

आपकी एक नीति है। आप लोगों के मन में हमेशा भ्रम पैदा करने की बातें करते हैं। कभी सही दिशा में काम करने की आप की इच्छा ही नहीं रहती। सोचते हैं कि कहीं पूंजीपति नाराज न हो जायं, राजा महाराज नाराज न हो जायं। इसलिये आप हमेशा इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं जिससे कोई संतुष्ट न हो सभी असंतुष्ट रहें एक राज तक वे साथ दे और दूसरे में वे साथ दें और आपका राज बदस्तूर चलता रहे। इसी नीति पर यह सरकार चलती है। मैं समझता था शायद अब अकल आई होगी। लेकिन हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य थे जो आज यहां नहीं दिखाई देते मैंने उनका भाषण पढ़ा, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भाषण पढ़ा उससे मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। कांग्रेस मंत्री मंडल के मुखिया आज इस बात में कामयाब होते हैं। वे लोग यहां बैठकर कहते थे कि हम किसानों के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भाषण दिलाया जाता है कि लगान माफी की बात किसान नहीं चाहता है यह तो प्रतिक्रियावादियों का नारा है। जो यहां किसानों की बात कहते थे, गरीबों की बात कहते थे, लगान की माफी की बात कहते थे, आज उन्हीं के मुख से इस प्रकार की बातें कहलवायी जाती हैं। इससे ज्यादा अपमान किसान का, गरीब का और कोई नहीं हो सकता। आज उनमें भी दम नहीं है।

इसी असेम्बली में सुना था एक नया नारा दिया गया था 'जय जवान जय किसान'। उस समय यह कहा गया था कि अनार्थिक जोत पर लगान माफ कर दिया जायगा इस सिद्धान्त को माना जायगा। उनका कहना था, लगान भूमि पर लेना सामन्तवाद की परम्परा है। लगान नाम का कोई टैक्स नहीं होना चाहिये। हमारे पास तो बहुत सी चीजें होती हैं जैसा रामकिशन जी कहा करते हैं कहीं कांग्रेसियों ने पत्नियों को सम्पत्ति में अधिकारी मान लिया तो कल उन्हें भी वापिस ले लिया जायगा। इस तरह की परिभाषा करने वाले इस तरह से बदलते देर नहीं करेंगे। कहने में तो अपने को समाजवादी कहते हैं लेकिन जो आचरण है, करनी है वह घोर सामन्तवादी है। हिन्दुस्तान में सब के लिये समान कानून हो। आज किसान जिसके पास अनार्थिक जोत है कभी लगान देना सहन नहीं करेगा, राजस्थान का किसान कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका आपको खमियाजा उठाना पड़ेगा।

मुझे अचम्भा होता है। मैं पिछले दो दिनों में गांवों में गया। वहां कांग्रेस की ओर से कुछ लोगों के पास परिपत्र पहुंचा। उसमें कहा गया है कि अगर आप लोग लगान माफी

(श्री नत्थीसिंह)

की बात मान लेंगे तो सहकारी खेती की बात आ जावेगी। कांग्रेस के दोस्त कहते हैं कि लगान माफ होगा तो सहकारी खेती आ जायगी। अब तक कांग्रेस का इशारा इस प्रकार की बात करने के लिए दूसरे दलों की ओर था। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। वे तो खुद प्रस्ताव में शामिल हैं जो यह कहते हैं कि लगान माफ हो जायगा तो सहकारी खेती आ जायेगी। कांग्रेस कहती है कि सहकारी खेती आ जायेगी। अब तो सहकारिता में भी आपका विश्वास नहीं। ये तो आपके ढक्कन हैं, मुंह छिपाने के लिये। एक तरफ तो आप सहकारिता का नारा देते हैं, लगान माफी के नाम का दुरुपयोग कर उसी सहकारिता का दुरुपयोग करते हैं। 'जय जवान जय किसान' का नारा देते हैं। जिस जवान की कहानी मदनसिंह जी दांता ने सुनाई थी, जो जवान चीनी मांगने गया था उसकी क्या हालत हुई, उसकी कितनी अवहेलना हुई आज क्या हो रहा है? ये तार हैं मेरे पास। बांसवाड़ा का किसान तार देता है तहसीलदार के डंडे के जोर से पटवारी विकास अधिकारी की जीप में आकर कहता है कि लगान दो वरना तुम्हारे डंडे लगवाये जायेंगे। रात को बारह बजे उनके घरों में जाकर औरतों को बाहर घसीटा जाता है। उनके साथ अमानुषिक व्यवहार होता है। जब वे कहते हैं कि आपने घोषणा की थी अनार्थिक जोत पर लगान नहीं लेंगे लेकिन आज गरीब लोगों को सताया जाता है। मुख्य मन्त्री ने खुद ने उस इलाके में घोषणा की आपसे लगान नहीं लिया जायगा 'जय जवान जय किसान' का नारा कहां गया? आज आप उनसे लगान डंडे के जोर से ले रहे हैं। अब आपके इस डंडे को जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आपकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है यह दर्पण के समान, सूर्य के समान चमक कर सामने आया है। आपने बजट में घोषणा की कि हम इस प्रकार अनार्थिक जोत पर लगान नहीं लगायेंगे। उसके बाद में जब आपने वापस लगान लगाने का निर्णय लिया तो विधान सभा को सूचना नहीं दी, उसकी सहमति नहीं ली, कोई अध्यादेश उसके लिये जारी नहीं किया, उसके बावजूद आप इसकी वसूली कर रहे हैं। यह कानून-सम्मत नहीं है, यह कानून विरोधी है। इस लिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अपील करना चाहता हूं कि कल इसके बारे में एडवोकेट जनरल को यहां बुलाया जाय और इस कानूनी मसले पर राय ली जाय कि कानून सही है या नहीं। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि न तो कानून के हिसाब से और न नैतिकता के हिसाब से यह कदम उचित कहा जा सकता है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य, जिनको धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ढोल अच्छी तरह पीटा या नहीं पीटा यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस समय यहां था नहीं लेकिन अखबारों में जरूर पढ़ा है कि उपाध्यक्ष महोदय को आज भी कहना पड़ा कि वे अपने भाषण को प्रभावशाली बनायें . .

एक माननीय सदस्य : यह तो उन्होंने चारणपना निभाया।

श्री नत्थीसिंह : चारण-वारणपन निभाया हो। शायद उनका भी नम्बर भविष्य में बढ़ने वाले मन्त्रियों में हो सकता

(श्री नत्थीसिंह)

हैं। उन्होंने एक संशोधन दिया है जिसमें कहा गया है कि जिनसे वसूल होगया है वह धनराशि उन किसानों के विकास के लिये वितरित की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, हर मेम्बर जानता है कैसा विकास होता है आज जो धनराशि विकास के लिये दी जाती है उसमें से अनार्थिक जोत वालों को पंचायत समिति से तकावी तक नहीं मिलती। सरपंच, पंच, प्रधान बड़े-बड़े लोग मिलकर विकास खंडों का फायदा उठाते हैं। इस लिये इस तरह का संशोधन रखकर इसका मखौल बनाने की जरूरत नहीं। आपका मन यह चाहता है कि वास्तव में यह किसानों के पास जाय तो हिम्मत के साथ कहिये कि यह लगान माफ करना चाहिये। किसानों के धन को वापस उनके विकास के लिये लगाने का बहाना लेकर ऐसे संशोधन रखना सदन की गरिमा को कम करना है।

(3 म. प.)

यह हो सकता है कि इससे डागाजी को कोई राजनैतिक फायदा हो। मुझे इससे गुरेज नहीं है। 40 लोग मन्त्री तो 41वें वे बनें मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। हंसमुख आदमी हैं बाहर तो। और उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं कि यह तो कोई बात ही नहीं है। हमारी तो आदत पड़ रही है सुनने की। हमारे मन्त्री हैं, मुख्य मन्त्री हैं। उन्होंने यहां पर तो यह कहा कि · · ·

श्री उपाध्यक्ष : समय केवल एक मिनिट ही रहा है।

श्री नत्थीसिंह : एक मिनिट में ही समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशन : यह लाल-नीली बत्तियों की आदत नहीं पड़ी है अभी हमारी। किसी दिन उसका प्रदर्शन करके बताया जाय।

एक माननीय सदस्य : लाल बत्ती जलनी ही नहीं है।

श्री मुकटबिहारीलाल : लाल बत्ती जलेगी तब तो बैठना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : हरी बत्ती और लगानी चाहिये साहब।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं है हमारे मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्री जी की कैसी आदतें पड़ रही हैं कि जनता के सामने चेहरा बनाते हैं और बात करते हैं और काम उससे विपरीत करते हैं। भरतपुर में बाढ़ का भयंकर दृश्य था वहां भाषण दिया मुख्य मन्त्रीजी ने, 'लगान माफ किया जाता है, बार बार कहा। 'माफी' का शब्द था। अधिकारियों ने कई बार इसको दोहराया। आज कहते हैं 'माफ' नहीं करेंगे 'थाम' कर देंगे। कोरा 'माफ' शब्द बोला था। आज लगान सबसे वसूल हो रहा है वहां। कहते हैं तो जवाब देते हैं कि इसके लिये कानून बदलना पड़ेगा। राजस्व मन्त्रीजी कहते हैं। अपने लिये तो रोज कानून बदलते हैं। अब जो घोषणा करते हैं उसके लिये जोर देते हैं तो कहते हैं कानून बदलना पड़ेगा। चाहे जनता हो, विधान सभा हो, नौकर हों, सबके साथ विश्वासघात और धोखे की नीयत इनकी है। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं। या तो बीच में ही या आने वाले चार साल बाद आपका सफाया होकर रहेगा। आप इन बैंचों पर दिखाई तक नहीं देंगे।

(श्री नत्थीसिंह)

आप अपनी कथनी और करनी का अन्तर मिटाने की कोशिश करें। नहीं तो जनता बाध्य होकर आपको मिटाने के लिये कटिवद्ध होगी और वह हो भी रही है और इसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो निन्दा-प्रस्ताव विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उस पर वाद-विवाद हो रहा है मैं अपने आपको उसमें सम्मिलित कर आपके माध्यम से राज्य सरकार से एक बात, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अपने इन कारनामों से वह प्रजातन्त्र को किस चौराहे पर ले जाकर खड़ा करना चाहती है? आप दुहाई यह देते हैं विधान सभा में जनता की मीटिंगों में कि आप प्रजातन्त्र के रक्षक हैं। गांधीजी का राम-राज्य राजस्थान में लाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान में तो बिखेर दिया उसे, और आचरण उससे विपरीत करते हैं। आपकी आखिर मन्शा क्या है? आप देश को, राजस्थान को और आपके तथाकथित इस प्रजातन्त्र को कहां ले जाना चाहते हैं? आपका इसके पीछे षड़यन्त्र और मन्शा और बदनियती क्या है? आपसे हम यह पूछना चाहते हैं कि जिससे हम गफलत में न रहें। सावधान रहें। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम जाकर जनता को बता सकें कि कांग्रेस का समाजवाद कैसा है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ नेताओं से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपके इस बीस साल के शासन काल में आपने इस विधान सभा की क्या हैसियत कर डाली? पहले क्या इज्जत थी इसकी? आज आपने उसकी इज्जत को कहां लेजाकर खड़ा किया है? आज कोई भी विधान सभा का सदस्य सिर ऊंचा करके किसी रेस्टोरेन्ट में, बस में, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बैठ सकता। बस में सवारी नहीं कर सकता। अगर किसी को मालूम हो जाता है कि यह विधायक है तो लोग कहते हैं, यह चोर है। यह विधान सभा देवता का मन्दिर था। एक देवस्थान जैसी यहां की इज्जत थी, लोगों के दिमाग में। विधान सभा के नाम से लोग नतमस्तक हो जाते थे। पर आपने उसकी इज्जत को जयपुर के चौराहे पर लेजाकर खड़ा कर दिया है। क्या यही आपका समाजवाद है? क्या इसी तरह प्रजातन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं और विकसित कर रहे हैं प्रजातन्त्र को?

दूसरा उदाहरण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से फिर देना चाहता हूं राज्यपाल महोदय का। जब सर्व प्रथम वे विधान सभा में आये तो हम समझते थे कि राज्यपाल महोदय तो हमारे भाग्य विधाता हैं अटेन्शन खड़े रहे। चूं नहीं की। भाषण करते हैं तो हम समझते थे कि उसे नतमस्तक होकर सुनना चाहिये। इस भावना से यहां राज्यपाल ने प्रवेश किया था। आज उस सम्मानित पद को आपने कहां लेजाकर खड़ा किया है। आज लोग कहते है राज्यपाल बेकार की पोस्ट है। उसकी जरूरत नहीं है। ये राजनीतिज्ञ हैं। भेद-भावपूर्ण तरीके से काम करते हैं। पार्टीबाजी में पड़ते हैं। उनके भेदभावपूर्ण कार्यों के

(श्री जयनारायण सालोदिया)
नजारे हर प्रान्त में देखने को मिलेंगे। उनके भेदभावपूर्ण तरीके की नीति से जगह जगह क्या हो रहा है? जगह जगह गोलियां चल रही हैं, अराजकता फैल रही है। लोगों में उनके कृत्यों के प्रति रोष बढ़ रहा है। पब्लिक का खून बहा रहे हैं। कोई सन्तुष्ट नहीं है उनसे। क्या चाहते हैं आप उनसे? आपने उस सम्मानित पद पर बैठने वाले पर दबाव डाला, बहका-बहका कर अपनी कुर्सियों को जिन्दा रखने के लिये आज उस पद की भी आपने दो कोडी की इज्जत कर डाली। आज कोई आदमी राज्यपाल का नाम लेकर गौरवान्वित नहीं समझा जाता। जब भी राज्यपाल का भाषण यहां होता है तो मैं समझता हूं इस तरह का यह तबका खुराफात करता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आप इस चर्चा को आगे न बढ़ावें। आप राज्यपाल के बारे में अपमानित शब्द कह रहे हैं जो नहीं कहने चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का मैं सम्मान करता हूं। पर आज प्रजातन्त्र को जिन्दा रखने के लिये जो-जो संस्थाएं और पद हैं उनके सम्मान को आज के इन हमारे शासकों ने ही अपने काले कारनामों से ही गिराया है, कलंकित किया है। इससे मुझे भी ठेस पहुंचती है। आप हमारे पर रोष करते हैं, पर उगर के बैठने वाले अपने साथियों से कहियें। मैं राजस्थान की इस विधान सभा में यह बात नहीं कहूंगा तो क्या हो जायगा? पर आज राजस्थान का जन-जन, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, व्यापारी हो, जबान तो बन्द नहीं की जा सकती। उनकी बात हो को मैं अपने हृदय के उद्गारों के साथ कह रहा हूं।

आज हमने इस विधान सभा के नाम को बदनाम किया है, इसकी इज्जत खराब की है। राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद को अपनी कुर्सियों की लड़ाई में, कुर्सियों को बनाये रखने के लालच जलील बनाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था तो हमने यह महसूस किया था कि कांग्रेस में अब कुछ चेतना आई है-कि इसने अलाभकर जोत पर लगान माफ करने की बात कही है। बीस साल के अपने शासनकाल के बाद आज कांग्रेस समाजवाद की तरफ एक कदम बढ़ी तो है। हम सरकार के उस कदम का स्वागत कर रहे थे। पर बाद में मालूम पड़ा कि कांग्रेस की कितनी बड़ी धोखाधड़ी थी यह। कांग्रेस का कितना बड़ा षडयन्त्र था। फरेब था हमारे साथ धोखा था। हमारे साथ ही नहीं राजस्थान की गरीब जनता के साथ था। जब उनका शासन नहीं बना और इधर उधर से एम. एल. ए. की खरीद फरोख्त की तो कुछ नया नारा तो देना चाहिये जिससे लोग हमारी तरफ फिरें। ढिंढोरा पीटा, गला फाड़-फाड़ कर कांग्रेस ने लोगों को बताया कि यह हमारा प्रगतिशील कदम है। और चूंकि जनता की भावनाओं की हम इस तरह कद्र करते हैं इसलिये आप हमारे साथ आ जाओ। यह एक जाल था जिसमें एम. एल. ए. को और जनता को भरमा कर अपनी कुर्सियां कायम करनी थीं। उन लोगों ने यह माना कि पहले वाली कांग्रेस नहीं है और हमारी मदद

Page No. 89

(श्री जयनारायण सालौदिया)

करना चाहते हैं इसलिए गरीब लोगों ने जिनमें ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, समर्थन किया। उन लोगों की नीतियों को स्वीकार किया लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनी मजबूती करना शुरू किया और खरीद-फरोख्त का धंधा उन्होंने तेज किया और आज उनकी यह स्थिति है कि आज वह उन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर आधारित नहीं हैं और अगर वह लोग उनसे नाराज भी हो जाते हैं तो कांग्रेस सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस तरह की नीतियों से और उनकी मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाकर आज यह घोषणा की है कि जो राज्यपाल महोदय ने कहा था, वह कहा होगा, वह तो यों ही कहते रहते हैं और बजट में तो यों ही घोषणायें करा दिया करते हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, उसमें दलील दी जाती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं बडे अदब से आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से और विशेष रूप से इस राज्य सरकार के आला हाकिम और मुगलेआजम श्री सुखाड़िया साहब से करबद्ध निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर उनके दिमाग में इस तरह की बात है कि छोटे किसानों से लगान वसूल नहीं करने से उनके ऊपर कोई पहाड़ पड़ जाने वाला है और उनके बजट पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है और उनको परेशानी है तो बहुत सीधा सा रास्ता है उन्होंने अभी अभी, उपाध्यक्ष महोदय, इतने बडे मंत्रिमण्डल का गठन किया जो पिछले 20 साल के इतिहास में कभी नहीं बना, अगर उसमें से 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत भी कटौती कर दें तो यह सारा जो गरीब किसानों के ऊपर लगान लगने वाला था और जब सरकार के बजट में नुकसान होने वाला था वह पूरा हो जाता है। लेकिन वह कैसे करें? उनकी तो फौज बढ़ती रहेगी और द्रोपदी का चीर भी बढ़ता रहेगा और दुःशासन उस चीर को खींचता हो रहेगा। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम उन गरीब किसानों की लंगोटी छीनना चाहते हैं और उनको भूखों मरने पर मजबूर करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम नयी नयी गाड़ियां खरीदते हैं और नये सदस्यों को मंत्रिमण्डल में भर्ती करना चाहते हैं तो यह होगा कि हम 50 चपरासियों को कम करके एक कलेक्टर की पोस्ट बढ़ा रहे हैं। उससे हमारा फायदा होने वाला नहीं है और उधर 50 आदमियों को बेकार कर दिया और इधर एक आदमी को धंधा दिया। अगर उनकी नीति स्पष्ट है कि बजट के ऊपर उनका असर पड़ता है तो जो मंत्रिमण्डल की फौज बनाई है यह लूले, लंगड़े, अंधे और अपाहिजों का जमघट किया है उसको कम किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं मंत्रिमण्डल के सदस्यों का नाम पढ़ता हूं और उनकी सूरतें देखता हूं तो आश्चर्य होता है कि आखिर सुखाड़िया जी ने इनको किन योग्यताओं के आधार पर मंत्री बनाया है। क्या तो इनकी योग्यतायें हैं और क्या इनकी सेवायें हैं। मैं देखता हूं कि जैसे पिंजरापोल गौशाला में लूली, लंगड़ी और अपाहिज गायें आती हैं उसी तरह से सुखाड़िया जी ने इस पिंजरापोल में लूले, लंगड़े और अपाहिजों को भर्ती कर लिया है। इसमें बदशकल, बदमिजाज और बदतमीज सभी लोग शामिल

Page No. 90

(श्री जयनारायण सालोदिया)
किये हैं । ता म सुखाड़िया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उनको तो शिव सेना के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पिंजरापोल गौशाला का खर्चा उन गरीब किसानों के ऊपर क्यों डालते हो ? उनके कपड़े क्यों छीनना चाहते हैं, उनकी लंगोटी क्यों छीनन चाहते हैं ? इससे तो अच्छा हो आप इस शिव सेना में से पांच-सात सदस्य कम कर दें तो आपका खर्चा कम हो सकता है और कुछ मेक-अप हो सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज टेलीफोन वाले परेशान हैं । हम कहते हैं कि फलां मिनिस्टर से मिलाओ, गंगाराम जी से मिलाओ तो मिला देते हैं मनफूल सिंह जी को हम पूछते हैं तो कहते हैं कि क्या करें साहब बहुत बडी लिस्ट है किस-किस को याद रखें । यह स्टेट गैराज की गाड़ी कभी पान खरीदतीं रहती है, कभी सिनेमा के दरवाजे पर खड़ी होती है और कभी शराबखाने पर खड़ी रहती है . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज आपका समय समाप्त हो गया और आपको तकलीफ भी हो रही है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वही लोग जो आज से 8-10 महीने पहले कहते थे कि कांग्रेस ने छोटी जोत पर लगान माफ करके प्रगतिशील कदम उठाया है और किसानों को स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, और अनुसूचित जाति के लिए एक अमृतपुरी बसाना चाहते हैं वह बातें या तो मंत्री महोदय कहें कि हमारा धोखा था और हमने झूठ बोला इसलिए क्षमा याचना करते हैं, अन्यथा यह कहें कि हमने कुछ मुर्गियों को फंसाने के लिए यह जालमात्र बनाया था, और वह नाटक खत्म हो गया, और जो पैसा जेब में आ गया उसका आपने सिनेमा देखा और खाता बराबर हुआ, तो ऐसा कहें ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों को भी कि आपको जो धोखा दिया गया है, आपको मुगालते में रखा गया है और आपके साथ ही साथ तमाम राजस्थान के उन गरीब किसानों के साथ धोखा किया है उसमें आप हर्गिज साथ नहीं देंगे । आप भी एक लाख के प्रतिनिधि हैं और जो सुखाड़िया जी हैं वही आप हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने आपको भुला रखा है, और यह आपके ऊपर इस तरह से छा रहे हैं । इसलिए आप यह महसूस करें कि आप भी एक लाख के प्रतिनिधि हैं जैसे कि सुखाड़िया जी हैं इसलिए आप इस प्रस्ताव का समर्थन करें ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बोलना है और काफी तकलीफ हो रही है इसलिए समाप्त कर दें ।

श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री विजय सिंह नावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के जो प्रस्तावक

(श्री विजयसिंह रावत)
थे, श्री दुर्गालाल जी बाढ़दार वह गैरहाजिर हैं, इसलिए दो मिनट का समय हमें दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनका संशोधन का प्रस्ताव है वह पेश कर दें।

श्री विजयसिंह रावत : लेकिन यह तो प्रस्ताव चल रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रॉक्सी नहीं होती है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें एक संशोधन प्रस्ताव रखा है कि शब्द 'इस सदन को खेद है कि' को विलोपित किया जाये और शब्द 'यह सदन राज्य सरकार का यह कदम समस्त प्रजातांत्रिक परम्पराओं के विपरीत और छोटे किसानों के साथ घोर अन्याय मानता है' को बिलोपित किया जाय। इसके बाद में शब्द "निन्दा करता है" के स्थान पर शब्द "ध्यान आकर्षित करता है" प्रतिस्थापित किये जायें। शब्द "की लगान मुक्ति की घोषणा का अक्षरशः पालन किया जावे और ऐसे किसानों से लगान वसूली के आदेश तुरन्त रद्द किये जावें" के स्थान पर शब्द "से यदि लगान की 20 प्रतिशत की वसूली हो गई हो तो उनसे पूरी वसूली की जाकर उनसे प्राप्त धनराशि उन्हीं किसानों के विकास के कामों में लगाई जावे' प्रतिस्थापित किये जावें।

मैंने यह, उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन पेश किये हैं। संसदीय प्रणाली में बोलने का अधिकार सब को है। उस अधिकार का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है यह अलग प्रश्न है। लेकिन जब विरोधी दल ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की और चुनावों में वह परास्त हो गए और किसानों ने और जनता ने उनकी रीति और नीति को, और उनका शासन करने की उनमें ताकत नहीं है, इसको समझा ....

श्री जुझारसिंह : गांव वालों को दोष मत दो, आपको ज्यादा वोट नहीं दिए हैं उन्होंने.....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : विरोधी दल की ओर से निन्दा का प्रस्ताव पेश किया गया है इसके दरमियान माननीय सदस्य को इस प्रकार का प्रस्ताव रखने की इजाजत नहीं दी जाये।

श्री विजयसिंह रावत : ज्यादा वोट लेकर आप राजस्थान में नहीं आ सकते। जो विरोधियों को वोट मिले वह भी देख लें और जो आपको वोट मिले वह भी देख लें। विरोधियों को ज्यादा वोट मिले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज !

श्री विजयसिंह रावत : यहां पर आप लोगों को रुपया देकर शासन करें इससे बद्तर और क्या बात हो सकती है...

श्री मूलचन्द डागा : जब यह सदन में आये तो इन्होंने सोचा कि रोष प्रकट किया जाये और इनका रोष वाजिब है क्योंकि यह कोई निन्दा का प्रस्ताव नहीं है यह उस प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं यह तो केवल रोष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो कि संसदीय भाषा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाये...

श्री दौलतराम सारण : तो उस पर आपने आपत्ति क्यों नहीं की ? और संसदीय है या

(श्री दौलतराम सारण)
नहीं यह तो आपके रूलिंग देने की बात नहीं है यह तो उपाध्यक्ष महोदय के देखने की बात है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, ने वह शब्द हटाने के लिए कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : तो उसकी चर्चा नहीं की जाय जो कि एक्सपन्ज हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले सवाल यह था कि काश्तकारों के लिए जो लगान माफ कर दिया गया, राजस्थान सरकार ने माफ करने का सवाल उठाया। अब सवाल यह है कि राजस्थान में काश्तकारों को अच्छे बीज और खाद की आवश्यकता है और इसको वह मांगते हैं और अच्छी जमीन मांगते हैं। वह यह नहीं चाहते कि उनके लिए केवल लगान माफ कर दिया जाय। वह चाहते हैं विकास और विकास के मामले में हमारी नीति क्या होगी वह अच्छी तरह से जानते हैं। हम देखते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की हो रही है कुछ कारणों के कारण, कुछ घटनाओं के कारण, अकाल के कारण, अधिक वर्षा के कारण, कहीं किन्हीं और कारणों से तो इन हालातों में सभी देशवासियों की जिम्मेदारी हो जाती है कि सब हमारे साथ मिल कर चलें। हम लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं और वह विकास के आधार पर ही करना चाहते हैं और उस समय छोटी-छोटी आमदनी से हम लोग जो धनराशि इकट्ठी करना चाहते हैं उस धनराशि का केवल एक मतलब है कि काश्तकारों का जीवन-स्तर ऊंचा उठे····

श्री विजयसिंह रावत : बड़े ठेकेदार बने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! प्लीज ! माननीय विजयसिंह। आप बारबार भाषण में बाधा उपस्थित न करें।

श्री मूलचन्द डागा : हमने सोचा था कि अलग-अलग मदों में हमारी इतनी इतनी आमदनी हो जायगी। हमने सोचा था कि 50 लाख की आमदनी एग्रीकल्चर लेण्ड को आबादी लेण्ड में कन्वर्ट करने से हो जायेगी। हमने सोचा था कि भाखरा कैनाल की जमीन से 3 करोड़ की आमदनी हो जायेगी। हमने सोचा था कि हम और और भी जरियों से आमदनी हासिल कर सकेंगे। विरोधी दल के माननीय सदस्य एक तरफ तो अपने आपको प्रगतिशील कहेंगे, लेकिन उस समय जब कि यह सलेक्ट कमेटी में गया तो उस समय यह सलाह दी कि इसको एक कन्सोलीडेटेड फार्म में रखा जाये क्योंकि म्युनिसिपल का हाउस टैक्स भी है और इधर से यह टैक्स और हो जाय तो यह दो दो हो जायेंगे इसलिए एक ही रखना चाहते हैं। जो राजस्थान सरकार को जहां 15 करोड़ का घाटा होने लगा उस समय राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया कि कोई बात नहीं है अगर हम कोई कदम उठाते हैं और उसका मकसद यह था कि आने वाली पूंजी को हम काश्तकारों के खेतों के लिए लगा देंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्यों इस प्रकार का निर्णय लेते हैं ? क्या चरणसिंह जी जो आज एलान करते हैं कि लगान माफ करने से कोई लाभ नहीं हो सकता··

श्री विजयसिंह रावत : एक व्यवस्था का सवाल है। निन्दा प्रस्ताव पर बहस हो रही है

Page No. 93

(श्री विजयसिंह रावत)
वह जवाब कल दे सकते हैं । बीच में लम्बा चौडा भाषण करना शुरू कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह संशोधन नहीं है लीपापोती है ।

श्री विजयसिंह रावत : इनको भी शिवसेना में से लिया जाये यह मारा इसलिए कर रहें हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : योजना में वह रकम लगनी चाहिए । जो लोग योजना में विश्वास नहीं रखते वह आज बोलना चाहते हैं । हिन्दुस्तान के अन्दर लोकतांत्रिक समाजवाद हम कायम रखना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं । जब योजनाओं में दौलत की जरूरत होती है तो एक और तो आप पैसा बाहर से लाने के लिए मना करते हैं और एक तरफ हमारे साथियों को झुकाने की कोशिश की जाती है । उन साधनों का उपयोग इसलिये होगा कि आज काश्तकारों की मांग कितनी है? आपने देखा होगा कि काश्तकारों को कितने बीज की आवश्कता है, कितने नये तरीके की खाद की आवश्यकता है ? मतलब यह है कि इनको काश्तकारों के वोट नहीं मिले तो यहां रोष प्रकट करना चाहते हैं, और मैं यह कहूंगा कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है और जहां कम्युनिस्ट सरकारें हैं वहां पर किसने किसानों पर से लगान माफ कर दिया है ?

श्री रामचन्द्र आर्य: पहले घोषणा क्यों की ?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! जब विरोधी पक्ष से माननीय सदस्य बोले थे तब इधर के माननीय सदस्यों ने शांति से सुना अब आप बीच बीच में रुकावटें न डालें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कम्युनिस्ट की गवर्नमेन्ट की दुहाई देते हैं तो पहले इन्होंने क्यों घोषणा की ?

श्री मूलचन्द डागा: यह परस्थितियों में परिवर्तन हो हैं । एक कदम उठाते हैं और मालूम होता है कि गलत है तो हमें कदम को बदलना चाहिये . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : इसीलिए यह निन्दा प्रस्ताव रखा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! आप बारबार बाधा नहीं पहुंचायें ।

श्री मूलचन्द डागा: यह दृढ़ता और दूरदर्शिता का सवाल है । यह प्रश्न नहीं है कि कांग्रेस ने वोट लिए हैं और एलान किया है कि हम लगान माफ कर देंगे । हमने बाद में यह निर्णय लिया । हमें मालूम हुआ कि काश्तकार हमें लगान देना चाहते हैं और अपना विकास चाहते हैं और उन्नति चाहते हैं । एक प्रश्न यदि आपकी तरफ से इस प्रकार का होता है कि हम शहरों के अन्दर उच्चतर आमदनी पर टैक्स लगाना चाहते हैं और इस समय आप कहते हैं कि आर्टीकल 207 है । 207 क्या है ? उसमें टैक्स और लेण्ड रेवेन्यू में फर्क है । यह भू-राजस्व है । यह 207 की दफा जो आप बता रहे हैं वह लागु नहीं होती है । आपने एक सेन्टेन्स लेकर पढ़ दिया । हम यह कह रहे हैं कि हम उस पूंजी को काश्तकारों में दुगना करके लगाना चाहते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं । अगर काश्तकार थोडी पूंजी लगाना चाहते हैं । अब की से अच्छी वर्षा हुई, कुछ पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया तो वह पूंजी किस के काम में आयेगी ? वह उन्हीं काश्तकारों के भविष्य को सुन्दर बनाने के काम आयेगी । इस बार कुछ उपज अच्छी हुई और काश्तकारों की दौलत को इकट्ठा करके एक जगह रख दें और फिर उन्ही की उन्नति के लिए उसको खर्च करें तो इसको आप बुरा कहते हैं । काश्तकार जानता है कि मेरे खेत में अनाज है और उस पूंजी से अपने जीवन को सुन्दर बनाना चाहता है उस समय आप कहते हैं कि· · · · ·

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल तो एक है आपकी इजाजत हो तो रखूं । यह जो पैसा लिया जा रहा है वह जबरन लिया जा रहा है· · ·

श्री **उपाध्यक्ष** : आपका बोलने का समय आवे उस समय कह दें ।

श्री **मूलचन्द डागा** : आप बार बार कहते हैं कि जबरदस्ती लगान वसूल किया जा रहा है· · · ·

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : बाड़ ही खेत खाने लग जाय तो क्या किया जाय ?

श्री **मूलचन्द डागा** : मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में लैंड रेवेन्यू से कितनी आमदनी होती है और दूसरी जगह कितनी आमदनी होती है । लैंड रेवेन्यू जब चाहें तब नहीं बढा सकते । जब एक बार सेटलमेन्ट होता है तब लैंड रेवेन्यू एक बार फिक्स की जाती है उसके कई साल बाद जब दुबारा सैटलमेन्ट होता है 15-20 साल के बाद तब लैंड रेवेन्यू एन्हान्स कर सकते हैं । मान लीजिये किसी वर्ष में बहुत अच्छी वर्षा हुई है, अच्छा खाद दिया गया है और इस कारण से अच्छी उपज हुई है तब तो हमारा अधिकार होना चाहिये कि हम लैंड रेवेन्यू बढा सकें लेकिन हम लैंड रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारी यह नीति नहीं है कि अच्छी उपज होते ही लैंड रेवेन्यू बढा दें । टैक्स बढाने के मामले में और लैंड रेवेन्यू बढाने के मामले में फर्क है । 15-20 साल तक जब तक दुबारा सैटलमेन्ट न हो जाय तब तक हम लैंड रेवेन्यू नहीं बढा सकते । योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि लगान से रकम वसूल ज्यादा करनी चाहिये लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ।

इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार दूसरे मदों में रेवेन्यू बढ सकती है उसी प्रकार लैंड रेवेन्यू की आमदनी नहीं बढ़ सकती । भू-राजस्व से सन् 55-56 में कंट्री की कुल आमदनी इस मद में 78 करोड थी वह 64-65 में 118.5 करोड़ हो सकनी है लेकिन मोटर गाड़ियों से 55-56 में जो आमदनी 15.9 करोड़ थी वही आमदनी 64-65 में 54.9 करोड़ हो गई । इसी प्रकार सामान्य बिक्री कर में जहां 55-56 में 80 करोड की आमदनी थी वह 64-65 में बढ कर 253 करोड़ हो गई । आप कोई भी आंकड़ा ले लीजिये जितनी बढोतरी दूसरे मदों में हो सकती है उतनी बढोतरी लैंड रेवेन्यू के मद में नहीं हो सकती । हम नहीं चाहते कि गरीब किसानों का नाम लेकर आप इस तरह

(श्री मूलचन्द डागा)

से उनको गुमराह करें। जहां चीजों के भाव बढ गये, लोगों की आमदनी बढ गई लेकिन लैंड रेवेन्यू 20 साल में 1 बार बढती है वह भी सैटलमेन्ट होने के बाद बढ़ती है। सरकार किसान, मजदूर आदि सब को साथ लेकर देश को उत्थान की ओर ले जाना चाहती है। यह भावना का युग नहीं है यह काम करने का युग है। जब सब तरफ उन्नति हो रही है तो काम बढने के साथ-साथ जनता के मिनिस्टर भी ज्यादा होंगे, जनता का राज्य है खर्चा करना होगा...

श्री भगवानदास शास्त्री : जितने कांग्रेस के एम. एल. एज. हैं उन सबको मिनिस्टर बना दो।

श्री प्रेमचन्द सिंघवी : सही विकेन्द्रीकरण तो तभी होगा जब सब मिनिस्टर बन जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि लैंड रेवेन्यू और दूसरे टैक्सेज में फर्क है। सरकार को जितना वसूल करना चाहिये उतना वसूल करना होगा। इतना कह कर राज्यपाल महोदय के भाषण का स्वागत करता हुआ निवेदन करूंगा घोषणा के रूप में जो किसानों को छूट दी गई थी, लेकिन जो पैसा उनसे वसूल कर लिया गया है वह पैसा किसानों की उन्नति और उनके विकास के लिये लगादें ...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो क्रान्तिकारी कदम होगा।

श्री मूलचन्द डागा : यदि पूंजी इकट्ठा करके उन्हें वापिस दे दी जाय तो यह गलत कदम होगा। यदि हमारे पास योजना पर खर्च करने के लिये धन की कमी है तो काश्तकारों की रकम को उन्हीं काश्तकारों की उन्नति के लिये लगा दी जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, विरोधी पक्ष की ओर से जो निंदा का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस बारे में विरोधी पक्ष के कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : पिछले साल आप उस कदम की सराहना कर चुके हैं या नहीं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : वह प्रोसिडिंग हमारे पास है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में अलाभकारी जोतों से लगान न लेने की छूट दी थी उसको वापिस वसूल करना शुरू किया है इस बात को लेकर उन्होंने राज्य सरकार की निन्दा करनी शुरू की। उनके अनुसार हर तरह का कार्य जो राज्य सरकार करती है वह खराब काम करती है, और जितना राज्य सरकार का कदम है वह ठीक नहीं है। एक ही बात को लेकर उन्होंने बहुत सी बातें कह डालीं। जो भाषण सदस्यों ने सदन में दिये उनमें उन्होंने विषय की तरफ सदन का ध्यान नहीं दिलाया लेकिन बहुत सी ऐसी बातें कह दीं जिनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिये था। जिस मकसद से उनको बात कहनी चाहिये थी वह मकसद उनका डिफीट हो जाता है। एक छोटी सी बात को लेकर राज्य सरकार को बदनाम करने के लिये, एक छोटा सा नारा लेकर सस्ती वाहवाही लेने की कोशिश उन्होंने की। यदि इस प्रस्ताव के जरिये उनका मकसद यह है कि सरकार का ध्यान आकर्षित

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

किया जाय कि राज्यपाल के भाषण की जो सेंक्टिटी है उसका पालन राज्य सरकार को करना चाहिये यदि यह मकसद है तो इस राय से हम भी इत्तिफाक करते हैं। यदि राज्य सरकार कोई घोषणा करे राज्यपाल महोदय के माध्यम से तो उसके अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। लेकिन इस चीज को लेकर राज्य सरकार को बदनाम करने की नीयत से दूसरी बातें कही जायं और इस विषय को लेकर लोगों को उकसाया जाय तो इसको सदन कभी मंजूर नहीं कर सकता।

अलाभकारी जोतों से लगान न लेने की घोषणा पर सरकार को . . .

(3.38 म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

. . . विचार करना चाहिये। राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट है। बहुत से राज्यों की सरकारों के सामने आर्थिक संकट है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र आदि उन्होंने अलाभकारी जोतों को लगान से छूट देने की घोषणा नहीं की थी उसी तरह से राजस्थान सरकार को भी नहीं करनी चाहिये थी। जो समाजवाद की बातें करते हैं, केरल राज्य में साम्यवादियों की सरकार है, जिसके बारे में रामानन्दजी जोरों से भाषण देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में आज केरल की ओर संकेत नहीं किया जहां पर काश्तकारों को इस तरह की छूट नहीं दी गई।

अब प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है उसकी जानकारी राज्य सरकार देगी, लेकिन हम महसूस करते हैं कि घोषणा की सेंक्टिटी है उसका पालन राज्य सरकार को करना चाहिये और उसका पालन करने से ही सदन के सामने जो समस्या विरोधी पक्ष ने उपस्थित की है वह खत्म हो जाती है।

इस रूप में सरकार के प्रति जिन मुद्दों को रख कर निन्दा का प्रस्ताव रखा है, उस निन्दा के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। किन्तु इनकी जो भावना है, उसकी तरह की जो इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, उनकी भी भावना है कि गवर्नर महोदय के भाषण में जो घोषणायें हों उन घोषणाओं का राज्य सरकार पूरी तरह से पालन करे। यदि कोई इस तरह की बात हो कि राज्य सरकार के सामने कोई आर्थिक सकट हो तो दूसरी बात है। आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, वह यह मानती रही है कि हम योजनाबद्ध विकास करना है तो टैक्स भी लगाने पड़ेंगे, कुछ टैक्सों में छूट भी करनी पड़ेगी। अब टैक्सों में छूट करने के बाद में राज्य सरकार के सामने कुछ कठिन समस्यायें भी पैदा होती हैं। उसी तरह से हमारी इस सरकार के सामने भी कुछ समस्यायें रही हों, जो कुछ इनका अनुमान हो, या जो टैक्स वसूल होने वाले हों उनकी वसूलियां नहीं हुई हों तो उसके कारण राज्य सरकार के सामने समस्यायें उपस्थित हुई होंगी। लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। यदि इस प्रकार की बात थी तो राज्यपाल महोदय के इस वर्ष के अभिभाषण में, जो यहां पर हुआ, इस प्रकार का संकेत होना जरूरी था। इसलिए यह वसूलियां तुरन्त स्थगित की जानी चाहिए और राज्य सरकार को यह महसूस करना चाहिए। इसके अलावा इस बात को कह कर विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

काश्तकारों के प्रति हितैषी होने की बात कही है, और सारी बातें कहीं है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इधर जो बठने वाले सदस्य हैं वह भी काश्तकारों से चुने हुए आये हैं । इसलिए काश्तकारों के प्रति दर्द की जो भावना आप लोगों ने बताने की कोशिश की है, इस भावना को बताने के अधिकार केवल आपको ही नहीं है, हम लोग भी काश्तकारों के दर्द की बात को महसूस करते हैं । इसलिए आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज काश्तकार बहुत सी सहूलियत मांगते हैं, वह यह चाहते हैं कि हमारी भूमि का विकास हो तो सरकार को भूमि का विकास भी करना पड़ेगा । लेकिन क्योंकि लगान वाली बात की गवर्नर के अभिभाषण में घोषणा की गई थी इसलिए उसकी सेंक्टिटी को ध्यान में रख कर राज्य सरकार को इसकी वसूली नहीं करनी चाहिए। किन्तु इसके साथ ही आप यह कहें कि किसानों की कमर टूट गई है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह लगान दे पायें, वह लगान दे नहीं सकते, तो मैं भी काश्तकारों में से ही आता हूं और जानता हूं कि ऐसी बात नहीं है । आज आप काश्तकारों के लिए यह नारा देकर उनका भला करना चाहते है तो इससे काश्तकारों का भला नहीं हो सकता है । इसलिए जो वास्तविक रूप से तथ्य है उसको आपको अंगीकार करना चाहिए। आज जो भूमि के विकास का सवाल है, उसके लिए काश्तकारों से दस रुपये लेकर सरकार सौ रुपये भूमि के विकास के लिए लगा दे और जिस भूमि में एक हजार रुपया बीघा में खेती हो सकती है उसकी बजाय पांच हजार रुपया बीघा में खेती कर सकें तो यह बात काश्तकारों को कतई बुरी नहीं लगेगी । इसलिए आप इस रूप में यह चाहें कि सस्ता सा नारा पकड़ कर आप काश्तकारों के हितैषी बन जायें तो इस चीज को मंजूर करने में मैं असमर्थ हूं । और इस बात को आपको भी जरूर महसूस करना चाहिए । वैसे वास्तविक रूप से जो हमको काश्तकारों को देना है वह उनको देना ही पड़ेगा और इस बारे में कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है । इसके अलावा जो भी दूसरी बात आयी हैं कि इस तरह से लगान की वापिस वसूली से काश्तकार बरबाद हो रहे हैं, उनकी नीलामी हो रही है--इस तरह की बात को मानने को मैं कतई तैयार नहीं । यह सिद्धान्त की बात है किन्तु घोषणा के बाद में राज्य सरकार के सामने जो भी समस्यायें थीं उनको मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने उचित प्रकार का ही निर्णय ले लिया होगा--यह मेरा विश्वास है । फिर भी मैंने और इस ओर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया । जब यह बात हमारे नोटिस में आई तो हमने भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और वह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा वापिस बदला जा सकता है । लेकिन आपके कहने से ही और आपके प्रस्ताव से ही सरकार का सारा काम होता है--ऐसी बात नहीं है । इसके अलावा विरोधी पक्ष का कोई सुझाव है और कन्स्ट्रक्टिव सुझाव है तो उस सुझाव पर हमारी सबकी भावना एक हो सकती है । आपकी तरफ से जो प्रस्ताव आते हैं; विरोधी पक्ष की ओर से जो प्रस्ताव आते हैं और उनमें कोई कन्स्ट्रक्टिव प्रस्ताव है तो सरकार समय समय पर उस पर विचार करती है और मंजूर भी करती है और उसके

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

अनुसार अपने फैसलों में संशोधन भी करती है । इसमें भी बुरी बात नहीं है कि ऐसे प्रस्ताव के जरिये, अगर सरकार से कोई भूल हुई है, तो वह भूल मंजूर की जा सकती है । परन्तु इसके साथ जो बहुत सारी दूसरी बातें जोड़ कर कही गई हैं, वह अनुपयुक्त है । चीज केवल इतनी ही है कि जो घोषणा की गई है लगान माफी की उस पर सरकार पुर्नविचार करे और इसके कारण से आर्थिक रूप से कोई कमी हो बजट में तो उसको किसी दूसरे सीगे से पूरा करने की कोशिश करें ।

(3.45 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, निन्दा का प्रस्ताव इस सदन के सामने है । प्रस्ताव प्रस्तुतकर्त्ताओं ने इसके संवैधानिक, कानूनी और दूसरे पहलुओं पर अच्छी तरह से प्रकाश डाल दिया है । इसके विपक्ष में बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव की अहमियत से इन्कार नहीं किया है । अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार को इस प्रकार राज्यपाल द्वारा इस सदन में की गई घोषणा से नहीं मुकरना चाहिए । यह अच्छा नहीं किया । लेकिन उनको इस बात से भय है कि इसका श्रेय प्रतिपक्ष को नहीं मिलना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को हमने पहले ही कह दिया है । मैं प्रतिपक्ष की ओर से उनको यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यह श्रेय आप ले लीजिये । हमें श्रेय लेने की अवश्यकता नहीं हैं । हम सामाजिक न्याय के लिए और आर्थिक समानता के लिए आम जनता के हितों और हकों की रक्षा करने के लिए यहां बैठने आये हैं । हम श्रेय लेने की ख्वाहिश से कोई सवाल प्रस्तुत नहीं करते हैं । हमारा श्रेय लेने का कोई इरादा नहीं है । हमारा तो इरादा, जिस बात को लेकर हम यहां आये हैं उस बात को और वायदे को पुरा करने का है । इसलिए आप श्रेय की इच्छा कर सकते हैं लेकिन हम अपने कर्त्तव्य को लेकर यहां सदन में सवाल प्रस्तुत करते हैं । सरकार की निन्दा हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि केवल सरकार हमारे विरोध में है । लेकिन हम सरकार की निन्दा किन्हीं वजूहात के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, दलीलों के आधार पर और तर्कों के आधार पर करना चाहते हैं । और इससे आप भी इन्कार नहीं कर सकते कि सरकार का यह कार्य निन्दनीय है । निन्दनीय ही नहीं बलिक लोकतंत्र पर आघात है, सर्वसत्ता पर आघात है और जनता के अन्दर सरकार के प्रति विश्वास इससे कम होगा । जनता के विश्वास के सबसे बड़े दो आधार होते हैं—एक वह भगवान पर आस्था रख कर चलती है, एक राज्य पर विश्वास रख कर चलती है । भगवान और राज्य, राम और राज्य दोनों कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं—ऐसा आम आदमी मानता है । लेकिन इस राज्य के यहां कोई मर्यादा नहीं है, कोई नीति नहीं है, इस राज्य के यहां कोई मान्यता नहीं है, इस राज्य के यहां घोषणा और आदेश का कोई मूल्य नहीं । रोज घोषणायें बदलती हैं, रोज आदेश बदलते हैं, रोज हुक्म बदलते हैं । जिस शासन के हुक्म की निष्ठा चली जाती है जनता में जिस सरकार के आदेशों

(श्री दौलतराम सारण)
पर जनता का भरोसा नहीं होता है वह शासन कभी भी जनता का विश्वास अपने में पैदा नहीं कर सकता। इसी कारण से आपका आर्थिक नियोजन कार्यक्रम असफल हुआ है, इसी कारण से आप देश को कंगाली के कगार पर खड़ा कर चुके हैं, इसी कारण से आज देश भयंकर विपत्ति की स्थिति में पड़ा हुआ है। आपने देश को ऐसी जगह पहुंचा दिया है जिस जगह से उसका निकलना मुश्किल हो गया है। और आप यह कहते हैं। अभी पाली से आने वाले महानुभाव कह रहे थे, कि किसान लगान देना चाहता है और यह भी कह रहे थे कि किसान से जो लगान लेते हैं वह किसान का लगान बहुत कम है। उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई है, उससे और लगान लेना चाहिये। आप यह प्रस्ताव ले आइये और लगान बढ़ा दीजिये। यदि किसान देता है तो आप लगायें लेकिन कायदे से आइये, कायदे से लगाइये। गलत तरीके से मत आइये। पाकेट में हाथ डाल कर अनुचित तरीका अख्तियार मत कीजिये। आप एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन लोकतंत्र मर्यादायें मांगता है, लोकतंत्र कानून और वैधानिक तरीका मांगता है, लोकतंत्र संवैधानिक संरक्षण चाहता है। लेकिन आप संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं मानते, आप सदन की घोषणाओं को आदर नहीं देते और आप एक पीछे के तरीके से जाकर कहते है कि हम कल्याण करना चाहते हैं। आप किसका कल्याण करना चाहते हैं......

श्री **रामकिशन** : अपना।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : आपका।

श्री **रामकिशन** : अजी साहब, अपना!

श्री **दौलतराम सारण** : आप कल्याण करना चाहते हैं उस गरीब का जो आज अपनी रोटी रोजी कमाने में असमर्थ है। आप किससे उसका कल्याण करना चाहते हैं? आपकी हैसियत है कल्याण करने की, आपका इरादा है कल्याण करने का? आप उसके पैसे से ही उसका कल्याण करना चाहते हैं। डाक्टर रोगी को स्वस्थ बनाना चाहता है और रोगी के शरीर से खून लेकर उसको कहता है कि तुझे खून दूंगा और उससे तू तगड़ा बन जायगा। क्या विडम्बना है! कितना अजीब परीक्षण है आपका! कितना अजीब तरीका है आपका कि आप रोगी के शरीर से खून लेकर उस रोगी के शरीर में खून देना चाहते हैं, उस गरीब के शरीर से खून ले कर उसी के शरीर में उसका खून देना चाहते हैं और कहते हैं कि यह रोगी इससे स्वस्थ हो जायगा, यह गरीब इस खून से मोटा हो जायगा! जो गरीब हैं, साधन-हीन हैं, जिनके पास खाने को दाना नहीं जिनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं, उनको कहते हो कि हमें पैसा दो, हम तुम्ह मोटा कर देंगे, हम तुम्हें रोजगार देंगे; हम तुम्हें साधन देंगे। कहां से लायगा आखिर वह पैसा? उसके पास अगर देने के लिये पैसा होता तो हम यह निन्दा का प्रस्ताव नहीं लाते, हम आपकी इसके लिये निन्दा नहीं करते। हम अपने शब्दों की और अपने कर्त्तव्य की कीमत आंकते हैं और इसीलिये हम यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहे हैं। आप समाजवाद की दुहाई देते हैं, पर समाजवाद का तकाजा है साधनहीन को साधन देना, बेरोजगार को रोजगार देना, जो गरीब है उसको सब साधन उपलब्ध

(श्री दौलतराम सारण)

करा कर ऊपर उठाना । बेरोजगार को रोजगार देने की, साधनहीन को साधन देने की सरकार ने जिम्मेदारी ली है । यह जिम्मेदारी किसी ने दी नहीं है, स्वयं सरकार ने ली है और सरकार ने यह जिम्मेदारी ली है तो सरकार को उससे इन्कार नहीं करना चाहिये, वह इस जिम्मेदारी से इन्कार कर नहीं सकती । पर यह सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास आर्थिक साधन नहीं हैं, हम गरीबों की, मजदूरों की सहायता नहीं कर सकते । सहायता आप उन पूंजीपतियों की करते हैं जिनके पास पहले से बहुत पैसा है । यह सरकार जिसके पास करोड़ों की पूंजी है उसको करोड़ों की सहायता देती है जिसके पास 50 लाख है उसको 5 लाख की सहायता देती है । आपके नियम ही ऐसे हैं, आपकी सारी व्यवस्था ही इस प्रकार की बनी हुई है, जिस नागरिक के पास कमाने खाने को पैसा नहीं है, वह आपसे पैसा नहीं ले सकता, जिसके पास अपनी जीविका चलाने के लिये किसी प्रकार के साधन नही हैं, वह आपसे अपनी जीविका के साधन बनाने के लिये पैसा नहीं ले सकता । यह आपका समाजवाद है । दूसरी ओर जिसके पास पहले से बहुत पैसा है वह आपसे पैसा ले सकता है । यह है आपका समाजवाद !

आपके इस समाजवाद का एक उदाहरण देता हूं । आप भूमिहीन को 15 बीघा जमीन देते हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति 15 बीघा जमीन से अपना और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकता है ? वह भी 5 पर्सेंट कीमत एडवांस किश्त पर देते हैं । उसे 5%किश्त एडवान्स देना पड़ेगा । यदि उसके गांव में जमीन नहीं है तो उसे अपनी झोंपड़ी छोड़ कर जाने के लिये कहते हैं। आप उसे 60-70 मील दूर 15 बीघा जमीन देंगे, उसे अपनी झोंपड़ी छोड़ कर इतना दूर जाना पड़ेगा । फिर आप उससे किश्त एडवान्स लेंगे, यह है आपका समाजवाद । जिसके पास किसी प्रकार के साधन नहीं, जिसके पास खाने को दाना नहीं, वह भूमिहीन कृषि मजदूर है, उससे आप किश्त मांगते हैं । आपके पास उसे सहायता देने को हल नहीं, बीज नहीं, खाद नहीं, कृषि के औजार नहीं और कहते हैं कि हमने भूमि रिजर्व कर दी है । हमने गरीबों के लिये, हरिजनों और आदिवासियों के लिये भूमि रिजर्व कर दी है । दूसरे भूमिहीन किसानों के लिये भूमि रिजर्व कर दी है । कोई एरिया नहीं दिखाया गया है, कोई एरिया नहीं बताया गया है । पहले 20 बीघा दी गई थी अब उन को नोटिस मिले हैं कि 15 बीघा ही मिलेगी । वे लोग यहां आये हैं, राजस्थान नहर के क्षेत्र के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और रो रहे हैं । यह है आपका समाजवाद ! उनके पास कोई रोजगार नहीं । पंचायत समितियां प्रस्ताव पास करती हैं, जिला परिषदें प्रस्ताव पास करती हैं, कांग्रेस कमेटियां प्रस्ताव पास करती हैं और वे प्रस्ताव आपके पास आते हैं पर यह लोकतान्त्रिक सरकार उन प्रस्तावों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती । आखिर क्या जरिया है ? यहां विधान सभा में कहें, कोई सुनवाई नहीं, प्रस्ताव पास करें उन पर कोई अमल नहीं, रिप्रेजेन्टेटिव्स आयें फिर भी कोई समाधान नहीं । फिर और कौनसा तरीका है समाधान का ? आज 20 वर्षों से गंगानगर के किसान तबाह हो रहे हैं, जो लोग पीढ़ियों से वहां

(श्री दौलतराम सारण)

आबाद थे उनकी जमीनें छीन ली गई हैं और वे लोग भटकते फिर रहे हैं। पर आप सुनने को तैयार नहीं और कहते हैं कि समाजवाद बनाने जा रहे हैं। भूमिहीनों का अलाभकारी जोत वालों का कल्याण करना चाहते हैं। किस बिना पर कल्याण करना चाहते हैं? उस ही के खून से उसको मोटा करना चाहते हैं, यह आपका कल्याण का रास्ता, विकास का रास्ता बड़ा विचित्र है। ऐसा विचित्र है कि जिसका आप कल्याण करने जा रहे हैं, उसकी मौत कल्याण से पहले ही होने वाली है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस जनता में आशा रख कर जनतन्त्र को कायम रखना चाहते हैं उस जनता की बात को सुन कर उसके कष्टों का निवारण करें, उसके अभाव अभियोगों का निवारण करें। बिना सोचे विचारे एक फैसला कर लिया और उसको प्रेस्टिज पॉइन्ट बना लिया कि अगर इस फैसले से वापिस मुड़ते हैं तो बदनामी होगी। इस तरह गलत फैसले कर के कब तक इज्जत बचायेंगे? आप अदूरदर्शिता से गलत निर्णय लेते हैं, गलत फैसले करते हैं, उन फैसलों को जनता नहीं मानती है और उससे बेइज्जती की स्थिति पैदा होती है। तो उस एक गलती को छुपाने के लिये हजारों गलतियां आपको करनी पड़ती हैं। तो फिर आप पहले ही सोच समझ कर निर्णय क्यों नहीं करते हैं? आपके हर हुक्म की आज यही हालत है। आपका एक हुक्म पहुंचता है तो अधिकारी उसको दबा कर रख लेते हैं और कहते हैं कि पन्द्रह-बीस दिन बाद दूसरा हुक्म बदल जायगा। आज आपके किसी आदेश की, आपके किसी निर्णय की, आपके किसी हुक्म की कोई सेंक्टिटी नहीं है, कैबिनेट के निर्णय की कोई सेंक्टिटी नहीं है, उसको कोई मानता नहीं है, क्योंकि लोग देखते हैं कि कल दूसरा निर्णय होने वाला है। हमारे यहां कहावत है :

"जाओ लाख पर रहो साख"

पर आपको अपनी साख की कोई परवाह नहीं है। दिवालिये की दुकान बना हुआ है यह मंत्री मण्डल। राज्य ने साख गवां दी तो वह जनता का हित नहीं कर सकेगी, समाजवाद नहीं ला सकेगी और न नियोजित आर्थिक कार्यक्रम ही ला सकेगी। अगर नियोजित आर्थिक कार्यक्रम नहीं ला सकेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा—यह मैं अवसर आने पर बताऊंगा। यह तो श्री डागाजी ने सवाल पैदा किया इसलिये मैंने यह थोड़ा सा निवेदन किया। रघुनाथजी को आपत्ति है कि इधर उधर की बातें क्यों कहते हैं, मैं इधर उधर की बातें नहीं कहता, संदर्भ की बातें कहना जरूरी होती हैं वही कहता हूं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि आपने अपनी उस घोषणा के विपरीत जाकर गलती की है। उस गलती को आपको साहस के साथ मंजूर करना चाहिये, और सदन से क्षमा याचना करनी चाहिये। इससे आपका बड़प्पन बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, इससे आपकी प्रतिष्ठा घटेगी नहीं। इसके लिये आपमें लोकतान्त्रिक साहस चाहिये। पर आज आपका यह आम रवैया हो गया है कि बिना सोचे विचारे एक गलती करते हैं और उस गलती को हर प्रकार से दबाने की कोशिश करते हैं। बीमारी को दबाया जाता है तो भयंकर विस्फोट के साथ वह बढ़ती है। आप अपनी इन बुराइयों को हटाइये ताकि आप अपना मानसिक

(श्री दौलतराम सारण)

संतुलन बना सकें और सुनियोजित आर्थिक कार्यक्रम रख सकें । आज आपके निर्णय अदूरदर्शिता के आधार पर होते है, किसी सिफारिश के आधार पर या दवाव के कारण आपके निर्णय होते हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि सरकार बार बार अपने निर्णयों को बदलती है ।

इस समय मैं इस पर विशेष न कह कर राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तार से बताऊंगा कि आज राजस्थान में क्या स्थिति हो रही है । इस निंदा प्रस्ताव पर मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि केवल विकास के नाम पर पैसा बटोरने की नीति गलत है । राज्य का काम पैसा बटोरने का नहीं, माना कि पैसा लेना आवश्यक है पर केवल पैसा बटोरने की नीति गलत है । पर आज आपकी तो नीति यह हो गई है कि येन केन प्रकारेण पैसा आना चाहिये चाहे किसी तरीके से आये । समाजवादी दृष्टि-कोण से समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो समाज का साधनहीन वर्ग है, उसको साधन दे कर उठाने की जिम्मेदारी प्राथमिकता के आधार पर एक समाजवादी शासन की होनी चाहिये पर आज आप के यहां इसके लिये प्राथमिकता नहीं ।

उस ओर बैठे हुए एक माननीय सदस्य ने कहा कि भू-राजस्व जरूरी है । पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भू-राजस्व समाजवादी सरकार के लिये एक शर्म की बात है कि भू-राजस्व अवैज्ञानिक है, यह एक राजतन्त्र और एकतन्त्र की थोपी हुई व्यवस्था है, इसका उनद तपसे, उपार्जन से कोई सम्बन्ध नहीं एक ही प्रकार की जमीन पर अलग अलग प्रकार की दरें हैं इसलिये आज की विकासशील वैज्ञानिक अर्थ व्यवस्था में इस प्रकार से कर नहीं लिया जा सकता । इसलिए भू-राजस्व आपको हर सूरत में अलाभकारी जोत से माफ करना पड़ेगा । अगर विधान सभा की बात नहीं मानेंगे तो जनता आप को मजबूर करेगी, आप राजस्व नहीं ले सकेंगे । यह आपका गलत निर्णय है । इसका प्रत्येक किसान विरोध करेगा और इसे नहीं देगा । यह आप अच्छी तरह से सोच लें । उस समय आप माफी की घोषणा करेंगे तो वह ज्यादा अप्रतिष्ठाकर होगा बनिस्बत आज आप गल्ती मानकर माफ करें । इन शब्दों के साथ मैं इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री नाथूलाल (बागीडोरा) : हमें भी समय मिलना चाहिए ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : हमें भी समय मिलना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : समय उनको मिलना चाहिए जो इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और न कि जो लीपापोती करते हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, लैंड रेवेन्यू को राजस्थानी भाषा में हासिल कहते हैं । उसका मतलब है कमाई में से हिस्सा । जो बारानी जमीन को जोतते हैं उनसे कम लिया जाता है क्योंकि वे कम कमाते हैं । अगर उसने कुआ लगा लिया अपनी मेहनत से, कमाई ज्यादा होने लगी तो ज्यादा पैसा लिया जाता है क्योंकि कमाई ज्यादा है । तो पुराने जमाने से

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

इसको कमाई में से हिस्सा कहते हैं। एक तरह से इन्कम टैक्स हुआ। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि लगान उन लोगों पर लगाना चाहिए जो ज्यादा कमाते हैं। शहरों में रहने वाले अगर 3500 या 5000 कमायें उसके बाद इन्कम टैक्स देना पड़ता है तो किसानों को भी जो ज्यादा कमाते हैं उनसे ज्यादा लिया जाय, जो नहीं कमाते हैं उनको छोड़ दिया जाय। गत वर्ष मैंने यह समझा कि बहुत प्रोग्रेसिव काम हो रहा है। इस साल आपने कुछ को छोड़ा है। एक दो साल बाद सारा छोड़ देंगे और उसके बाद एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगेगा और उससे सरकार की आय को कोई नुकसान नहीं होगा। आज कुछ लोग टैक्स नहीं लगवाना चाहते हैं और बेईमानी की कमाई को इन्कम टैक्स से बचाने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि इन्कम टैक्स लिया जायगा तो किसान झगड़े में पड़ जायगा, इन्कम टैक्स वालों के यहां घूमना पड़ेगा। किसान अगर छोटी जोत करता है, उसके पास 5-7 बीघा जमीन है और 50-100 मन अनाज पैदा होता है तो इन्कम टैक्स में नहीं पकड़ा जायगा। होता क्या है कि 500 एकड में लगाया अंगूर, तो कितना रुपया गायब हो गया? दो हजार बोरी गेहूं की पैदा हुई तो 2 लाख रुपए पैदा हुए, इन्कम टैक्स लिया जाय तो एक साथ पिंड छूट जाय। आज जो कमाते हैं उनसे ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन वह नहीं लिया गया। पिछली बार थोड़ा सा बढ़ाया गया जिनके पास ज्यादा जोत है। मैं समझ गया कि छोड़ा गया है और भविष्य में भी छोड़ा जायगा और इन्कम टैक्स लगेगा। जब वापस आज वसूल किया गया तो सोचता हूं कि इन्कम टैक्स नहीं लगेगा उससे विकास होगा नहीं, छोटी जोत वाले पैसा पूरा नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि गांवों के छोटे किसानों की हालत ठीक नहीं है। वह खेत में अपने आप खुद बैठता है उसकी बीबी और बच्चे काम करते हैं। बैलों की जोड़ी रखता है। अगर बैलों की जोड़ी का ही खर्चा निकल गया तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, मिनीमम वेज लागू करेंगे तो भी वहां 5-6 आने और शहरों में दो ढाई रुपए।

हमने घोषणा कराई राज्यपाल के द्वारा कि हम छोटी जोत से लगान नहीं लेंगे। आज यदि हम लगान वसूल करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम अपनी बात से मुकरते हैं। यह नहीं होना चाहिए। निंदा प्रस्ताव में इन्होंने (विपक्ष ने) कई अपनी बातें कहीं हैं इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। निंदा प्रस्ताव पर मौका मिल गया, जो मर्जी आए कह दिया—कांग्रेस ऐसी वह ऐसा। ये खुद कैसे हैं इनको पता नहीं। मेरा निवेदन है कि अगर हम इसको ध्यान आकर्षण मान लें तो निश्चित रूप से मेरा मत है कि कही हुई बात को नहीं टालना चाहिए और मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी कही हुई बात से नहीं मुकर सकती। कुछ लोगों ने समझ लिया कि सरकार कह कर मुकर गई। मैं कहता हूं कि नहीं मुकरेगी। छोटे किसानों से कहा है कि इस साल छोड़ते हैं तो छोड़ देना चाहिए और भविष्य में अगर आपका इरादा ईमानदारी का हो, बड़े बड़े किसानों से पूरा टैक्स वसूल करने का हो इन्कम टैक्स के तरीके से तो फिर छोटे किसानों को छोड़कर इन पर लगाइए।

एक माननीय सदस्य : सीलिंग का कानून तो खटाई में पड़ गया ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपको नहीं मालूम, वह खटाई में नही है । यदि सीलिंग आप नही लगाते और इन्कम टैक्स से बचाना हो तो आर्डिनेन्स इस पर निकाल सकते थे कि हम एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगायेंगे, लेकिन वह नहीं निकाला । सरकार कहती है कि धनाभाव के कारण यह टैक्स वसूल करते हैं । सेल्स टैक्स में कई टैक्सेज छोड़ दिए हैं । क्यों ? सरकार को जो सामान बेचेगा उसमें कुछ पर्सेंटेज छोड़ेंगे । पहले लगाया फिर छोड़ा, दुबारा लगाया फिर छोड़ा, यह तरीका गलत है । उससे कितनी आय कम होगी उसको नहीं देखेंगे । आज जो इस पैसे को इकट्ठा किया है, वह विकास में क्यों लगाया ? अगले साल किसान का पैसा उसके खाते में जमा क्यों नहीं हुआ ताकि उसको फिर देना नहीं पड़े ? विकास फंड बनाया, फिर किस किसान को मिलेगा ? पैसा मेरा लगा और मिलेगा किसी और को, यह चीज लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे । लोग कहते हैं कि हमारा मुंह बंद है, दिल में कुछ है ......

श्री नरथ सिंह : ऐसा कहते हैं तभी हिम्मत होती है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कांग्रेस ने हमें यह कभी नहीं कहा कि सही बात नहीं कहनी चाहिए (विपक्ष से) आप कुर्सी से उछलते हैं जैसे कि कुर्सी में खटमल हों । बात एक साफ है, उपाध्यक्ष महोदय । इस लगान के मामले में ईमानदारी से हमें सोचना पड़ेगा । सरकार आज नहीं सोचे, पांच सात दिन, दस दिन में सोचे, सोच कर तय करे । कही हुई बात से नहीं मुकरना चाहिये और मैं समझता हूं, सरकार अपनी कही हुई बात से मुकरेगी भी नहीं । उन्होंने एक ही सूत्र पढ़ा है । एक आदमी गुरुद्वारे में चला गया । कोई कह रहा था कि कह कर बदल जाय । सरदार ने कहा नीचे इसके सीधा भी है । वही लोग कहते हैं कि सरकार मुकर जायगी । इसमें प्रस्ताव की बात ही नहीं थी । ध्यान आकर्षण उनको करना चाहिये था ।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्षजी, हम तो चरण पकड़ ले वापिस ले लेते है तो ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपको तो न जाने क्या क्या बातें याद आती हैं । कोई साथियों ने साफ कहा है । यह आपका प्रस्ताव है । निन्दा किस बात की ? वाह वाही की बात नहीं की है । लगान छोड़ा तब जाय जब एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाने की बात हो वरना बुरी बात है । उन लोगों का हौसला पस्त हो जाना चाहिये कि जो बेईमानी की बात करते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : करोड़ों रुपया बकाया है टैक्स का । लेने की हिम्मत है नहीं उनसे ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मेरी सरकार की हिम्मत नहीं है । 15 साल तक यहीं इसी में बैठ रहे थे । उधर चले गये तो उछलने लगे । जैसे खट्टी छाछ हो ।

इसलिये एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लागू करना चाहिये । छोटे लोगों को इससे छोड़ना चाहिये । 200) कमाने की जिस किसान की हिम्मत नहीं है उसके क्यों लत्ते उतारते हो ? जो बात कही उसको मानी जाय,

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
उसको पूरा कराने के लिये तैयार हूं। लेकिन जब तक एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लागू न हो तब तक छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। यह निन्दा का प्रस्ताव व्यर्थ है।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मनोहरसिंह।

श्री **नाथूराम** : मुझे पहले बोलने का कहा गया था।

श्री **मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था तब लगान बन्दी की घोषणा पर दोनों तरफ से और खास तौर से ट्रेजरी बैन्चेज से इतनी जोरों की तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी कि मैंने सोचा कि या तो टेबलें टूटेंगी या इनके हाथ सूकेंगे। लेकिन मैंने उस वक्त भी विरोध किया था और कहा था कि किसी सस्ती ख्याति के पक्ष में व्यर्थ जा रहे हो और यह नहीं सोच रहे हो कि क्या कर रहे हो ? आज आये उसी रास्ते पर। लेकिन आये कैसे ? सुबह का भटका शाम को घर आना चाहता है लेकिन दरवाजे से न आकर वह दीवार पर चढ़ कर आना चाहता है। वचन भंग सबसे बड़ा अपराध है। उस वक्त भी निवेदन किया था कि आप एक तरफ किसान को लगान छोड़ेंगे और दूसरी तरफ दुनिया भर की आफत उस पर डाल देंगे। अभी अभी एक आदेश जारी किया है कि अल्प बचत योजना का प्रचार करना है। मेरे क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं। इसको अनिवार्य रूप से लगाना चाहते थे। जिनके दस दस आने आते थे, पटवारी के द्वारा उनसे दस दस रुपये लिये गये। हम लिख कर देते हैं तब सुनते नहीं, चिल्लाते हैं तो सुनते नहीं

मांडया भणोन पानड़ा, पाड़या सुणो न बार।
कार छोड़ हेटे उतर, देख गांवड़ा जार॥

आप खामख्वाह गलत काम करते हो। आप यह मानेंगे कि लगान तो लेना है क्योंकि किसान देना चाहता है। लेकिन आप सस्ती ख्याति ले रहे हैं। कृपा कर सस्ती ख्याति के लिये न दौड़िये। जब तक गवर्नर महोदय के आदेश फिर से वसूल करने के नहीं हो जाते कृपा कर जितनी रकम ली है उसको वापिस कीजिये। या उनको अगले साल के लिये मुजरा दीजिये। कृपा कर जो भी काम करें सोच समझ कर करें। मैंने कहा था कि कृपा कर समाज कल्याण विभाग को बन्द कीजिये। आप सुनते नहीं। लगान छोड़ने की बात नहीं करिये तो भी आपने सुना नहीं। आपके जितने विकास खंड हैं, सच्चे मायने में उनको राजस्थान के विनाश खण्ड कहना चाहिये। क्योंकि सबसे अधिक राजस्थान का विनाश किया है तो इन विकास खण्डों ने किया है। लेकिन आप अब भी इनको बन्द नहीं करने वाले हो। जिस प्रकार मेवाड़ के महाराणा को राज चलाना था उन्होंने पहले सोलहों के उमराव खड़े किये, फिर बत्तीसों के उमराव खड़े किये और फिर गोल के सरदार खड़े किये। इसी प्रकार आपको राजस्थान का राज्य चलाना है इसीलिये आपने जिला परिषदों के रूप में सोलहों के उमराव खड़े किये, पंचायत समितियों को बत्तीसों के उमराव के रूप में खड़ा किया, और जितनी पंचायतें हैं वे गोल के सरदारों के रूप में हैं और जितने पंच हैं वे सब भोमिये हैं। आपको पार्टी का राज चलाना है। मेरी तहसील में राजस्व मंत्रीजी ने आदेश भेज कर कुछ कार्यकर्ताओं को बालाबाला जमीन एलॉट कर दी। लेकिन इस जमीन पर उनका कब्जा

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

होगा जिनके पास जमीन नहीं है। चाहे आप गोलियां चलवा दें लेकिन आप उन्हें कब्जा नहीं दे सकेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि आप थोथी घोषणायें मत कीजिये। 'सत्यमेव जयते' को आप सामने रखिये। गांधी को सामने रखिये। गलत काम क्यों करते हैं ? अच्छा काम करें। हमें विरोधी मानते हैं आप। सच्चे माने में विरोधी वे हैं जो उधर बैठकर नाजायज काम कराते हैं। आजादी के पहले जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास चार चार कारें हैं, आज उनके पास बंगले हैं, आज उनके बैंक बैलेन्स हैं और आज उनकी औरतें सोने से पीली हैं। सच्चे मायने में विरोधी वे हैं। जिन्होंने फकीरी अंगीकार की हुई है वे आपके विरोधी नहीं हैं। आप क्यों उनको विरोधी मानते हैं। मैंने संकल्प किया हुआ है कि अच्छे कामों का मैं आपका समर्थन करूंगा। अच्छे काम नहीं हुए तो मैं उनका विरोध करूंगा। आपको मां का पार्ट अदा करना है। हर बार आप सास का पार्ट अदा करेंगे तो काम नहीं चलेगा। सास क्या करती है ? खांडती रहती है हमेशा बहु को। बहु नसरड़ी हो जाती है। लेकिन मां क्या पार्ट अदा करती है ? कोई गलत काम किया जाता है तो मां कहती है कि बेटी इस तरह से काम क्यों कर रही है। ट्रेजरी बैंच वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी मां का पार्ट अदा कीजिये। मां क्या करती है ? सब को खिला पिला कर और पहना कर फिर खुद खाती है, पीती है और पहिनती है। कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चे भूखे रहें और मां खाती रहे। सबके खाने के बाद फिर खाती है। बच्चे तड़फते रहें और मां खाती रहे उसको मां कहेंगे या क्या कहेंगे– यह आप ही समझ सकते हैं। इसलिये आपको मां का पार्ट अदा करना चाहिये। हम सब साथ हैं आपके। आइये ! मिल कर आप हम राजस्थान का निर्माण करें। राज्यपाल महोदय का जो आदेश हुआ था उसको वापिस उसी तरह जिस दरवाजे से यह घोषणा करवाई थी उसी दरवाजे से आप घोषणा नहीं करेंगे तो मैं भी निन्दा प्रस्ताव में शरीक होऊंगा। जब तक घोषणा नहीं होगी और उस वक्त के लगान को वापिस नहीं कर देंगे या अगली बार उसको माफ नहीं कर देंगे तब तक मैं भी निन्दा प्रस्ताव के पक्ष में हूं। मैं इतना ही कह कर स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में, जो घोषणा की थी वह सरकार का निर्णय था। उस वक्त छोटे कृषकों के लिये प्रसन्नता थी कि हमारी सरकार ने बहुत ही आगे कदम बढ़ाया है। अब हमारी सरकार अपना कदम पीछे ले जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में हजारों एवं लाखों आदिवासी रहते हैं यानि उदयपुर डिविजन में भी लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं, जिनके पास किसी के पास दो बीघा जमीन है, किसी के पास 5 बीघा जमीन है तो किसी के पास 10 बीघा जमीन है। आजादी के बाद आज 20 साल हो गये सरकार उनकी माली हालत को ठीक नहीं कर सकी। आज मैं यह कहूंगा कि समाज कल्याण विभाग है वह भी उन तमाम गरीबों को फायदा नहीं

(श्री नाथूराम)

पहुंचा रहा है। लाखों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। उन काश्तकारों की माली हालत को देखते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया था लेकिन अब सरकार उसका पालन नहीं कर रही है। आज स्थिति यह है कि पिछले वर्षों में सारे राजस्थान में दुष्काल था। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि स्थानों पर दुष्काल होने से लगान रोक दिया गया था लेकिन अब सरकार 2-2, 3-3 साल का लगान ले रही है। आज कानून बना हुआ है कि लगातार तीन वर्ष का दुष्काल है चौथे वर्ष में सुकाल हो तो दो साल का लगान माफ हो जाता है मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में भयंकर अकाल था और संवत् 2021 के लगान के माफी के आर्डर थे। मैंने आपके द्वारा सरकार से निवेदन किया है कि जिन काश्तकारों में संवत् 2021 में लगान वसूल हो गया है वह संवत् 23 में एडजस्ट होना चाहिये। मैंने कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र पेश कराये, सरकार से भी निवेदन किया लेकिन न सरकार ने ही सुना और न कलेक्टर ने ही ध्यान दिया। आज उन हजारों और लाखों आदिवासियों के घरों में खाने को नहीं है। तो भी उनसे लगान वसूल हो रहा है। बांसवाड़ा कलेक्टर को सैंकड़ों एप्लीकेशन पेश कीं। लगान जितना लेना है वे देने को तैयार हैं लेकिन जो तकावी दी गई है उसमें से एडजस्ट कर लें। रबी की फसल निकलने के बाद अदा कर देंगे लेकिन कलेक्टर ने नहीं सुनी, आज उन काश्तकारों की चीजों की नीलामी हो रही है।

बांसवाड़ा के आदिवासियों से समितियों का 9-10 लाख रुपया वसूल हो गया है। लगान और तकावी भी वसूल हो रही है। माननीय राजस्व मंत्री जी को दौरा करना चाहिये और बांसवाड़ा की गरीबी की स्थिति को देखना चाहिये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : राजस्व मंत्री जी आपके इलाके में नहीं आते हैं क्या ?

श्री नाथूराम: नहीं ! सरकार को चाहिये कि जब तक काश्तकारों की माली हालत ठीक न हो और जब तक खरीफ और रबी की फसल न आवे तब तक वसूली रोक देना चाहिये। इसलिये आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो काश्तकार से कानून के विरुद्ध लगान वसूल हो रहा है, उसको रोकना चाहिये। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसका पालन करना चाहिये ताकि गरीबों का फायदा हो सके। मैं यह भी कहूंगा कि जो बड़े जमीदार हैं, उन पर कृषि टैक्स लगना चाहिये उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करना चाहिये, आज जो छोटे काश्तकार हैं, उनसे लगान वसूल नहीं होना चाहिये। सरकारी करोड़ों रुपया कई विभागों में बाकी पड़ा है। सरकार वसूल नहीं कर रही है। आबकारी विभाग में साठ लाख रुपया, जो की बकाया का है वह वसूल नहीं हो रहा है और लगान वसूल हो रहा है। सरकार का करोड़ों रुपया विभागों में जो बाकी है, वह वसूल नहीं हो रहा है, यह सरकार की कमजोरी है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी कदम बढ़ा कर वसूल करना चाहिये और जहां छोटे काश्तकारों का जो लगान वसूल हो रहा है, उसको रोक कर जो कदम सरकार ने उठाया है, उसको माफ करना चाहिये और आइन्दा

(श्री नाथूराम)
के लिये छोटे काश्तकारों का लगान माफ हो जाना चाहिये। मैं यही सरकार से निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरा भाई।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): यह रसीद है 3.50 पैसे की, 4.50 पैसे की, 6.24 पैसे की और 7.62 पैसे की। इसमें हर एक में बचत के अनिवार्य रूप से 10-10 रुपये लगाये हैं। यह अनिवार्य रूप से लगाये गये हैं।

3.50 पैसे की रसीद पर भी 10 रु. लिये जाते हैं। एक रुपये की रसीद पर भी 10 रुपये अनिवार्य रूप से लिये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह बिलकुल सही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरा भाई।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : जो निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह भी निवेदन करूंगा सबसे पहले कि अगर आपको इतना डर नहीं लगता और आप इस फंदे में नहीं पड़ते तो गरीबों की बेइज्जती नहीं होती। मंत्रिमण्डल को बनाने मात्र और कायम रखने मात्र के लिये ही यह घोषणा राज्यपाल महोदय से करवाई। आज हमारे राजस्थान की सब जगह से आवाज आ रही है और बांसवाड़ा में कम से कम 99 प्रतिशत वह हैं जो आदिवासी और किसान हैं जिनके पास जमीन 5 बीघा, 7 बीघा से ज्यादा नहीं है। ज्यादा जमीन तो जुर्म करने वाले लोगों के पास है। लेकिन वहां की परिस्थिति मुझे समझ में नहीं आती कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने क्या हमारे साथ बदला लेने की एक तजवीज कर ली है। हमारे से बदला लेने को कहा है। आपके हरिदेव जोशी, सुखाड़िया और भीखा भाई इन तीनों ने दो दिन का दौरा किया और वहां पर उन्होंने गोठें खाईं। और ब्लेक करने वालों के साथ गोठें खाईं। आपने बड़े लोगों को राजी रखा और छोटे लोगों व आदिवासियों को यह कहा कि सुखाड़िया साहब ने कहा है कि हमने छोटे काश्तकारों का लगान माफ कर दिया है और आपके विकास के लिये हम जुट गये हैं–यह बातें कहीं मजबूती से। जोशी साहब और सुखाड़िया साहब मोटर लेकर दूर दूर घूमे उस क्षेत्र में। वहां से चले आने के ठीक एक महीने के बाद अब वसूली के आदेश होते हैं। वसूली के आदेश होने के बाद हमारे मुख्य मंत्री महोदय, जोशी जी व भीखाभाई को कहा तो वे कोई परवाह नहीं करते लगान लेने में बहुत सख्ती बरती। लगान वसूल करने के लिये रात को 12 बजे तहसीलदार कुशलगढ़ मय पुलिस व पटवारियों को साथ लेकर घरों में घुस गये और हमारी बहिनों को पकड़ पकड़ कर नंगी करके बाहर निकाल दिया। उनको मारा और क्या क्या किया वह मेरे मन में है लेकिन मैं यहां कहना नहीं चाहता। आज सुखाड़िया साहब मजे से बैठे हैं। ठीक है, आज जनता बदला लेने में कमजोर है। सुखाड़िया साहब को यह बात बुरी लगेगी। बड़े उद्योग जो हैं उनको बिलकुल छूट दे रखी है। उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। और किसी अन्य कम आय पर भी कोई टैक्सेज नहीं हैं और जो सबसे ज्यादा गरीब हैं और जो छोटी जोत वाले हैं उनको माफ किया वह वापस वसूल कर रहे हैं। बड़े उद्योग

(श्री हीराभाई)
वाले हैं उनको वे बड़ी जाति मानकर चलते हैं। यह कहां लिखा है आपके टीनेन्सी एक्ट में कि पुलिस को ले जाकर लगान वसूल करो। उनको पकड़ पकड़ कर घर से बाहर निकाला। इसी तरह हमारे कुशलगढ़ में जो आदिवासी हैं उनके साथ जो घटना घटी है वह मैं हाउस में पूरी तरह से नहीं कह सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप कानून बनायें-आप कानून को सही ढ़ंग से बनवायें खाली चुनाव करने के लिये यह सब कुछ किया। आज यह बहुत बड़ा इतिहास बन रहा है कि इस तरह सरकार आजादी के बाद रिकवरी एक्ट के तहत वसूल कर रही है।

आज जो पूंजीपति हैं जिनके पास खूब धन जमा है आपकी हिम्मत नहीं कि आप उनकी मिल्कियत को नीलाम करा सकें। दूसरी तरफ गरीब लोगों, जिनके पास कुछ भी नहीं है, से आप पुलिस के जरिये लगान वसूल करते हैं यह आपके टीनेन्सी कानून में कहां है ? वहां के आदिवासी भील हैं जिनको जानवरों की तरह आप कुचले जा रहे हैं और उनसे माल गुजारी वसूल कर रहे हैं। सुखाड़िया की हिम्मत नहीं जो वह बड़े बड़े मालदारों से, जिनमें हजारो लाखों रुपया टैक्स का बकाया है, वसूल कर सके। यदि ऐसा करते हैं तो उनको वोट मिलने वाला नहीं। लेकिन सुखाड़िया गरीबों के साथ इस प्रकार का बरताव करता है तो याद रखना आपको भी सुखाड़ियाजी बेमौत मर जाना पड़ेगा केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिये, अपने मंत्रि मंडल को बचाने के लिये गरीबों की मां बहनों की बेइज्जती करवा कर आप बचे रहना चाहो यह नहीं हो सकता।

आज विकास के नाम का ढोंग रचकर बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के ऐशो आराम के लिये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सुखाड़ियाजी हर एक का भविष्य इस तरह का रहने वाला नहीं है। गरीबों की हाय लेवोगे तो मरे मरते मर जाओगे। मुझे कभी कभी रात्रि में विचार आता है मैं समाजवादी पार्टी का हूं मेरे मन में आता है कम्युनिस्ट का मेनी फेस्टो माना जाना चाहिये आज की हालत को देखते हुए। बड़े बड़े लोग ऐशो आराम कर रहे हैं और गरीबों की मां बहनों की इज्जत ली जा रही है।

अलाभकारी जोत पर जैसा पहले कहा गया कोई लगान नहीं लिया जायगा। लेकिन अब जिन से वसूल कर लिया गया है वह मध्यभारत सरकार की तरह उनको वापस लौटा दिया जाय, आप अपने पड़ौसी प्रान्त से तो कुछ सीखें। सरकार से निवेदन करूंगा कि वे हठधर्मी को छोड़कर गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बन्द करें और अलाभकारी जोत पर लगान को बिलकुल माफ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर जो वाद विवाद चल रहा है वह एक ऐसा वाद विवाद है जिसको कुछ सदस्य निन्दा प्रस्ताव का रूप दे रहे हैं कुछ उसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कह रहे हैं। यह तो उनके अलग अलग सोचने का दायरा है।

इस बात की घोषणा इसी सदन में की गई थी कि राज्य सरकार छोटे किसानों के लिये लगान माफ करती है। इस बात को

(श्री रणजीतसिंह)

हर्ष ध्वनि के बीच और तालियों की गड़-गड़ाहट के बीच हमने स्वीकार किया था । उस समय सब लोगों को काफी हर्ष हुआ था । कि वह सरकार का कदम काफी हद तक सही था । लेकिन उस के बाद जो परिस्थिति हुई उससे ऐसा पता चला कि इससे देश में न समाजवाद आयगा और न आयन्दा सालों में इसके आने की उम्मीद ही है । हालत यह है कि जो गरीब है वह गरीब बनता जा रहा है और जो अमीर है वह अमीर बनता जा रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भी घोषणायें सरकार की ओर से हों उन पर अमल होना चाहिये । यह सरकार की शोभा है और साथ साथ यह सदन की भी शोभा है ।

श्री जुझारसिंह : और यह उसके साथ बैठने वालों की भी शोभा है ।

श्री रणजीतसिंह : अगर हम उस कदम को वापिस लेना भी चाहते हैं तो इस तरह से लें जिससे यह शोभा बन सके । उस वक्त जल्दबाजी में फैसला किया गया था, फैसला उचित मानकर किया गया, लाभ की दृष्टि से किया गया लेकिन वह सरकार के हित में नहीं रहा । सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वह देश का भला नहीं कर सकेगी । आप यह मान कर चलते हैं तो यह पहले ही मानकर चलते तो ऐसी नौबत नहीं आती । पैसे के बगैर न तो देश आगे बढ़ सकता है और न समाज ही आगे बढ़ सकता है । उस समय जो सोचा गया, जो धारणा उस समय थी वह आज पूरी नहीं होने पर सरकार को कलंकित होना पड़ रहा है । यह ऐसा कलंक है जिसको मिटाना बड़ा मुश्किल है । इस कलंक को वापिस मिटाने के लिये सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जो वायदा आपने यहां पर किया है उस वायदे पर सरकार अमल करे और जल्दबाजी से जहां से वसूली नहीं हुई है वहां रोक लगा दी जाय और जिनसे वसूल हो गया है उसको आगे के लगान में एडजस्ट करें । अगर फिर आपको यह फैसला करना है कि लगान हमें माफ नहीं करना है तो वह हाउस के अन्दर अनाउन्स किया जाय । लेकिन जो पहले वायदा कर लिया गया है उस पर पूर्ण निष्ठा के साथ अमल किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि कुछ साथियों ने कहा जितने पैसे की बीघोड़ी लगती है उतने पैसों का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है । यह बात शत प्रतिशत सही है । मैं जहां से आता हूं वह डेजर्ट इलाका है । वहां लेन्ड रेवेन्यू पांच सात आठ और दस रुपये से अधिक नहीं है लेकिन कुछ कलेक्टर या एस. डी. एम. द्वारा, तहसीलदार द्वारा पटवारियों को यह आदेश दिया गया है कि जितने की बीघोड़ी है उतने ही पैसे नेशनल सेविंग में लिये जायें । नेशनल सेविंग जरूरी है यह मैं मानता हूं । नेशनल सेविंग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते । लेकिन वे पैसे ऐसे आदमियों से वसूल किये जायें जो देने के काबिल हैं । किसान जिसके पास दो-ढाई रुपया बीघोड़ी देने को नहीं है वह कहां से नेशनल सेविंग के लिये पैसा लायगा । इस पर भी वे लोग नेशनल सेविंग के लिये पैसा देने को तैयार हैं । अगर देश में ऐसी परिस्थिति है तो देश में पैसा आना चाहिये । उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि जिन किसानों से नेशनल सेविंग के नाम पर पैसा लिया जाय उनको यह आश्वासन दिया जाय कि उनका पैसा घर

(श्री रणजीतसिंह)
बैठे उनको वापिस किया जायगा । लेकिन उनको यह विश्वास है कि वह पैसा आने का नहीं है । पहले भी किसानों ने नेशनल सेविंग में पैसा दिया था । उस समय कहा गया था कि राजस्थान की परिस्थिति खराब है हम आपको दो साल के बाद में बीघोड़ी में एडजस्ट करवा देंगे । यह सरकार ने पटवारियों के मार्फत आश्वासन दिया था ।

जहां तक मेरा खयाल है 59 में सरकूलर जारी किया था। उस समय तैयार थी सरकार कि इस नेशनल सेविंग का पैसा बीघोड़ी में एडजस्ट करा दिया जावे । पर आज दिन तक मेरे इलाके की मैं बात कहता हूं जोधपुर जिले में तो कम से कम किसी राज्य कर्मचारी ने, किसी पटवारी या तहसीलदार ने बीघोड़ी में एडजस्ट नहीं किया । नतीजा यह निकला कि किसान दुबारा पैसा देने में हिचक गया ।

आज किसान अपने नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट को लेकर पोस्ट आफिस में जाता है तो परेशान होकर लौटता है । एक तो तीस-तीस, चालीस-चालीस मील की दूरी पर वे होते हैं फिर पहचान कराने वाला चाहिये । फिर इस तरह आने जाने में ही दस रुपया खर्च हो जाता है । इसलिये सरकार को गालियां देता हुआ वह वापिस लौटता है । इसलिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये कि जो पैसा नेशनल सेविंग में किसान देता है वह वापिस उसके पास घर पहुंच जाना चाहिये। ऐसी योजना बनानी चाहिये। योजनाएं गलत बनती हैं तो आज की तरह हाउस में भी सरकार को अपमानित होना पड़ता है ।

आज जो योजना बने किसान के दिल में हमें बिठानी चाहिये कि वह उसके भले के लिये है । अगर ऐसा नहीं होगा तो गांव का किसान और शहर का आदमी भी उस स्कीम को मानने वाला नहीं है । आज हर आदमी सोचता समझता है कि उसका हित अहित किसमें है । फायदा आप दिखावें तब तो हर आदमी मान लेगा नहीं तो नहीं ।

जो नेशनल सेविंग है उसके लिये आपने रोक रक्खी है । चारों तरफ से वसूली चल रही है । एक तरफ पंचायत समिति की वसूली चल रही है, रेवेन्यू विभाग की चल रही है और कहीं पर किसान की हालत खस्ता है और फरियाद लेकर जाता है तो उसे कहा जाता है कि अभी नहीं दे सकते तो मत दो पर नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट पहले ले लो । मार्च में गेहूं की फसल आने वाली है तो सबसे पहले यह समस्या उसके सामने आवेगी । वह समझता है आज मेरे घर कुर्की आने वाली है तो चलो सौ पिचहत्तर रुपये के सर्टिफिकेट लेकर ही अभी तो इसको टालो । पर आगे हालत उसकी खस्ता होने वाली है ।

फिर एक दिक्कत और है । नेशनल सेविंग के एजेन्ट बना दिये हैं सरकार ने राज्य कर्मचारियों को और उनकी मार्फत पैसा आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पर वापिस आ जाइये ।

श्री श्रवणलाल : प्रस्ताव पर ही तो हैं । अन्याय पर ही तो निन्दा कर रहे हैं सरकार की ।

एक माननीय सदस्य : कोई निन्दा नहीं कर रहे हैं, ये तो हकीकत कह रहे हैं ।

श्री रणजीतसिंह : राज्य कर्मचारियों, पटवारी, तहसीलदारों के घर की सेविंग्स इससे जरूर हो जावेगी ।

इसलिये बिना किसी प्रकार के दबाव के अगर कोई दे तो आप जरूर नेशनल सर्टीफिकेट दें । समझाइश के साथ दें । जोर जबर्दस्ती से नहीं । वरना इस वक्त किसान के मन में बड़ा रोष है ।

श्री दौलतराम सारण : सात करोड़ की वसूली होगी ।

श्री रणजीतसिंह : वह तो टार्गेट हमने बान्धे ही हैं । वरना तो प्लान सब फैल हो जावेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : उनको फेल हुए तो तीन साल हो गये ।

श्री रणजीतसिंह : बीघोड़ी के साथ उसको दिया जावे ।

छोटे किसानों को फीस माफ की है तो राज्य सरकार उचित समझे तो माफ कर दे वरना परिणाम दूसरा निकलेगा । सस्ता न्याय हासिल करने की कोशिश की गई । आवेश में आकर सरकार ने सोचा इससे फायदा मिल जावेगा पर फायदा मिलने वाला था नहीं । सब जगह सरकारें इस तरह से कर रही थीं, तो उसने सोचा राजस्थान में इसकी भी पहल कर लें । इसलिये पहल में गलती कर ली है । गलती अब भी सुधारी जावे । पर एक साल का वायदा किया था ।

श्री नरसीसिंह : एक साल की बात नहीं कही थी ।

श्री रणजीतसिंह : तो उस साल का तो माफ करना ही चाहिये । इसके आगे राज्य सरकार चाहे तो रक्खे नहीं तो नहीं रक्खे । पर पहले का तो एडजस्ट कर देना चाहिये । मैं इस प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री मुकट बिहारी लाल : इस तरह से ये निन्दा करते हैं सरकार की ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो निन्दा प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है, उस पर कई माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है । मैं भी अपनी ओर से इस प्रस्ताव पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के बारे में क्यों यहां बोलने की और इसे यहां लाने की आवश्यकता पड़ी यह तो बताया जा चुका है । गत सैशन में गवर्नर महोदय से यहां ऐलान कराया गया था कि जिन छोटे किसानों के पास 15 बीघा या इससे कम जमीन है उस पर लगान नहीं लिया जावेगा । हम उनके भविष्य के लिये, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये, उनकी आने वाली पीढ़ियों की तरक्की के लिये और उनको हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिये इसे माफ कर रहे हैं । इस पर काफी चर्चा भी उस समय हुई और इससे होने वाले घाटे के बारे में भी जिक्र हुआ था कि इससे सिर्फ सरकार के बजट में 36 लाख के आस पास घाटा होगा । इससे अधिक और कोई नुकसान सरकार का नहीं होने वाला है ।

(श्री भवरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इस घोषणा का सब ने स्वागत किया। गरीब किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आज बीस साल के शासन काल में इस कांग्रेस सरकार ने पहली बार सही काम किया है और हमारे तमाम विधायकों ने इस को लेकर और खास तौर से मिनिस्टरों ने आम सभाओं में जाकर दुनिया भर की घोषणाएं और खुशियां इस को लेकर जाहिर कीं। ढोल पीट पीट कर अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पीटा और कहा गया कि अगर विरोधियों की सरकार आ जाती तो इस लगान को वह कतई माफ करने वाली नहीं थी, यह तो हमने ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से पाली से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे इसके लिये कि लगान माफ नहीं करना चाहिए था, इससे होने वाली आमदनी से किसानों के हित के लिये दुनियां भर के साधन जुटावेंगे, अच्छे खाद और बीज का प्रबन्ध करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन महोदय से पूछना चाहता हूं कि किसानों का भविष्य उज्वल हुआ या नहीं? उत्पादन बढ़ा या नहीं पर मैं तो यह कहूंगा कि जिस समय हम यहां आये थे ट्रेजरी बेंचों पर 9 मिनिस्टर थे, पर आज उनका अत्यधिक विकास हुआ है और विकास होते होते उनकी संख्या आज जरूर इतनी हो गई कि गिनने में नहीं आती है। किसानों का विकास तो किधर भी गया, इनका विकास जरूर हो गया है। इनको अलीबाबा और चालीस चोर की संज्ञा भी दी जावे तो कम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने सोचा कि लगान माफ कर दिया तो इधर घाटा हो गया क्योंकि यह फौज बड़ी लम्बी चौड़ी बन गई है मिनिस्टरों की, इनके टी. ए. और डी. ए. का बोझा भी सरकारी बजट पर बहुत बड़ा पड़ गया है। इनको टी. ए. डी. ए. बहुत चुकाना पड़ेगा। मुझे तो शरम आती है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में जब कोई मिनिस्टर जाता है रोजाना एक कागज पहुंच जाता है कि आज फलां मिनिस्टर आ रहा है, आज फलां आ रहा है। उनका तो तांता लग गया। आज ढिमका मिनिस्टर आ रहा है, कल ढिमका आ रहा है तो इस प्रकार तांता लगा रहता है। तो उनके टी. ए. डी. ए. और तनख्वाह के लिये और उनके अन्य आराम के साधनों-बंगलों, मोटरों, टेलीफोनों के लिये सरकार ने सोचा कि अब कैसे यह घाटा पूरा करना है तो यह लगान वापिस लगाने की बात सोची। विरोधी पार्टियों से उधर जाने वालों को हर प्रकार से खुश रखने के बारे में कई माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें बताई हैं पर इसके बाद दिमाग में यह बात आई कि जनता में इस प्रकार का भय पैदा था वह तो अब साफ हो चुका है। जो लगाया हुआ टैक्स था उसको वापिस ले लिया जाय तो गवर्नर महोदय के यहां से एमेंडमेंट निकलता है और वह वहां पर पहुंच जाता है। आज किसानों पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य मेरे से पूर्व वक्ता वे भी इस बात को बतला रहे थे, मैं भी मेरे जिले की एक बात आपके सामने रखूंगा। वे कहते हैं कि अनेक प्रकार के साधन जुटाये हैं और समाज-कल्याण के द्वारा इस प्रकार की भलाई करते हैं, लेकिन पहले माफ करके फिर लगाने की कोशीश करते हैं। लेकिन

(श्री भवरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर सही तरीके से देखा जाय तो इनको इस बात की चिन्ता हो गई। एक साल व्यतीत हो जाता और नहीं लेने तो मैं इस बात के लिए तथ्य समझता, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इनको इसकी चिन्ता नहीं, क्योंकि किसानों से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इनको सदस्य खरीदने के लिए पैसा किसानों से नहीं मिलता है। मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि उस सीमेंट फैक्टरी से जो मेरे जिले के अन्दर है बिजली के लिए कितना पैसा लेते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि आज अगर कोई बिजली का कनेक्शन कोई दुकानदार अपनी दुकान पर लगाता है तो उससे 50 पैसा फी यूनिट के हिसाब से लिया जाता है लेकिन उस सीमेन्ट फैक्ट्री को चार नये पैसे यूनिट के हिसाब से देने हैं क्योंकि वह इनको फायदा पहुचाते हैं। अगर इनको वसूल करना था तो उनसे करते। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत है तो 50 पैसा यूनिट के हिसाब से सीमेन्ट फैक्ट्री से वसूल करें। उन मिल मालिकों से वसूल करें जिनसे ये चन्दा लेते हैं और चुनाव जीतने के लिए जीपें लेते हैं और उनकी जीपों से चुनाव जीत कर यहां कुर्सियों पर बैठे हैं। उन से वसूल करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। यात्री-कर का बहुत पैसा बकाया पड़ा हुआ है अगर वह वसूल करलें तो और कोई टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। रायल्टी की बकाया के लिए इनसे पूछिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जिले की कहता हूं कि एक एक व्यक्ति के ऊपर एक एक ठेकेदार के ऊपर डेढ़-डेढ लाख रुपया बकाया है रायल्टी का, सिर्फ रायल्टी का। लेकिन उनसे वसूल करने की इनकी हिम्मत नहीं है। इसके साथ साथ क्या है कि हमारे यहां बजरा खान है उसमें क्या है कि वहां पर गरीब हरिजन हैं, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने को मकान नहीं हैं और झोपड़ियों के अन्दर रह कर बजरा खान में मजदूरी कर रहे हैं उनको मजदूरी पूरी नहीं मिलनी है। उनको दो-सवा दो रुपया मिलता है। तो उन्होंने इस प्रकार की मांग की कि उनको भी कम्पनी रेट से मजदूरी दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि मजदूरों ने थोड़ा सा कदम उठाया तो उनको किस प्रकार से दबाया गया। वहां के सब-इन्सपेक्टर ने लोगों को अपनी झोपड़ियों में से निकाल निकाल कर डंडे मार मार कर उनका दम तोड़ कर उनको बेहाल कर दिया जिसको रेवेन्यू मिनिस्टर साहब श्री बृजसुन्दरजी भी देखकर आये हैं और उन्होंने सवाई माधोपुर में आकर भाषण दिया था कि उनकी हालत देखकर गरदन झुक जानी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया आज तक यहां आकर? मुझे बड़ी शर्म और अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक बार गरीब जनता पर माफ किया हुआ टैक्स आप किस प्रकार से वसूल कर रहे हैं? तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा वसूल अगर करना है तो आप पूंजी पतियों से वसूल करिये। वसूल अगर करना है तो जिनमें बकाया है आपके टैक्स का उनसे वसूल करिये। इस प्रकार से आपने धांधली कर रखी है कि जिसको हम कहते हैं कि मुंह से मुकरना और लोगबाग इसी को कहते हैं थूकना और चाटना। लोग कहते हैं कि क्या सरकार इस प्रकार की रह गई है कि आज कुछ निकाले और कल पता नहीं कि उस पर कायम

(श्री श्रवणलाल)

रहेगी कि नहीं। आज कोई नियम बनाया तो कल पता नहीं कि वह कल रहेगा या नहीं। इस प्रकार जो लगान माफ किया था उसको आज डंडे के बल पर तहसीलदार गांव गांव में जाकर वसूल कर रहे हैं और उनको इस बात की धमकी देते हैं कि तुमको थाने में बन्द कर देंगे और तुम्हारी जमीन जायदाद कुर्क कर देंगे अगर इस प्रकार का टैक्स नहीं देंगे तो। अभी माननीय सदस्य श्री दौलतरामजी सारण ने परचियां पेश की थीं उसी प्रकार से हर एक तहसील के अन्दर चाहे लगान 10 आना हो, चाहे लगान एक रुपया हो, लेकिन 10 रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जबरदस्ती से देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इमीजियेटली उसी समय मिल जाय जिस समय कि पैसा लें तब भी कुछ बात हो लेकिन उसको एक परची दे देते हैं और वह कागज की परची भी ऐसी है कि अगर परची को देखेंगे तो कोई यह कह नहीं सकता कि इससे 10 रुपये लिये या नहीं ।

इसके साथ-साथ जिस प्रकार से वे डंडे से वसूल कर रहे हैं उसको रोकना चाहिये, और रोकने के साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो घोषणा की थी उससे उसको मुकरना नहीं चाहिये, और अगर मुकरती है तो एक अच्छी बात नहीं है । अगर उसको कटौती करनी है तो मन्त्रियों की जो फौज बढ़ा रखी है उसमें कमी करे ताकि खर्चे में अपने आप कमी आ जाय और आपको कुछ दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी। दूसरी जगह भी ऐसा है। मैं ने सुना है कि और भी बढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि एक तरह से सभी को मिनिस्टर बना दिया जाय ताकि जनता कम से कम यह सन्तोष तो करले जितने सदस्य हैं उतने ही मिनिस्टर हैं . . .

श्री रामकिशन : सब की इच्छा पूरी होगी ।

श्री श्रवणलाल : अब तो सब के सब को एक बार खा लेने दो। जितना खाना चाहें उतना खा लेने दो। लेकिन खाकर भी यह सोचेंगे कि खाकर भी भला कर सकेंगे या नहीं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार ऐसा नहीं किया जा सका जबकि 20 साल हो गये हैं । सुबह ही आपने एक प्रश्न में देखा होगा जो समाज-कल्याण के मंत्री रहे और दुनियां भर के मंत्री रहे उन्होंने घोषणा की कि तीन लाख का जो बंगला बनाया है वह मैंने और मेरी पत्नी ने बनाया है अपने हाथों से . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री श्रवणलाल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री रामकिशन : खर्चा जोड रहे हैं आमदनी और खर्च बता रहे हैं ।

श्री श्रवणलाल : यह बात बतला रहा था कि जो बंगला बनाया गया है वह इन गरीब हरिजनों को जो एड मिलनी है, जो दलित वर्ग संघ को सहायता मिलनी है उसको खाकर यह बंगला बनाया है । गरीब हरिजनों को मिलने वाली एड को खाया है। इसी प्रकार से खा खा कर सरकार के

(श्री भवरलाल)

नुमायन्दे बन गये और अपने आपको सर्वेसर्वा समझते हैं, और प्रजातन्त्र के चलाने के जो भागीदार बनते हैं वे इस प्रकार के काम करते हैं और जो जनता पर टैक्स माफ किया था उसको वापिस लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बडी शर्म आती है कि जब कभी हम ट्रेन में सफर करते हैं क्योंकि मैं खादी पहनने का आदी रहा हूं और शुरू से ही खादी पहनता आ रहा हूं और उसको छोड़ा नहीं है, इस लिए जब मेरे खादी के कपडों को लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये आ गये सफेद गद्दार, सफेद डाकू, सफेद चोर। आज इस प्रकार से यह भावना जनता में पैदा हो गई है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 5 बजे मंगलवार दिनांक 23 जनवरी, 1968 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No. 117

परिशिष्ट 1

(प्रश्न संख्या 32 का उत्तर देखिये)

तहसील सांचोर जिला जालोर में पिछले तीन वर्षों में कुदरतन आग लगने के मामलों का मानचित्र

क. सं.	नाम व्यक्ति मय पिता का नाम जो आग लगने से प्रभावित हुए	जाति	निवास स्थान	कार्यालय जहां प्रार्थना-पत्र पेश किया गया	दिनांक प्रार्थना-पत्र पेश करने का	सरकार द्वारा दी गई सहायता एवं विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री कुम्भाराम पुत्र समरथा राम	विश्नोई	आकोली	पं. समिति सांचोर	28-4-64	वर्ष 1964-65 में इस कार्यालय द्वारा पंचायत समिति सांचोर को 400) रुपये की सहायता हेतु आवन्टित की गई थी। जो पंचायत समिति द्वारा सहायता दी गई।
2.	श्री घेवरिया पुत्र हुकमा राम	मांबी	टिटोण	,,	8-5-64	
3.	श्री पदमगर पुत्र जसगर	सामी	टाम्पी	,,	30-3-64	
4.	श्री मुलतान मल पुत्र मैयाचन्द	महाजन	लूनीयासर	,,	23-6-64	
5.	श्री धर्मा पुत्र जैरा	मांबी	केरिया	,,	25-3-65	
6.	श्री सुरता पुत्र उका	रेबारी	चितलवाना	,,	19-4-65	
7.	श्री कानाराम पुत्र सुरजन	विश्नोई	गुडा हेमा	जि. जालोर	25-4-67	विकास अधिकारी पं. समिति सांचोर के पास जांच हेतु विचाराधीन है।
8.	श्री सुमार पुत्र रमजू	मोयला	सिद्धेरि	तहसील सांचोर	16-1-67	
9.	श्री रेमला पुत्र सुमार	,,	,,	,,	16-1-67	,,
10.	श्री नम्मा पुत्र सुमार	,,	,,	,,	16-1-67	,,
11.	श्री भीना पुत्र हीरा	रेबारी	,,	,,	16-1-67	,,

1	2	3	4	5	5	7
12.	श्री सूरता पुत्र भीमा	रेबारी	सिद्धेरी	सांचोर	16-1-67	विकास अधिकारी पं. समिति सांचोर के पास जांच हेतु विचाराधीन है।
13.	श्री सणगारी बेवा लूम्बा	„	„	„	16-1-67	
14.	मडीया पुत्र बाबू	सिन्धी	मादरूण	पं. समिति सांचोर	4-4-67	पंचायत समिति सांचोर द्वारा रु. 40) की सहायता दी गई।
15.	श्री खेता पुत्र देहला	कोली	जोरादर	जि. जालौर	7-4-67	वि.अ. सांचोर के पास जांच चल रही है।
16.	श्री भूरा पुत्र हाजा	रेबारी	मेडा	पं. समिति सांचोर	10-5-67	„
17.	श्री रूगा पुत्र दौला	बिश्नोई	आखा	पं. बेसाख बद 11 (1966)		कागजात फाइल हो चुके हैं।
18.	श्री जीवा पुत्र सरदारा	विश्नोई	नलमरा	तहसील सांचोर	13-6-67	जांच विकास अधिकारी सांचोर के पास जेर तजवीज है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 35 का उत्तर देखिये)

राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ जयपुर की कार्यवाही के सदस्यों की सूची

1.	श्री अमृत लाल यादव	अध्यक्ष
2.	श्री महादेव प्रसाद वंका भू. पू. सदस्य विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री भू. पू. विधायक	प्रधान मन्त्री
4.	श्री कंवरलाल जैलिया भू. पू. विधायक	संयुक्त मन्त्री
5.	श्री सूर्य मल मौर्य भू. पू. विधायक	सदस्य
6.	श्री हरिराम धारु भू. पू. विधायक	सदस्य
7.	श्री जेठमल करबड़ भू. पू. विधायक	सदस्य
8.	श्री काना राम भू. पू. विधायक	सदस्य
9.	श्री रावत राम विधायक	सदस्य
10.	श्री गोकुल चन्द विधायक	सदस्य
11.	श्री नारायण लाल भू. पू. विधायक	सदस्य
12.	श्री जीवन राम	सदस्य
13.	श्री छीतर लाल रेवा	सदस्य
14.	श्री श्रीराम सवटे	सदस्य
15.	श्री मंगल प्रसाद आर्य	सदस्य
16.	श्री आत्मा राम गर्ग	सदस्य
17.	श्री खडमल सोगण	सदस्य
18.	श्री पन्नालाल बारुपाल	सदस्य
19.	श्रीमती नर्मदा देवी यादव	सदस्य
20.	श्री मती लक्ष्मी देवी बारूपाल	सदस्य
21.	श्री गुलाब चन्द प्रधान	सदस्य

परिशिष्ट 3

(कृपया प्रश्न सं. 38 का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि निरीक्षण नोट मन्दिर श्री बनरूप बिहारी जी महाराज विराजमान महल चौक अलवर। दिनांक 15-10-66 द्वारा निरीक्षक देवस्थान अलवर, राजस्थान।

आज दिनांक 15-10-66 को मन्दिर का निरीक्षण किया। पं. योगेशचन्द्र अधिष्ठाता मन्दिर पर मौजूद मिले। इन से इनकी ओर से मन्दिर पर पांच कर्मचारी मासिक वेतन पर नियुक्त हैं मन्दिर का खर्चा इस मन्दिर की निर्धारित एन्यूटी की रकम से काफी अधिक है। अधिक व्यय की पूर्ति श्री योगेशचन्द्र अपने पास से करते हैं। मन्दिर की पूजा सेवा तथा सफाई स्वच्छता की व्यवस्था परम संतोषजनक मिली मन्दिर की आय व्यय का हिसाब ही आज देखा गया श्री योगेशचन्द्र ने प्रकट किया कि मन्दिर में एन्यूटी की आमदनी से जो प्रति वर्ष 3000) रु. सालाना की है अधिक खर्चा होता है उसकी पूर्ति करना उनके लिये सम्भव नहीं है इस लिये इस अधिक की पूर्ति की व्यवस्था सरकार की ओर से होना उचित है अन्यथा मन्दिर का वर्तमान समय में जो अत्यधिक सुप्रबन्ध चल रहा है उसमें अर्थाभाव के कारण बाधा उत्पन्न होगी अधिष्ठाता को चाहिये कि इस सुप्रबन्ध में रुकावट न आने दे। श्री योगेशचन्द्र मन्दिर के प्रबन्ध में प्रशासनीय दिलचस्पी लेते हैं।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं. 39 का उत्तर देखिये)

सूची

क्रमांक	नाम सड़क	मिट्टी का कार्य	पत्थर इकट्ठा करने का कार्य	पत्थर की बिछाई व कुटाई का कार्य	कुल खर्चा
तहसील, सरदार शहर--					
1.	सरदारशहर से कालू	18॥ मील	19 मील	18 मील	423027-99
2.	मानीपुरा से भोजासर	12 मील	19 मील	10 मील	285119-91
3.	सरदारशहर से नोहर	11 मील	5 मील	3 मील	186743-13
4.	मानीपुर से शोभासर	5 मील	3 मील	31 4 मील	125056-09
तहसील, तारानगर--					
1.	तारानगर से दुदवाखारा	12॥ मील	5॥ मील	2 मील	340637-02
2.	भाखेरी से साहबा	20। मील	9॥ मील	11॥ मील	658583-93
3.	तारानगर से बाय	10 मील	8॥ मील	2॥ मील	383078-18
					2402246-25

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं. 41 के उत्तर देखिये)

सूची काश्तकारान जिनको सन् 66 में ग्राम पंचायत चेन्डा क्षेत्र चेन्डा में भूमि आवन्टन हुआ।

नं. शु.	नाम आसामी	नाम गांव	खसरा नम्बर	रकबा	विशेष विवरण
1.	श्री हेमसिंह पुत्र उदयसिंह सा. पाली	पाली	34-35	3 3।4, 5 बीघा	
2.	श्री हणवन्त सिंह पुत्र भीमसिंह सा. पाली	पाली	54	9 3।4 बी. बिस्वा	
3.	श्री दुर्गासिंह पुत्र भीमसिंह सा. पाली	पाली	4, 1	9 1।2, 1 1।4 1 3।3 बी. 4 बिस्वा	
4.	श्री मगना पुत्र पेमा मूदिया पुत्र जेपा चौधरी सा. चेन्डा	चेन्डा	213	11 3।4 बिस्वा	
5.	श्री हरी सिंह पुत्र मूलसिंह सा. पाली	पाली	46।29	15 बीघा	
6.	श्री रतनसिंह पुत्र भीमसिंह सा. पाली	पाली	14	15 बीघा	
7.	अमरसिंह पुत्र जवान सिंह सा. पाली	पाली	299।4	10 बीघा	
8.	श्री समीवा पुत्र रतना सा. पाली	पाली	9	6 बीघा	
9.	श्री मदूत सिंह पुत्र उदयसिंह सा, पाली	पाली	127।3	9 बी. 3 बि.	
10.	श्री भीम पुत्र चतरा सिरवी सिरदी सा. पाली	पाली	303।1	15 बीघा	
11.	श्री बरदाराम पुत्र पदमाराम सा. चेन्डा	चेन्डा	220	150 बी.	
12.	श्री जयरीया पुत्र कालीया सा. पाली	पाली	141	15 बी.	
1`.	श्री भारत सिंह पुत्र सूरसिंह सा. चेन्डा	चेन्डा	163	15 बी.	
14.	श्री छोगला पुत्र नवाराम सा. पाली	पाली	9	15 बी.	
15.	श्री देवा पुत्र हेमा माली	पाली	45	15 बी.	
16.	श्री चमना पुत्र केना	चेन्डा	227	15 बी.	

परिशिष्ट 6

(समया भाव के कारण समय में न लिए गए तारांकित प्रश्नोत्तर)

भूमि एलाटमेंट एडवाईजरी कमेटी की बैठकों का समय

50. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का विचार है कि जिन दिनों विधान सभा का सत्र चल रहा हो उन दिनों भूमि एलाटमेण्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं की जानी चाहिये ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई आदेश जिलाधीशों एवं तहसीलदारों को प्रदान करने की सोच रही है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. इस सम्बन्ध में आदेश पहले ही प्रचलित कर दिये गये हैं।

खेतड़ी-लोयल सड़क निर्माण पर व्यय

51. श्री रघुवीर सिंह (खेतडी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल सहायता के कार्यों के अन्तर्गत निर्माणाधीन खेतड़ी-लोयल सड़क पर कार्य कब से आरम्भ हुआ ?

(2) यह कार्य अब तक कहां तक हो चुका है ?

(3) इस सड़क पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

(4) इस सडक पर पत्थर कब से पड़े हुए हैं ?

(5) यह सड़क खेतड़ी से जसरापुर-लोयल होती हुई चनाणा तक पक्की बनवाये जाने की योजना है या नहीं ?

(6) इस सड़क का कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

उत्तर

1. अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत निर्माणाधीन खेतड़ी-लोयल सड़क पर फरवरी 66 में कार्य आरम्भ हुआ था।

2. खेतडी-लोयल सड़क पर मिट्टी का कार्य माइल 4।4 से 12।0 तक तथा 14।0 से 16।0 तक हो चुका है, और सोलिंग का पत्थर माइल 4।4 से 0।9 और 9।2 से 12।0 तक सडक में इकट्ठा किया हुआ है । है। माइल 9।0 से 9।2 तक सोलिंग किया जा चुका है।

3. इस सड़क पर अब तक 2,05,700 रु. व्यय हो चुका है।

4. इस सड़क पर पत्थर अगस्त 66 से पड़े हुए हैं।

5. वर्तमान में इसे पक्की बनाने की कोई योजना नहीं है।

6. जब कभी यह सड़क वार्षिक योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शामिल करली जायेगी, तभी यह कार्य पूरा हो सकेगा।

रेस्क्यू होम्स

52. श्री रामकिशन (वैर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1950 से अब तक राजस्थान में कितने रेस्क्यू होम्स स्थापित किये गये तथा कहां कहां हैं और कब से?

(2) इन रेस्क्यू होम्स में कितनी ऐसी महिलायें रखी गई हैं जिनको अनैतिक पेशे से लाकर रखा गया उनमें से कितनों को जीवन निर्वाह हेतु काम दिया गया?

(3) क्या इनमें से कुछ को गृहस्थी के रूप में बसाया गया है?

(4) कितनी अविवाहित माताएं इन रेस्क्यू होम में रखी गई और उनको क्या भत्ता अथवा सुविधाएं दी जाती हैं?

उत्तर

(1) सन् 1957 में जयपुर में एक रेस्क्यू होम स्थापित किया गया था।

(2) महिला सदन में सन् 1957 से अब तक 35 महिलाएं प्रविष्ठ की गईं। इनमें से 5 महिलाओं को रोजगार दिलाया गया और तीन महिलाओं का विवाह किया गया। अन्य उनके वारिशों को सौंप दी गई।

(3) तीन महिलाओं को गृहस्थी के रूप में बसाया गया।

(4) सन् 1957 से अब तक 15 अविवाहित माताएं रखी गई और उनसे 5 को रोजगार दिया गया। अन्य को उनके वारिशों को सौंपा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 52 से सम्बन्धित सूची

जिला आश्रय गृहों व उत्तर रक्षा गृहों की सूची 'अ'

क्रमांक	खोले गये आश्रय गृहों व उत्तर रक्षा गृहों के नाम	अनैतिक पेशे में लाकर रखी गई महिलाओं की संख्या	जीवन निर्वाह पर काम पर लगाई गई महिलाओं की संख्या	गृहस्थी के रूप में लगाई गई महिलाओं की संख्या	अविवाहित माताओं की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर रक्षा गृह (महिला) अजमेर (1957)	—	—	—	—	आश्रय गृहों व उत्तर रक्षा गृहों में रहने वाली महिलाओं का समस्त खर्चा राज्य सरकार ही
2.	जिला आश्रय गृह (महिला) जोधपुर (1958)	11	10	1	1	

1	2	3	4	5	6	7
	3. जिला आश्रय गृह (महिला) उदयपुर (1959)	3	3	--	--	वहन करनी है उन्हें अलग से कोई भत्ता नहीं दिया जाता है ।
	4. जिला आश्रय गृह (महिला) कोटा (1959)	15	11	--	--	
	5. जिला आश्रय गृह (महिला) जयपुर (1959)	1	1	--	--	
	6. जिला आश्रय गृह (महिला) भरतपुर	--	--	--	--	

राज्य महिला सदन, जयपुर में सन् 1957 से अब तक कुल 693 आवासनियां प्रवेशित की गई। इनमें से 81 आवासनियां अभी प्रवेशित हैं बाकी का संलग्न सूची अनुसार पुनर्वास कर दिया गया।

अनैतिक मार्ग से लाई गई महिलाओं में से अभी चार नाबालिग बालिकाएं सदन में ही प्रवेशित हैं जिन्हें बराबर स्कूल शिक्षा दी जा रही है।

महिला सदन का उद्देश्य उन महिलाओं का चरित्र निर्माण करना तथा जीवीकोपार्जन हेतु भविष्य के लिये विभिन्न उद्योग हस्तकला तथा शिक्षा देना है।

वर्ष	प्रवेश				योग	पुनर्स्थापित				योग
	न्यायालय	स्वेच्छा से	पुलिस द्वारा	अन्य श्रोतों से		विवाह	परिवार	नौकरी	दत्तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1957-58	11	5	42	14	72	4	43	--	--	47
1958-59	9	7	43	30	89	3	52	--	--	50
1959-60	10	10	24	27	71	3	30	5	10	40
1960-61	4	7	23	42	76	--	40	5	5	45
1961-62	24	7	14	19	64	1	34	20	--	58
1962-63	28	3	14	30	75	1	37	20	-	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1963-64	9	2	—	—	11	—	20	17	2	39
1964-65	23	14	3	5	45	1	20	25	1	47
1965-66	9	3	14	18	45	1	25	14	—	40
1966-67	16	9	7	24	56	4	28	6	—	38
1967-68	40	12	10	17	79	4	27	13		44

मजदूरों की बकाया का भुगतान

53. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1966-67 के वित्तीय वर्ष में ग्राम कालिबासर, झटाव खुर्द और जाबसार जिला झुंझुनूं में झाझड़ा पत्थरों की खानों में से पत्थर निकालने हेतु अकाल राहत के कार्य चालू किए गये थे? यदि हां, तो क्या उन मजदूरों की एक सप्ताह की मजदूरी बाकी है? अब तक मजदूरी न चुकाये जाने के क्या कारण है?

(2) क्या सरकार उन मजदूरों की मजदूरी दिलवाने के आदेश जारी करने के विचार रखती है? इसमें जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है उनके नाम क्या हैं?

(3) क्या इन खानों में काम करने वाले मजदूरों की तरह इसी जिले को दूसरी जगह के भी कोई पेमेन्ट बाकी हैं?

(4) क्या इन खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सूखा दूध दिया गया था? यदि हां, तो किस व्यक्ति को दिया गया था और उसने उस दुग्ध पाउडर का क्या किया?

(5) क्या श्री रतीराम ग्राम सेवक पंचायत समिति, अलसीसर को जो दुग्ध पाउडर दिया गया था उसका हिसाब अकाल विभाग को प्राप्त हो गया है? क्या श्री रतीराम ग्राम सेवक, पंचायत समिति, अलसीसर जिला झुंझुनूं के खिलाफ मजदूरों को दूध न पिलाने की बावत कोई शिकायत जिलाधीश झुंझुनूं को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? क्या सरकार उक्त ग्राम सेवक को दिए गये दुग्ध पाउडर के सम्बन्ध में जांच कराने की विचार रखती है?

उत्तर

1. जी हां, ग्राम कालियासर, झटावाखुर्द और जाबासर में पत्थर निकालने का कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत चालू किया गया था। किसी भी कैम्प पर पूरे सप्ताह की मजदूरी बाकी नहीं है। मजदूरी न चुकाये जाने के कारण मजदूरों का खुद का चुकारा लेने नहीं आना है।

2. जी हां, मजदूरी चुकाने के आदेश जारी किये हुए हैं। किसी की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. जी नहीं।

Page No. 127

(अकाल सहायता मंत्री)

4. जी हां। विभिन्न कैम्पों पर केम्प ऑफिसर को दूध वितरण के लिये दिया गया था।

5. जी हां। श्री रतीराम ग्राम सेवक अलसीसर को जो दूध वितरण हेतु दिया गया था, उसका हिसाब प्राप्त हो गया है। इसके विरुद्ध जिलाधीश झुंझनूं को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नसीराबाद के निकटवर्ती क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए नायब तहसीलदार की नियुक्ति

54. **श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर तहसील में तीन नायब तहसीलदार हैं? अगर हां, तो नसीराबाद के निकटवर्ती किसानों की सुविधा के लिए एक नायब तहसीलदार की नियुक्ति नसीराबाद में क्यों नहीं की जाती है?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी तहसील मकान नसीराबाद मेन बाजार में है जिसमें केवल चार पुलिस के सिपाही रहते हैं।

उत्तर

1. जी नहीं।
2. जी नहीं।

बून्दी शहर में भंग का ठेका

55. श्री **केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी शहर का भंग का ठेकेदार कौन है और उसको ठेका कब दिया गया था?

(2) क्या यह सत्य है कि ठेकेदार अभी 50) रु. से 70) रु. फी किलो की दर से भंग खैरीज बेच रहा है?

(3) क्या राजस्थान सरकार राज-पत्र में दर शाया की है? यदि हां, तो किस तारीख को?

(4) सरकारी गोदाम से किस दर से भंग ठेकेदार को दी जाती है?

(5) क्या यह भी सत्य है कि ठेकेदार ने भंग के ठेके का बोर्ड हटा दिया है? यदि हां, तो क्यों? सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है?

(6) आबकारी विभाग भंग कहां से और किस भाव से खरीदता है?

उत्तर

(1) बून्दी शहर का भंग का ठेका 2-3-67 को सन् 1967–68 के लिये भंवरलाल को दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, भंग की बिक्री दर राजस्थान राज-पत्र में तारीख 1-5-67 को शाया की गई।

(4) ठेकेदार को भंग 9.70 पैसे प्रति किलो ग्राम की दर से दी जाती है।

(5) जी नहीं। एक्शन लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग्राबकारी मंत्री)

(6) आबकारी विभाग मंग पंजाब व उत्तर प्रदेश से खरीदता है। इस वित्तीय वर्ष में इन दोनों राज्यों से मंग 180.00 रुपये प्रति क्वन्टल से लगाकर 195.00 से रुपये प्रति क्विन्टल की दर से खरीदी गई है।

भूतपूर्व जागीरदारों से भू-राजस्व की वसूली

56. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करगे :--

(1) क्या सरकार 'यह नीति निर्धारित की थी कि मूतपूर्व जागीरदारों से उनके द्वारा देय भू-राजस्व की रकम तब तक वसूल नहीं की जायेगी जब तक कि उनको मुआवजा नहीं दे दिया जावे? यदि हां, तो इसका पालन कहां तक हो रहा हैं?

(2) क्या सरकार ऐसी पक्की व्यवस्था करने का विचार रखती है कि जिन जागीर-दारों से आज तक भू-राजस्व की रकम वसूल नहीं की गई है और जिन पर काफी भार चढ़ गया है और जिनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है उनसे मुआवजा देकर ही रकम जो उनके द्वारा देय है, वसूल की जाय ?

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व में भूतपूर्व जागीरदारों को यह सुविधा दी गई किन्तु जागीर खालसा हो जाने के बाद खुदकाश्त भूमि पर भी जागीरदारों के यही हक होते हैं जो खातेदार काश्तकार के होते हैं और उन्हें भी अन्य खातेदारों के अनुसार सब प्रकार की सुविधा दी जाती है ऐसी स्थिति में पूर्व में दी गई आज्ञा को आज्ञा संख्या एफ.।(जी) (5) रा.क.66 दिनांक 29-3-66 द्वारा निरस्त किया जाकर उनसे भी अन्य काश्तकारों के अनुसार खुदकाश्त भूमि का लगान वसूल करने की आज्ञा प्रचलित की जाचुकी है।

(2) उपरोक्त स्थिति के अनुसार यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

फिल्म प्रदर्शकों पर मनोरंजन कर का बकाया

57. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राज्य के फिल्म प्रदर्शकों में किस किस मेले के फिल्म प्रदर्शकों में मनोरन्जन कर का कितना कितना रुपया बकाया है और उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई)

काश्तकार इन्द्राज बुक

58. श्री दीपचन्द छंगाणी (फलौदी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

राज्य सरकार ने खातेदार किसानों को पटवारियों के भ्रष्ट हथकण्डों से छुटकारा दिलाने के लिए जो काश्तकार इन्द्राज बुक देने की घोषणा की थी वह उन्हें कब तक दे दी जायेगी ?

उत्तर

1. ज्योंही तहसीलों के भू-प्रबन्ध सम्बन्धी कागजात अंतिम शक्ल में आजावेंगे पास बुक वितरण करने की कार्यवाही आरम्भ करदी जावेगी।

परिशिष्ट 7

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं. 10 की सूची देखें)

राजस्थान में तहसील मुख्यालयों में स्थित छात्रावासों की सूची

	अनुसूचित जाति योजना		
	जिला	तहसील मुख्यालय में स्थित छात्रावास	
	1	2	
1.	सवाई माधोपुर	करोली	1
2.	अलवर	अलवर	1
3.	टोंक	टोंक	1
4.	झालावाड़	झालावाड़	1
5.	उदयपुर	उदयपुर	1
6.	कोटा	कोटा (कन्या) अटरु कोटा लड़कों का बांर	
7.	जयपुर	जयपुर कोटपूतली जयपुर जयपुर कन्या	
8.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	1
9.	सिरोही	सिरोही	1
10.	जैसलमेर	जैसलमेर रामगढ़ साम नाचना	
11..	बाड़मेर	सिवाना चोहटन	
12.	चूरू	चूरू	1
13.	नागौर	नागौर	1
14.	अजमेर	अजमेर	1
15.	बीकानेर	बीकानेर कन्या बीकानेर लड़कों का	

1	2	
16. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1
18. गंगानगर	गंगानगर	1
19. जोधपुर	जोधपुर कन्या जोधपुर लड़कों का जोधपुर	
27. भरतपुर	भरतपुर धोलपुर	1

शुद्धि-पत्र

दिनांक 22 जनवरी, 1968

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
7	10	आने के	जाने के
14	14	ओर	ओर से
16	7	शास्त्र	शास्त्री
16	12	ठीक	ठीक है ?
18	अन्तिम से 13	थ	थे
20	अन्तिम से 4	चनाव	चुनाव
21	11	कितना	कितना कोटा
25	19	ी	श्री
28	7	रिया	एरिया
32	अन्तिम से 2	यटीलाईजेशन	युटिलाइजेशन
35	1	यह	इस
46	3	श्री गंगाराम चौधरी	श्री मूलचन्द डागा
52	16	विततण	वितरण
53	10	परमराम	परसराम
65	7	इक इन	इन
69	17	सील	तहसील
76	18	भमि	भूमि
79	1	इदलिया	इन्दलिया
81	7	बु डक	बुरड़क
81	अन्तिम से 1	म	में
95	अन्तिम से 8	न मुकर	ने मुकर
98	6	जानकाी	जानकारी
100	अन्तिम से 7	अधिनयकवादी	अधिनायकवादी
108	4	के इशारेमुख्य मंत्री के	मुख्य मंत्री के इशारे
213	अन्तिम से 3	ेलामी	नीलामी
214	13	दिवेदन	निवेदन
226	20	इसक	इसके
243	अन्तिम से 4	ठका	ठेका
244	4	क्वन्टल	क्विन्टल
244	9	करगे	करेंगे